खण्ड-158, अंक-2
मंगलवार, 5 आश्विन, शक संवत् 1877
(27 सितम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 158 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

...AR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीक, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडे, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडे, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री

बंजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेंद्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडे, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री

रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में पानापार ग्राम के निकट छोटी सरजू पर बांध की आवश्यकता

*१--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार ग्राम पानापार (आजमगढ़) की ओर छोटी सरजू पर बांध बनवाने की योजना पर विचार कर रही है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--ग्राम पानापार सगड़ी तहसील में स्थित है। इस भाग में घाघरा नदी का पानी बदुरुआ नाला तथा छोटी सरजू नदी के द्वारा आता है और क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। महोला गढ़वल बांध के निर्माण में बदुरुआ नाले का मुहाना बन्द कर दिया जावेगा जिसके फलस्वरूप घाघरा का पानी छोटी सरजू में उस नाले द्वारा नहीं पहुंच सकेगा और बाढ़ कम हो जावेगी अतः किसी दूसरे बांध का प्रस्ताव इस भाग के लिये नहीं किया गया।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नौला गढ़वल बांध के बनने से और जो तरीका इस जवाब में बताया गया है उसके अपनाने से पानापार क्षेत्र में बाढ़ कम हो जायेगी इसकी कोई जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी के जरिये ?

श्री राममूर्ति--ये जितनी बातें यहां पर जवाब में बताई जाती हैं ये सब हमारे चीफ इंजीनियर द्वारा आया करती हैं और सर्वे डिवीजन के जरिये से सर्वे कराया गया था और आप जानते हैं कि फ्लड डिवीजन और सर्वे डिवीजन द्वारा बड़ा भारी काम पूर्वी जिलों के अन्दर हो रहा है। उन्हीं के जरिये से यह जांच कराई गयी थी।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नौला गढ़वल बांध का निर्माण कब शुरू होगा और इसके कब तक खत्म हो जाने का अनुमान है ?

श्री राममूर्ति--वर्षा ऋतु समाप्त होते ही वहां पर काम प्रारम्भ हो जायगा। लम्बा काम है, करीब ३० लाख रुपया इस पर खर्च होगा।

आजमगढ़ जिले में इमिलिया घाट पर पुल निर्माण की मांग

२--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार छोटी सरयू नदी पर इमिलिया घाट (आजमगढ़) पर एक पुल बनवाने की योजना पर विचार कर रही है ?

निर्माण उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आंचार्य)--जी नहीं।

*३--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार के पास स्थानीय जनता की ओर से आवेदन-पत्र उपर्युक्त बांध और पुल बनवाने के विषय में प्राप्त हुये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि सरयू पर इमिलिया घाट के पास पुल न होने की वजह से बरसात के दिनों में पानापार साइड से उस पार जाने में लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह संभव हो सकता है कि बरसात के दिनों में कुछ दिक्कत पड़ती हो लेकिन प्रदेश में और स्थान हैं जहां उससे ज्यादा दिक्कत पड़ती है।

आगरा वाटर वर्क्स में फिल्टर्ड वाटर पम्पिंग प्लांट का लगाया जाना

*४--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को विदित है कि आगरा वाटर वर्क्स में कुछ नई मशीनरी लगी है? उसकी लागत क्या है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)--जी हां, फिल्टर्ड वाटर पम्पिंग प्लांट की लागत २,२०,००० रुपये है।

*५--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि वह मशीनरी कई वर्ष तक इसलिये पड़ी रही क्योंकि उसके लिये आवश्यक स्विच का आर्डर नहीं दिया गया था?

श्री सैयद अली ज़हीर--जी नहीं।

आजमगढ़ जिले की मधुबन-रसड़ा सड़क को पक्की करने के लिए आवेदन-पत्र

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन, जिला आजमगढ़ से परसिया होकर रसड़ा, जिला बलिया जाने वाली सड़क कब तक पूरी पक्की हो जायेगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सड़कों तथा पुलों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विस्तार इतना सीमित है कि उसमें सब सड़कों को जिनके निर्माण की मांग है, सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

*७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन से दुबारी, जिला आजमगढ़ तक सड़क पक्की कराने के लिये आवेदन-पत्र माननीय सिंचाई मंत्री की सिफारिश से सन् १९५४ में उनके पास आया था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, आया था।

*८--श्री रामसुन्दर पांडेय--यदि हां, तो कब तक उक्त सड़क के निर्माण हेतु कौन-सी कार्यवाही की गई है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--चीफ इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेश दे दिया गया है कि वे इस प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र होने के कारण मजदूरों को काम देने के लिये क्या इस सड़क का निर्माण इस वर्ष प्रारम्भ किया जा सकेगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अभी तो यह सड़क सम्मिलित नहीं है हमारे कार्यों में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में भी अभी कुछ निश्चित नहीं है, जैसा कि इसके उत्तर में है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि मधुबन से परसिया जाने वाली सड़क पर बरसात में पानी सड़क पर आजाने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह संभव हो सकता है श्रीमन्, लेकिन ऐसा बहुत सी सड़कों पर होता है जहां सड़क नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि इसी सड़क का एक हिस्सा रसड़ा-बिलथरा रोड, जिला बलिया तक जाने वाली सड़क पक्की की जा चुकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--हो सकता है, मुझे इसके संबंध में सूचना नहीं है ।

जौनपुर जिले में ट्यूबवेल्स की बोरिंग

*९--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कहां-कहां ट्यूबवेल्स की बोरिंग में सफलता तथा कहां-कहां असफलता मिली और जहां-जहां असफलता मिली वहां-वहां की बोरिंग में कितना-कितना रुपया नष्ट हुआ ?

श्री राममूर्ति--जौनपुर जिले में निम्नलिखित क्षेत्रों में बोरिंग किया गया और सभी क्षेत्रों में सफलता तथा असफलता मिली :--

(१) जौनपुर तहसील में गोमती नदी का उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र ।

(२) किराकत तहसील में गोमती नदी का उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र ।

(३) शाहजहांगंज तहसील ।

(४) मरिआहूं तहसील ।

(५) मछली शहर तहसील में सई नदी का दक्षिणी क्षेत्र ।

जिन नलकूपों को बोरिंग में असफलता मिली, उनमें ढाई लाख रुपया खर्च हुआ ।

*१०--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिले का निर्धारित कोटा कितना है और उसमें से कितने ट्यूबवेल्स सफलतापूर्वक बनाये गये तथा बाकी कहां-कहां बनाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--जिले के राजकीय नलकूपों का निर्धारित कोटा ११९ है उनमें से ५३ नलकूप सफलतापूर्वक बनाये जा चुके हैं । बाकी नलकूप किराकत तहसील में तथा बिसुही बांध दुआब में बनाये जायेंगे ।

*११--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जहां-जहां बोरिंग असफल हुई वहां-वहां पानी देने की कौन-सी योजना है ?

श्री राममूर्ति--जहां बोरिंग असफल हुई वहां शाहगंज, जौनपुर और किराकत तहसीलों के उत्तर गोमती क्षेत्र के अलावा, बाकी क्षेत्रों में नहर की योजना है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोरिंग हुआ है और वह असफल रहा है उसमें से कितने विभाग द्वारा कराया गया और कितना कम्पनी द्वारा कराया गया है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--उनकी संख्या तो मुझे मालूम नहीं है, इसकी सूचना नहीं है, सूचना मिलने पर बताया जा सकता है । लेकिन बहुत सी जगह विभाग द्वारा भी असफल हुये हैं और कम्पनी द्वारा भी असफल हुये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार को यह मालूम है कि विभाग द्वारा जो टेस्ट कराया जाता है उस पर एक हजार रुपया खर्च पड़ता है और जो कम्पनी द्वारा टेस्ट होता है उस पर दस हजार रुपया खर्च होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, कितना किस पर होता है मुझे याद नहीं है, इसकी सूचना मिलने पर बताया जायगा । लेकिन जो कम्पनी द्वारा बनाये गये कुएं असफल होते हैं उस पर खर्चा ज्यादा होता है और ठेके की शर्त के मुताबिक हमें देना पड़ता है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहां-जहां कम्पनी द्वारा टेस्ट किये गये हैं, वहां पर विभाग द्वारा टेस्ट कराने की कृपा सरकार करेगी और कहां-कहां कम्पनी द्वारा असफल हुये हैं और वहां पर विभाग द्वारा टेस्ट कराने पर सफल हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, इस संबंध में पहले भी निवेदन किया जा चुका है इसी सदन में कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है और उत्तर में भी आप देखें कि उस क्षेत्र में कुछ सफल हुये हैं और कुछ असफल हुये हैं क्योंकि भूमि का नीचे का स्तर एक-सा नहीं है। हमारा अनुभव यह कि एक स्थान पर कुयें बनाये और सफल हुये लेकिन उससे एक मील पर हट कर दूसरे कुयें बनाये तो उनमें पानी नहीं आया। यह ठीक है कि बहुत-सी जगह जहां कम्पनी द्वारा असफल हुये हैं वहां विभाग द्वारा सफल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—ऐसा वह समझते हैं कि आप छू देंगे तो सफल हो जायेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा भी हुआ है कि कहीं असफल हुए हैं और सौ गज हटने पर ही हम सफल हुये हैं। मैं समझता हूं कि यह तो भूमि और वहां के निवासियों के भाग्य की बात है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जहां-जहां बोरिंग असफल हो गयी है वहां-वहां सरकार कौन-सी योजना पानी देने के लिये सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नलकूपों में बोरिंग करने में सफलता मिल चुकी है क्या उनसे सिंचाई होने लगी है ?

श्री राममूर्ति—कुछ में हो रही है और कुछ में नहीं हो रही है। जहां पर बिजली पहुच गयी है या डिजिल इंजिन लग गये हैं वहां पर हो रही है और जहां पर यह नहीं लगे हैं वहां पर नहीं हो रही है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जहां-जहां यह ट्यूबवेल असफल रहे हैं उनके क्या क्या कारण थे ?

श्री राममूर्ति—आम तौर से जौनपुर जिले की बाबत हमारे माननीय मंत्री जी बता चुके हैं। जमीन के अन्दर क्या खराबी है और क्या अच्छाई है इसको तो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। किसी जगह पर अगर पानी नहीं मिलता है तो उसके १०० गज के फासले पर मिल जाता है तो इसके लिये क्या कहा जाय ?

चुंगी वापसी नियम को हटाने पर विचार

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रांत में किन-किन शहरों में चुंगी वापसी का नियम लागू है ?

स्वशासन उप मन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—इस प्रदेश में ५० नगरपालिकाओं तथा एक नोटीफाइड एरिया में माल पर चुंगी लगाई जाती है और इन सब में चुंगी वापसी का नियम लागू है। इन नगरों की एक सूची साथ में नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७०–१७१ पर)

*१३—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार जिन शहरों में चुंगी वापसी का नियम है उसको हटाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस बात की चेष्टा की जा रही है कि इस पर जल्दी निर्णय हो जावे ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कितने दिनों से वापसी चुंगी इलाहाबाद का मामला सरकार के सामने मौजूद है ?

श्री कैलाश प्रकाश—पिछले कई वर्षों से चल रहा है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इलाहाबाद के व्यापारियों ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री और न्याय मंत्री से भेंट की थी ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझसे पहले जो एल० एस० जी० के मिनिस्टर थे उनसे शायद भेंट की थी मुझसे कोई भेंट नहीं की ।

श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कभी इस बात की जांच की है कि स्थानीय तिजारत एवं नगरपालिका के हित को ध्यान में रखते हुये चुंगी वापसी की व्यवस्था रखना हितकर है या हटा देना ?

श्री सैयद अली जहीर—जो चुंगी की तारीफ कांस्टीट्यूशन में की गयी है उसकी रू से उस माल पर जो शहर में आवे लेकिन शहर में इस्तेमाल न हो या बिके नहीं उसके ऊपर वापसी लेना लाजिमी है और उसमें इसका सवाल नहीं आता कि शहर के लिये क्या मुफीद है और क्या मुफीद नहीं है?

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतलायेंगे कि मेरठ म्युनिसिपल बोर्ड में जो नई व्यवस्था चुंगी वापसी के लिये की गयी है वह क्या है और कहां तकसफ ल हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर—चुंगी नान-रिफंडेबिल हो वह चीज तो मेरठ के सिलसिले में पूरी हो चुकी है लेकिन अब सवाल यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड और कैन्टूनमेंट बोर्ड में वह अलग-अलग लागू हो या दोनों में मिलाकर लागू हो और अब इस मसले को हल करने की कोशिश है पर अगर अलग-अलग होगी तो कैन्टूनमेंट और शहर में बेरियर बनाना गैरमुमकिन है और जो नए नियम वहां के लिए बने हैं वह लागू कर दिये जायंगें ।

श्री जगदीश सरन—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन नगरों में चुंगी हटाने की मांग हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—कई नगरपालिकाओं से आई है, कहां-कहां से आई है यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या यह सही है कि प्रदेश के व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की है कि चुंगी वापसी का नियम हटाया जाय और वह चीजों के मूल्य के ऊपर न ली जाकर तोल पर ली जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—तोल के बारे में चुंगी की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन कई जगह से व्यापार मंडलों की मांग है कि वापसी चुंगी को समाप्त किया जाय ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि चुंगी वापसी के सम्बन्ध में बहुत से दलाल लोग व्यापारियों से अनुचित लाभ उठात हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसी शिकायतें कुछ जगहों से जरूर आई हैं ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—जिन नगरपालिकाओं में चुंगी वापसी का नियम नहीं है वहां वापसी का नियम लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—माननीय सदस्य को शायद इल्म हो कि अभी नए ट्रान्जिट पास रूल्स सरकार ने मंजूर किए हैं और वह अब तमाम सूबे में लागू कर दिए गये हैं और अब वह १५ अक्तूबर से लागू हो जायेंगे उनके मुताबिक यह होगा कि वह सामान जो किसी शहर में होकर महज रास्ते से जा रहा है और वह वहां इस्तेमाल न होगा, न बिकेगा उस पर, जब बसेज सामान लेकर पास होंगी तो वह पूरी उस सामान की चुंगी अदा कर देगी और जब वह शहर के बाहर जाने लगेंगी तो वह अपनी दी हुई वह चुंगी वापस ले लेंगी । इससे यह ख्याल है कि नान रिफंडेबिल आक्ट्राय की वजह से जो दिक्कत होती है वह दूर हो जायगी । यह मसला अलग है कि वह कहां जारी किया जाय और कहां न किया जाय, उस पर वक्त आयेगा तो गौर होगा ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को यह याद है कि इन्हीं टैक्सेशन के सिलसिले में सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी जिसका नाम था लोकल सेल्फ ग्रांट इन एड कमेटी, उसने इसके खिलाफ मुत्तफिका सिफारिश की थी कि उसको न लगाया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—एक कमेटी बैठी थी, उसकी क्या सिफारिश थी यह इस समय नहीं कहा जा सकता किन्तु जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि नगरपालिकाओं के कानून का एक संशोधन हुआ था जिसके द्वारा ही यह सम्भव हो सकता था कि हम बिना वापसी की चुंगी लगा सकें और उसके बाद यह सब चीजें विचाराधीन हैं जैसा कि उत्तर दिया गया ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—उत्तर प्रदेश में, कहा गया है कि, एक नोटीफाइड एरिया में यह सिस्टम लागू है तो वह कौन सी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—संडीला, जिला हरदोई ।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले साल माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह मांग की गई थी इलाहाबाद में कि वहां पर चुंगी माल की कीमत से हटा कर उसकी तौल पर कर दी जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—मैं समझा नहीं कि क्या आपका मतलब है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तीन या चार दिन हुये माननीय उपमंत्री जी इलाहाबाद गये थे और वहां व्यापार मंडल वाले उनसे मिले और उनकी बातचीत हुई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, मैं गया था और बातचीत भी हुई थी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि क्या बातचीत हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश—व्यापार मंडल वालों की मांग यही थी कि इलाहाबाद में बिना वापसी की चुंगी तमाम लगा दी जाय ।

पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत निर्मित नियम तथा पंचायतों के नियम

*१४—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बन गये हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार इन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, नियम ३ से २६ तक अंतिम रूप से बन चुके हैं और उनकी प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं ।

*१५—श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि पंचायतों के चुनाव आगामी अक्तूबर, सन् १९५५ ई० में हो जायेंगे ? यदि हां, तो क्या इस चुनाव के लिये मतदाता सूचियां तैयार हो गई हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं । केवल पहाड़ी जिलों के चुनाव अक्तूबर तक होंगे । शेष जिलों में पंचायत चुनाव दिसम्बर सन् १९५५ तक होंगे । मतदाताओं की सूचियां तैयार होकर अंतिम रूप से प्रकाशित हो चुकी हैं ।

*१६—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी पंचायतों की संख्या क्या है और नवीन योजनानुसार कितनी हो जायेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी पंचायतों की संख्या ३६,१४० है । नवीन योजनानुसार संख्या ७२४२२ हो जायेगी ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या अभी इन नियमों में और नियम जुड़ने हैं ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां । इन नियमों में और नियम बनने हैं । कुछ नियम तो गजट में प्रकाशित किये जा चुके हैं और आपत्तियां उन पर मांगी जा चुकी हैं और कुछ अब गजट में प्रकाशित करने के लिये भेजे जा रहे हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इन नियमों को सदन की मेज पर प्रस्तुत करके सदन के अन्दर उस पर बहस करने का अवसर देंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा मैंने निवेदन किया कि वह नियम गजट में प्रकाशित किये जा चुके हैं । आपत्तियां और सुझावों के आने के पश्चात् उनको कोई रूप दिया जायगा और उसके पश्चात् जब वह रूप दे दिया जायगा तब सदन की मेज पर रखा जायगा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जब नियम बन चुकेंगे तो वह तो विचारार्थ सदन की मेज पर रखे जायेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—मैं इस समय नहीं कह सकता कि माननीय सदस्यका किस आश्वासन से आशय है । किन्तु जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो बन चुके वह मेज पर रखे गये हैं और जो बनने वाले हैं वह भी रखे जायेंगे ।

परगनाधीश, देवरिया के पास पंचायती अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें

*१७—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पडरौना, हाटा, सलेमपुर, देवरिया तहसील, जिला देवरिया की अदालत पंचायतों द्वारा दिये जाने वाले फैसलों के खिलाफ एक जनवरी, १९५३ से ३१ जनवरी सन् १९५५ तक परगनाधीश के यहां कितनी अपीलें दाखिल हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—१,०६४ अपीलें दाखिल हुईं ।

*१८—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी परगनाधीश के यहां दाखिल हुई अपीलें कितनी खारिज हुईं और कितनी बहाल की गईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—३५९ खारिज हुईं और ५८३ बहाल की गईं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री देवरिया जिले की चारों तहसीलों में कितने मुकदमें हुए और कितने खारिज हुए इसकी तफसील बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—वे निम्न प्रकार हैं :—

	दाखिल हुई अपीलों की संख्या	खारिज की हुई अपीलों की संख्या	बहाल की हुई अपीलों की संख्या
देवरिया ..	२३७	४९	१५२
सलीमपुर ..	२१३	९८	११५
पडरौना ..	३३२	१२१	१६९
हाटा ..	२८२	९१	१४५

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिन अपीलों का उन्होंने हवाला दिया है उनमें अपीलें कोई नहीं थीं बल्कि सब निगरानी थीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—अब यह पंचायतों का मामला था । इसमें कानून व निगरानी या अपील जो भी होता हो वह चीज थी ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो मुकदमें खारिज हुए हैं उनका एक मात्र कारण यही था कि पंचायती अदालतों के मेम्बरों का कोरम मुकदमा होते वक्त पूरा नहीं था ?

श्री कैलाश प्रकाश—मेरे खयाल में तो ऐसी बात हो नहीं सकती, बाकी माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम होगा । मेरे पास उसकी तफसील है नहीं ।

माताटीला बांध के मजदूरों के रक्षा-प्रबन्ध व मजदूरी के संबंध में शिकायत

*१९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध (जिला झांसी) पर इस समय कितने मजदूर काम कर रहे हैं और वहां पर इस समय तखमीनन कुल कितनी आबादी होगी तथा लोगों की जानो-माल की रक्षा के लिये वहां पुलिस का क्या प्रबन्ध है ?

श्री राममूर्ति—इस समय लगभग १,००० मजदूर माताटीला बांध पर काम कर रहे हैं। बांध तथा मशीनों इत्यादि पर सरकारी कर्मचारियों को मिला कर कुल जनसंख्या लगभग २,५०० हो जाती है। इस बांध का कार्य उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत की सरहदों में पड़ता है। इन तीनों प्रदेशों की पुलिस अपने इलाके में जहां काम हो रहा है हमेशा गश्त करने जाती है।

*२०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि वहां पर कई बार फौजदारियां व खून खराबियां हो चुकी हैं ?

श्री राममूर्ति—लगभग ३ वर्ष से जब से बांध पर कार्य हो रहा है कुछ मामूली झगड़ों की वारदातें हुई हैं। केवल एक कत्ल हुआ है जिसकी जांच हो रही है।

*२१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि माताटीला बांध (झांसी) में ठेकेदार लोग मजदूरों को निर्धारित दर से कम मजदूरी देते हैं ?

श्री राममूर्ति—मजदूरों को कम मजदूरी देने की कोई शिकायत सरकार के नोटिस में नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बरसात के बाद वहां मजदूरों की संख्या कितनी बढ़ जाती है ?

श्री राममूर्ति—मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। आठ हजार तक बढ़ जाती है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त वारदातों को देखते हुए वहां पर एक पुलिस चौकी कायम करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—वहां से मिला हुआ एक टाउन एरिया है वहां पर पुलिस स्टेशन है। उस लिहाज से फिर इतने नजदीक एक पुलिस चौकी कायम करना कोई आवश्यक महसूस नहीं होता।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी मजदूरों की संख्या देखते हुए वहां पर एक वेलफेयर आफिसर मुकर्रर करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—यह मसला सरकार के विचाराधीन है और अगर यह मुनासिब समझा जायगा तो कर दिया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि गत वर्ष जब माननीय सिंचाई मंत्री बांध का निरीक्षण करने गये थे तो उनको मजदूरों ने एक एप्लिकेशन दी थी और उनसे एक डेपुटेशन मिला था कि उनको जो मजदूरी होती है वह नहीं दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे स्मरण नहीं है कि गत वर्ष मैं गया था। शायद उसके एक साल पहले जरूर गया था और वह काम शुरू हुआ था। मजदूरों की एक मीटिंग हुई थी उसमें यह कहा गया था और वहीं यह आदेश भी दे दिया गया था कि ठेकेदारों के काम का जो हमारे ४ आफिसर निरीक्षण कर रहे हैं वे इस बात पर भी निगाह रक्खें कि मजदूरों की मजदूरी में किसी प्रकार का कटाव नहीं होने पावे। तब से कोई विशेष शिकायत तो मेरे पास आई नहीं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह झगड़े वहां के काम करने वाले मजदूरों और वहां की स्थानीय जनता के बीच में होते हैं या मजदूरों में आपस में होते हैं ?

श्री राममूर्ति—मजदूरों में आपस में झगड़े होते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि माताटीला बांध कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री राममूर्ति— आशा की जाती है कि जून, १९५६ तक उसका प्रथम चरण तैयार हो जायगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि माताटीला बांध से वह टाउन एरिया जहां थाना है कितने मील का फासला है ?

श्री राममूर्ति—लगभग तीन या चार मील का फासला है।

अलीगढ़ जिले में वर्दवारी गांव के खारी कुओं से फसल को हानि

*२२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ के मुरसान परगने में वर्दबारी गांव का पानी इतना खारी है कि उससे फसल जल जाती है?

श्री राममूर्ति—वर्दबारी ग्राम के कुछ कुओं का पानी खारी है परन्तु अधिकतर कुओं का पानी पीने तथा खेती करने के योग्य है।

*२३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस गांव के एक ओर एक नहर और दूसरी ओर एक माइनर बहती है? यदि हां, तो इन दोनों के बीच का यही गांव नहर के पानी की सिंचाई से क्यों वंचित रखा गया है?

श्री राममूर्ति—वर्दबारी ग्राम के पश्चिम में रजबहा सादाबाद और उत्तर में कांका मेनर है। ग्राम का कुल क्षेत्रफल १२३३ एकड़ है, जिसमें ८०३ एकड़ भूमि को इन दोनों नहरों से सिंचाई सुविधा प्राप्त है शेष ३५० एकड़ भूमि ग्राम के चारों ओर है और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण नहरों द्वारा सींची नहीं जा सकती है।

*२४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय उक्त ग्राम के दोनों ओर से एक एक पानी का कुलाबा विशेष रूप से लगवाने की सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से?

श्री राममूर्ति—खाकी क्षेत्रफल नहरी सीमा से बाहर है और क्योंकि वह बहुत ऊंचा है, कुलाबों का लगाया जाना सम्भव नहीं है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच करायी गयी?

श्री राममूर्ति—जो अधिकारी नहर विभाग में काम करते हैं, वहां के इंजीनियर, वहां के जिलेदार वगैरह-वगैरह।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में कितने कुएं ऐसे हैं जिनके पानी से फसल जलकर नष्ट हो जाती है?

श्री राममूर्ति—कुओं का नम्बर तो मेरे पास है नहीं। माननीय सदस्य इसको बेहतर जानते होंगे, क्योंकि वह उस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन अगर वह ज्यादा जरूरत समझते हों कि मैं ही मालूम करूं, तो नोटिस देने पर मालूम कर दूंगा।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बंका माइनर की टेल का पानी जिन खेतों में जाता है उसकी भराई नहीं ली जाती?

श्री राममूर्ति—अगर वसूल नहीं की जाती है तो वसूल कर ली जायगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी प्रश्नकर्ता महोदय को सलाह देंगे कि खारी कुओं के क्षेत्र में गोभी की खेती करें तो उससे ज्यादा फायदा होगा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

सितारगंज तहसील, जिला नैनीताल की सिंचित भूमि का क्षेत्र बढ़ाने की मांग

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई दर घटाये जाने की घोषणा के बाद अब प्रदेश में विभिन्न नहरों के क्षेत्रों में निर्धारित दरें क्या हैं?

श्री राममूर्ति—सरकार ने १ अप्रैल, १९५३ से की गई बढ़ौती में ५० प्रतिशत की छूट (Rebate) रबी १९५४-५५ से दे दी है। यह छूट प्रचलित सिंचाई दरों का १/६ अंश है। इस छूट से बिजनौर नहर को छोड़ कर प्रदेश की अन्य नहरों तथा नलकूपों पर ली जाने वाली दरों में लगभग ३ आने प्रति रुपये की कमी हो गई है।

*२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास शिकायत आयी है कि सितारगंज तहसील, जिला नैनीताल में नहर रेट के बढ़ जाने के कारण सींची जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल से भारी कमी हो गई है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, पर इस तहसील में सिंचित क्षेत्र पिछले तीन वर्षों में घटा है। आशा है कि ५० प्रतिशत छूट से वर्तमान खरीफ में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी।

*२७—श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह उक्त सींची जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल बढ़ाने-हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राममूर्ति—जैसा कि ऊपर कहा गया है नहर रेटों में १/६ अंश की छूट दी गई है। इसके अलावा इस बात का प्रयत्न किया जावेगा कि और अधिक नहरें बनाई जायं तथा समुचित और सामयिक सिंचाई का प्रबन्ध हो सके जिससे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होने की आशा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने प्रश्न यह पूछा था कि विभिन्न नहरों के क्षेत्रों की निर्धारित दरें क्या हैं? तो दरें तो मुझे बतलाई नहीं गईं। क्या माननीय मंत्री जी दरें पढ़ देने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह शेडयूल गजट में छाप दिया गया है कि किस क्षेत्र में कौन-सी नहर है और उस नहर का रेट क्या है। गंगा कैनाल, जमना कैनाल और शारदा कैनाल आदि का क्या रेट है यह उसमें है और यह आपको उत्तर दिया जा चुका है कि औसत ३ आना सब जगह छट हो जाती है जो रेट है उस पर।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार अप्रैल, १९५३ से की गई बढ़ोत्तरी की तमाम दर पर रिबेट के तौर पर यह घटा देने का विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आज इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती क्योंकि गल्ले के भाव काफी बढ़ गये हैं।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि बिजनौर नहर का रेट क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बिजनौर नहर को इसलिये छोड़ दिया गया है कि बिजनौर नहर में १९५३ में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई थी, इसलिये उसमें कमी करने का कोई प्रश्न नहीं होता और इसलिये वहां वही रेट है जो १९५३ के पहले का।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नहर रेट में छूट देने के बाद भी किसानों से छूट के पहले वाला लगान वसूल किया गया है, यह शिकायत उनके पास आई है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और माननीय सदस्य जैसा फरमा रहे हैं वह अगर नोटिस में लायें तो वह रुपया उनको वापस कर दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि ३ आना छूट देने के बावजूद भी सिंचाई की दरों में भिन्नता है और यदि है तो कितनी ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है। इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सही है कि अनाज के भाव गिर जाने के कारण किसानों को नहर रेट देने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति—अभी अर्ज किया गया कि भाव पहले के मुकाबले में बढ़ गये हैं इसलिये जैसा माननीय सदस्य महसूस कर रहे हैं ऐसा किसान महसूस नहीं करते।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मौजूदा फसल में जो आबपाशी के परचे बनाये जा रहे हैं वह ३ आना रुपये की छट न देकर पहले के बढ़े हुए रेट से ही बनाये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग इस सीतारगंज तहसील का सिंचित क्षेत्र कितना रहा है ?

श्री राममूर्ति— इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। डिटेल यहां पर नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि बिजनौर में बढ़ोत्तरी क्यों नहीं की गई ?

श्री राममूर्ति—बिजनौर की नहर में टयूबवेल से पानी मिलता था इसलिये बढ़ोत्तरी नहीं की गई। बढ़ोतरी उन नहरों में की गई कि जिनको रेगुलर पानी की सप्लाई थी या इर्रेगुलर सप्लाई थी। चूंकि इसमें टयूबवेल से पानी दिया जाता था इसलिये इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जब से यह नहर रेट बढ़ा है तब से कुछ सिंचाई कम हुई है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई लगभग हर साल बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सिंचाई की रेटों में वृद्धि या कटौती के सम्बन्ध में विचार करने के लिये प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोई कमेटी बनाने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*२८—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[११ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

नहर मांट ब्रांच से पर्याप्त जल न मिलना

*२९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि नहर मांट ब्रांच अप्रैल व मई, सन् १९५५ में कितने सप्ताह चली ?

श्री राममूर्ति—नहर मांट ब्रांच अप्रैल, १९५५ में ३ सप्ताह तथा मई, १९५५ में २ सप्ताह चली थी।

*३०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर मांट ब्रांच व उसकी शाखाओं पर फसल सूखने की किसानों की शिकायतें उन्हें मिलीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—पेड़ी (Ratoon) ईख की फसल सूख जाने के बारे में कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। इन सबकी मौके पर जांच की जा चुकी है और नियमानुसार सिंचाई की दरों में छूट दी जा रही है।

कुछ प्रार्थना-पत्र अधिक पानी के लिये भी प्राप्त हुए थे परन्तु नदी में पानी की कमी के कारण मई के अन्तिम सप्ताह तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि फसल सूख जाने के बाद जो सिंचाई की दरों में छूट दी जा रही है वह रुपये पर कितनी दी जा रही है ?

श्री राममूर्ति—इसके तो नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार छूट दी जाती है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह छूट जो फसल के सूख जाने के कारण दी जा रही है वह किन-किन जिलों में दी जा रही है ?

श्री राममूर्ति—अब सब जिलों की तो फेहरिस्त मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य ने जहां के बारे में पूछा वहां के बारे में मैंने जवाब दिया।

श्री रामहेत सिंह—जिस मांठ गांव की बदौलत इस नहर का नाम मांठ ब्रांच पड़ा उसका ज्यादातर हिस्सा खाकी है, इस नहर से नहीं सींचा जाता। अगर हां, तो नहर से सींचने का प्रबन्ध सरकार करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां। सींचने का इन्तजाम किया जा रहा है। मांठ ब्रांच की जहां से शुरुआत है वहां टयूबवेल लगाये जा रहे हैं और २०० क्यूसेक्स जो पानी बचेगा वह माठ क्षेत्र को वहां भेजा जायगा।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब मेहरबानी फर्मा कर बतायेंगे कि जिन नियमों के मुताल्लिक अभी जवाब में हवाला दिया गया है तो वे नियम कामर्शियल बेसिस पर बने हुए हैं या इस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट की गरज से बनाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप नीति का सवाल पूछ रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह सब जानते हैं आपको स्वयं समझ लेना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस ब्रांच से खेतों की कै बार सिंचाई हुई ?

श्री अध्यक्ष—यह उत्तर में कहा गया कि ३ सप्ताह तक चलती है और मई में, दो सप्ताह चलती है यह लिखा है। अब कितनी बार हर एक खेत की सिंचाई हुई यह तो बहुत ब्यौरे का प्रश्न है।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब है कि एक बार सिंचाई हुई या दो बार हुई ?

श्री अध्यक्ष—आप आम तौर पर पूछना चाहते हैं । तो इसके लिये फिर से प्रश्न करें।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आम तौर से इस बांच से खेतों को कै बार पानी मिला ?

श्री राममूर्ति—पानी तो चलता रहा है यह तो किसानों के ऊपर है जितनी बार पानी देना चाहें दे सकते हैं ।

मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तहसील में सिंचाई के साधनों की कमी

*३१—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार ने जिला मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज टप्पा जसौली में तथा राबर्ट्सगंज से १६ मील पूर्व व २० मील पश्चिम के क्षेत्र में नलकूप बनाने की दृष्टि से कभी अनुसंधान कराया है ? यदि नहीं, तो क्या वह शीघ्र ही अनुसंधान कराने की कृपा करेंगी ?

श्री राममूर्ति—यह क्षेत्र राबर्ट्सगंज तहसील के पठार भाग में स्थित है और उसमें नलकूप बनवाने की दृष्टि से कोई अनुसंधान नहीं कराया गया है और न इस समय कोई ऐसा करने का प्रस्ताव ही है ।

*३२—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस क्षेत्र में नहरें होते हुये भी काफी समतल और उपजाऊ भूमि सिंचाई से वंचित रह जाती है ?

श्री राममूर्ति—केवल ऊंची भूमि वाले छोटे-छोटे स्थानों में, जो नहर के कमांड में नहीं आ सके, सिंचाई की सुविधा नहीं है । परन्तु वहां छोटी-छोटी बंधियां बनाने की योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके उस क्षेत्र की बोरिंग कराकर भूमि के स्ट्राटा का पता लगायेंगे ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि वह चूंकि प्लेटचू का एरिया है और वहां पत्थर बहुत हैं नीचे जमीन के इसलिए वहां ऐसा कोई विचार नहीं है ट्यूबवेल की बोरिंग कराने का ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वह क्षेत्र जिसका प्रश्न में जिक्र है वहां पत्थर नीचे नहीं पड़ता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जहां तक मैं समझता हूं वह तो वही है कि जहां पत्थर पड़ता है । मिर्जापुर में शहर के आप पास जहां कहीं देखा गया है पत्थर पड़ता है । अगर माननीय सदस्य कोई स्थान विशेष बता दें कि इस जगह पत्थर पड़ने वाला नहीं है तो हम बोरिंग कराने की कोशिश करें ।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज तहसील के अलावा मिर्जापुर के किस क्षेत्र में कितना ट्यूबवेल बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मिर्जापुर में इस पंचवर्षीय योजना में तो शायद जहां तक मुझे स्मरण है अगर मैं गलत नहीं कहता तो २२ या २३ नलकूप बने हैं किरियात के इलाके में, गंगापार, जहां अच्छी भूमि है ।

कंधारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*३३—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या कंधारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ के अन्तर्गत रहने वाले निवासियों ने सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र उक्त स्कीम के सम्बन्ध में सरकारी स्वीकृति वापस लेने और उसको लागू न करने के सम्बन्ध में दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री सैयद अलीजहीर—सर्वश्री जाफर मोहम्मद खां, हामी यारखां, महबूब अली खां, याकूब अली सिद्दीकी, उमाशंकर तथा एच० सी० भरों की ओर से दिनांक २३ अप्रैल, १९५५ ई० को एक प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि स्कीम को परिवर्तित कर दिया जाय या उसे रद्द कर दिया जाय। इस विषय में सरकार ने दिनांक १९ अगस्त, १९५५ को माननीय श्री श्रीचन्द्र द्वारा उठाए जाने वाले संक्षिप्त वादविवाद के अवसर पर स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

फतेहपुर जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसंधानिक नलकूप लगाने की योजना

*३४—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की केन्द्रीय सरकार से जो अनुसंधानिक ट्यूबवेल (नलकूप) मंजूर हुये हैं उनका काम कब से चालू होगा?

श्री राममूर्ति—अनुसंधानिक नलकूपों का स्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति नियत करेगी और इन नलकूपों का निर्माण भी केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा।

*३५—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नलकूप कहां कहां बनाये जायंगे?

श्री राममूर्ति—उक्त नलकूपों के स्थान पर उपरोक्त समिति द्वार ही तय किये जायेंगे।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विभाग को अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि नलकूपों का काम कब तक शुरू होगा?

श्री राममूर्ति—वह यह कहते हैं कि ५६ के आखीर में काम शुरू कर देंगे।

जिला बोर्ड फतेहपुर के रिक्त स्थान

*३६—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड, फतेहपुर के २ सदस्यों के अर्सा २ साल से जायद पाकिस्तान चले जाने व एक सदस्य के अर्सा १ साल से जायद स्वर्गवासी होने के बावजूद अभी तक उसके स्थान रिक्त घोषित नहीं किये गये और न उनकी पूर्ति के लिये कोई कार्यवाही ही की जा रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रिक्त स्थानों की घोषणा न किये जाने और उनकी पूर्ति न किये जाने के कारण क्या हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—स्थान रिक्त घोषित न किये जाने का कारण यह है कि दो सज्जन पाकिस्तान चले गये हैं और नियमानुसार उनको सूचना देकर उनका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। अब एक सूचना का जो दूसरा रूप है वह किया जा रहा है और शीघ्र ही वह दोनों स्थान अब रिक्त घोषित कर दिये जायंगे। जहां तक स्थान की पूर्ति का सम्बन्ध है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिनियम के अनुसार अभी तक सीट्स का रिजर्वेशन है। एक विधेयक सदन के सामने शीघ्र ही आने वाला है, उसके पास हो जाने के पश्चात् रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की व्यवस्था की जायगी।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि धारा १७४, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के मातहत मुसलमान मेम्बरों की मुस्लिम एजुकेशन कमेटी बनती है और फतेहपुर में दो मेम्बरों के न रहने की वजह से उस कमेटी का काम नहीं हो रहा है?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य कहेंगे तो यह सूचना प्राप्त कर ली जायगी।

श्री जगदीश सरन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्डों का चुनाव सरकार कब तक करने का विचार कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—मैं निवेदन कर चुका हूं कि एक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। उसके पेश हो जाने के पश्चात् यह रिक्त स्थान की पूर्ति की जायगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतालयेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में कोई ऐसा नियम नहीं है कि निश्चित मीटिंग अटेंड न करने का अनिश्चित काल तक गैर-हाजिर रहने के उपरान्त ये स्थान रिक्त घोषित किये जाते हैं?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य स्वयं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट देख सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया जाने वाला है वह कब तक प्रस्तुत किया जायगा?

श्री कैलाश प्रकाश—उसको शीघ्र ही प्रस्तुत करने का विचार है।

आजमगढ़ जिले में महोला गरवल बांध निर्माण योजना

*३७—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के सहनूपुर नैनीजोर बांध का निर्माण कार्य आरम्भ होगा?

श्री राममूर्ति—सहनूपुर नैनीजोर बांध का नाम अब महोला गरवल बांध हो गया है। इस योजना पर वर्षा ऋतु के पश्चात् कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बांध कितना लम्बा है और कहां यह काम शुरू होगा सब से पहले, और कितना रुपया खर्च होगा?

श्री राममूर्ति—बांध तो काफी लम्बा है और मैं अर्ज कर चुका हूं कि ३० लाख रुपया खर्च होगा और काम हर जगह शुरू होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध के बन जाने पर कितने एकड़ फसल की बचत हो सकेगी?

श्री राममूर्ति—लगभग ८८,००० एकड़ जमीन को इससे लाभ पहुंचेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बांध के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५६ के आखिर तक बन जायगा।

पंचायत राज इन्स्पेक्टरों के रिक्त स्थान

*३८—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि १५ जुलाई, १९५५ को प्रदेश में पंचायत राज इन्सपेक्टरों के कितने स्थानों पर पंचायत विभाग के सेक्रेटरी या क्लर्क कार्य कर रहे थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—१५ जुलाई, १९५५ को प्रदेश में पंचायत राज इंस्पेक्टरों के ६७ स्थानों पर सेक्रेटरी या क्लर्क कार्य कर रहे थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इनमें से कितने स्थानों पर सेक्रेटरी काम कर रहे थे और कितने स्थानों पर क्लर्क ?

श्री कैलाश प्रकाश—२५ स्थानों पर मंत्री, ७ स्थानों पर प्रधान लिपिक, ३५ स्थानों पर लिपिक काम कर रहे थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या कुछ समय पहले पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकार के पास उम्मीदवारों के "ए" और "बी" लिस्ट भेजी थीं ? यदि हां, तो उसमें से अब तक कितने आदमी नियुक्त किये जा चुके हैं और कितने बाकी हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, आयोग से प्रार्थना की गयी थी कि वह पंचायत निरीक्षक का चुनाव कर दे। आयोग ने जनवरी, १९५५ में चुनाव करके भेजे। २८ स्थानों की पूर्ति करनी थी, वह लिस्ट "ए" की, और उन्होंने एक दूसरी लिस्ट २० स्थानों की और बनायी, जो "ए" लिस्ट है उसमें सभी को स्थान मिल चुके हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो जब ६७ जगहों पर लिपिक या सेक्रेटरी काम कर रहे हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा "बी" लिस्ट के २० उम्मीदवारों को क्यों स्थान नहीं दिया जाता ?

श्री कैलाश प्रकाश—ये ६७ स्थान जो हैं अस्थायी हैं, क्योंकि इसमें से ५६ वह हैं जो नियोजन विभाग में लोग डपुटेशन पर गये हैं, वह भी वापस आ सकते हैं। १० मुअत्तल हैं, एक छुट्टी पर गये हैं। क्योंकि ये स्थायी स्थान हैं इसलिये उनको विभागीय कर्मचारियों से भर लिया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही नहीं है कि जो नियोजन विभाग में गये हैं वे जब तक नियोजन कार्य चलता रहेगा तब तक वहीं रहेंगे और वापस नहीं आयेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी तो वे यहां से डेलीगेशन पर गये हैं। जब इस प्रकार की कोई बात निश्चित रूप से हो जायगी तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

आजमगढ़ जिले में सर्वोत्तम कार्य के लिए ग्राम सभाओं को पुरस्कार

*३९—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में किन-किन ग्राम सभाओं को सर्वोत्तम काम करने के लिये पुरस्कार दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—विगत तीन वर्षों में जिन जिन गांव सभाओं को सर्वोत्तम काम करने के लिये पुरस्कार दिया गया उनकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७२ पर)

श्री विश्राम राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांव सभाओं को पुरस्कार दिया गया है वह रुपये का है या और किसी प्रकार का भी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—रुपयों में भी है और वस्तुओं में भी है।

महानगर हाउसिंग स्कीम, लखनऊ की प्रगति

*४०—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महानगर Housing Scheme, Lucknow ने अब तक क्या प्रगति की है ?

श्री सैयद अली जहीर—महानगर योजना के कार्य में पूर्णरूपेण गति लाने के विचार से योजना के क्षेत्र को चार भागों में विभक्त कर दिया है। इनमें से सर्वप्रथम भाग की उन्नति करने का कार्य शुरू किया गया। वैसे तो सम्पूर्ण योजना के लिये सामग्री आदि एकत्रित करने का कार्य इससे पहले भी किया जा रहा था। उदाहरणार्थ पानी ले जाने के अभिप्राय से सम्पूर्ण योजना के हेतु नल क्रय किये गये। भूमि का एक्वीजीशन किया गया आदि। प्रथम भाग में पानी के नल बिछा दिये गये हैं, तथा वहां पर उपयोग के लिये जल उपलब्ध भी कर दिया गया है; सड़कों के निर्माण के लिये आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं; तथा सड़कों पर ईंटें तक बिछाई जा चुकी हैं, नालियों के निर्माण का काम भी हो रहा है। नगर नियोजन के सिद्धान्तों के आधार पर बनाये गये नामचित्र के अनुरूप भूमि खन्डों को काट कर उन पर खम्भे लगा दिये गये हैं।

महानगर योजना के प्रथम भाग में कुल २६७ भूखन्ड हैं। इन भूखन्डों को बेचने का कार्य भी आरम्भ किया जा चुका है; और अब तक २२४ भूखन्डों का वितरण किया जा चुका है। दूसरे और तीसरे भागों के कुछ हिस्सों में ३०० से अधिक भूखन्डों के वितरण का प्रबन्ध किया जा रहा है, जो आशा है, आगामी ६ मास की अवधि में कर दिया जायेगा। इन भागों को उन्नत करने के लिये भी अन्य आवश्यक कार्य आरम्भ हो गये हैं, जैसे कि भूखन्डों का अलग-अलग निर्देशन, सड़कें बनाने के लिये मिट्टी की खुदाई तथा भूखन्डों का समानान्तर आदि किये जाने का कार्य।

योजना को आकर्षक बनाने के लिये प्रथम भाग में वृक्षारोपण का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

नगर नियोजन अधिकारी द्वारा कबाल टाउन्स में गृह निर्माण संबंधी जांच

*४१—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के नगर नियोजन अधिकारी ने कोई ऐसी जांच की थी कि कबाल टाउन्स में किस नगर को कितने कितने गृहों की तुरन्त आवश्यकता है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

गोंडा जिले की तरबगंज तहसील में नलकूपों का निर्माण

*४२—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तहसील तरबगंज में कितने ट्यूबवेल्स लगने जा रहे हैं और परगना-वार कितने लगेंगे ?

श्री राममूर्ति—जिला गोंडा, तहसील तरबगंज में २२ राजकीय नलकूप निम्नलिखित परगनों में लगाये जा रहे हैं:

(१)	परगना नवाब गंज ..	.. १३
(२)	,, महादेवा ..	.. ३
(३)	,, डिक्सर ..	.. ६
	योग	.. २२

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि महादेवा के क्षेत्रफल को देखते हुये वहां और नलकूप बढ़ाने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा यह भी पता लगा है कि वहां सम्भवतः १९ नलकूप हैं और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के जरिये से भी लग रहे हैं।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार को पता है कि जो सरकारी नलकूप लगे हैं वे चालू नहीं हैं और असफल हो चुके हैं ? इसको देखते हुये क्या सरकार राजकीय नलकूप लगाने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति—अगर वे असफल हो चुके हैं और कोआपरेटिव सोसाइटी उन्हें सिंचाई विभाग को देना चाहती है तो सिंचाई विभाग उनको ले लेगा और उनको ठीक तरीके से चालू करने की कोशिश करेगा।

गोंडा जिले के लिए बाढ़ नियंत्रण योजना

*४३—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में बाढ़ रोकने के सम्बन्ध में अब तक सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई और बाढ़ एरिया में स्वच्छ जल पीने के लिये कितने नल लगाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला गोंडा में निम्नलिखित बाढ़ नियंत्रण योजनाएं सरकार ने मन्जूर की हैं :

१—पी० डब्लू० डी० की सड़कों की पुलियों पर जलमार्गों का विकास	यह कार्य मुख्य इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें लगभग १२ पुलियां बननी हैं जिनकी अनुमानित लागत ८७,००० रु० है।
२—घाघरा नदी के बायें तट पर परसपुर-धरौरा बांध का निर्माण लम्बाई ३१ मील।	इस योजना की अनुमानित लागत २७ लाख रुपया है और यह ५१,००० एकड़ भूमि को लाभ पहुंचायेगी। वर्षा ऋतु के पश्चात् पूर्ण रूप में चालू होगा।
३—घाघरा नदी के किनारे गोंडा जिले में २०० जल मग्न ग्रामों की रक्षा।	इस योजना की अनुमानित लागत २० लाख रुपया है और इससे ग्रामीण जनों को अपने मकान उठे हुए स्थल पर बनाने का अवसर मिलेगा। इस योजना पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

२—इस जिले के बाढ़ क्षेत्र में स्वच्छ जल पीने के लिये ११२ नल लगाये गये हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ४२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

फर्रुखाबाद जिले में पंचायत राज मंत्रियों का अवशेष वेतन

*४४—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में पंचायत राज मंत्रियों का वेतन जुलाई, १९५२ से पहले का बाकी है? यदि हां, तो कितना है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। १६,७५६ रु० ३ आना वेतन स्वरूप अवशेष है।

*४५—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त बकाया वेतन मन्त्रियों को देने पर वह विचार कर रही है? यदि हां, कब तक?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। विभिन्न जिलों से ऐसे अवशेष वेतन की सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना एकत्रित होने पर बकाया वेतन देने का प्रबन्ध किया जायेगा।

जिला बोर्ड मंत्रियों के पद के प्रान्तीयकरण पर विचार

*४६—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बोर्डों व म्युनिसिपल बोर्डों के मंत्रियों के पद के प्रान्तीयकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इस पर अन्तिम निश्चय होगा?

श्री सैयद अली जहीर—केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेक्रेटरीज के पद के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय कब तक हो सकेगा, इसकी निश्चित तिथि अभी बताना सम्भव नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड के लिये मंत्रियों के पद के प्रांतीयकरण के प्रश्न पर जिला बोर्डों के सम्बन्ध में निर्णय हो चुकने पर विचार किया जायगा।

नल-कूप जल की दर

*४७—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि ट्यूबवैल का पानी वह किस हिसाब से दे रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ट्यूबवैल का पानी निम्नलिखित दरों से दिया जाता है:—

(१) स्टीम या जलविद्युत शक्ति गृहों की बिजली से चलाये जाने वाले नलकूप	१६,००० गैलन प्रति रुपया
(२) डीजिल इंजनों या डीजल शक्ति गृहों से चलाये जाने वाले नलकूप	११,००० गैलन प्रति रुपया

उपर्युक्त दरों में रबी १९५४–५५ से लगभग ३ आना प्रति रुपया छूट दी जा रही है।

आर्ट स्कूल स्टाफ के वेतन स्केल को बढ़ाने के लिये चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुजफ्फरनगर की प्रार्थना

*४८—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ने सन् १९४९ ई० में आर्ट स्कूल के स्टाफ के वेतन स्केल बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार को लिखा था? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। इस सम्बन्ध में आदेश शीघ्र ही जाने वाले हैं।

प्रतापगढ़ म्युनिसिपल क्षेत्र में जल-व्यवस्था पर व्यय

*४९—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ म्युनिसिपल क्षेत्र के लिये जल की व्यवस्था के सम्बन्ध में ट्यूबवेल निर्माण के लिये सरकार ने गत वर्ष और वर्तमान वर्ष में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की है और वह किस प्रकार खर्च हुई है और कितनी अभी शेष है ?

श्री सैयद अली जहीर—अक्टूबर, १९५१ में स्टेट हेल्थ बोर्ड ने २०,८०० रुपये का अनुदान एक ट्यूबवेल बनाने के लिये दिया था जिसमें से १८,७२७ रुपया व्यय हो चुका है और २,०७३ रुपया शेष है ।

प्रतापगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड जल वितरण योजना के लिये सरकार ने वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में ५०,००० रुपये का ऋण तथा १९५४-५५ में १,३६,७०० रुपये का ऋण भी दिया है ।

इस योजना के अन्तर्गत ३० जून, १९५५ तक १,२४,०७१ रुपया पानी के नल, ईंटा, चूना, लोहा इत्यादि खरीदने व अन्य नल कूपों के बनाने में खर्च हो चुका है तथा ६२,६२९ रुपया शेष है । इस वित्तीय वर्ष में भी अभी कोई और ऋण नहीं दिया गया है ।

*५०—श्री रामअधार तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ म्युनिसिपल क्षेत्र में जल की व्यवस्था के सम्बन्ध में ट्यूबवेल निर्माण की क्या प्रगति है ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रतापगढ़ में चार भिन्न-भिन्न स्थानों पर नल कूप खोदने का प्रयास किया गया। दो स्थानों पर संतोषजनक पानी का सोता न मिलने के कारण नलकूप असफल रहे परन्तु दो स्थानों पर अभी काम जारी है ।

बिजनौर जिले में फौजदारी के विचाराधीन मुकदमें

*५१—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में फौजदारी के ऐसे कितने मुकदमें हैं जो तीन महीने से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी अभी तक अदालतों में पड़े हुये हैं और तय नहीं हुये ?

श्री सैयद अली जहीर—१ सितम्बर, १९५५ ई० को जिला बिजनौर में ऐसे २१ मुकदमे थे ।

*५२-५३—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[१८ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियरों के कार्य

*५४—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग के किस-किस चीफ इंजीनियर को किन-किन कार्यों का भार सौंपा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियरों को जो कार्य सौंपे गये हैं वे इस प्रकार हैं:

(१) श्री ए० सी० मित्रा, चीफ इंजीनियर—

क—रिहन्द डाम सर्किल, इलाहाबाद ।

ख—रिहन्द डाम एन्ड प्लानिंग डाइरेक्टोरेट, इलाहाबाद ।

इसके अतिरिक्त चीफ इंजीनियर पर सिंचाई विभाग के शासन की पूरी जिम्मेदारी व निगरानी का कार्य है । वे ५० लाख से ऊपर की सब योजनाओं को, जिसके लिये सरकार

की स्वीकृति लेनी होती है देखते हैं। पालिसी के मामले और ऐसे केस जो कई सर्किलों में से सम्बन्धित होते हैं इनको देखने पड़ते हैं। नई और अनुपूरक व्यय की मांगें, अतिरिक्त स्टाफ की मांगें तथा अन्य आवश्यक मामले, जिन्हें अतिरिक्त चीफ इंजीनियर जरूरी समझें, उन्हें भी चीफ इंजीनियर देखते हैं।

(२) श्री बी० पी० सक्सेना, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर --

क--चौथा सर्किल, इर्रीगेशन वर्क्स, झांसी।
ख--बुन्देलखंड डेवलपमेंट सर्किल, इलाहाबाद।
ग--ईस्टर्न सर्किल, लखनऊ।
घ--फ्लड सर्किल, गोरखपुर।
ङ--ट्यूबवेल सर्किल, गोरखपुर।
च--फ्लड सर्किल, फैजाबाद।
छ--एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग सर्किल, कानपुर।

(३) श्री आर० सी० सहाय, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर --

क--पहला सर्किल, इर्रिगेशन वर्क्स, मेरठ।
ख--दूसरा सर्किल, इर्रिगेशन वर्क्स, इटावा।
ग--तीसरा सर्किल, इर्रिगेशन वर्क्स, आगरा।
घ--ट्यूबवेल सर्किल, मेरठ।

(४) श्री बी० एन० खत्री, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर --

क--पांचवां सर्किल, इर्रिगेशन वर्क्स, बरेली।
ख--छठवां सर्किल इर्रिगेशन वर्क्स, लखनऊ।
ग--शारदा कान्स्ट्रक्शन सर्किल, बरेली।
घ--कुमायूं गढ़वाल, इर्रिगेशन डिवीजन।
ङ--ट्यूबवेल सर्किल, मुरादाबाद।

पंचायत मंत्रियों व इन्सपेक्टरों की तैनाती के लिए सुझाव

*५५--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश निकाले हैं कि पंचायत के सेक्रेटरी जिस तहसील के रहने वाले हैं उस तहसील में न रक्खे जायं तथा पंचायत इन्स्पेक्टर भी जिस जिले के रहने वाले हैं उसमें न रहें? यदि सरकार ने ऐसे आदेश नहीं निकाले, तो क्या उन्हें अब निकालने पर विचार करेगी?

श्री सैयद अली जहीर--पंचायत सेक्रेटरी के सम्बन्ध में ऐसे कोई आदेश नहीं हैं जिसके अनुसार वे अपने निवास स्थान की तहसील में न रखे जायं। पंचायत इन्सपेक्टर के सम्बन्ध में शासकीय आदेश हैं कि उन्हें उनके निवास-स्थान के जिलों में न नियुक्त किया जाय।

*५६--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतरौली तथा सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) की चुंगियों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पास हो चुके हैं? यदि हां, तो नये चेयरमैनों का चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। सिकन्दराराऊ बोर्ड में नये प्रेसीडेंट का चुनाव हो चुका है। अतरौली बोर्ड में भूतपूर्व प्रेसीडेंट के विरुद्ध एक चुनाव याचिका (Election Petition) एलेक्शन ट्रिब्यूनल के विचाराधीन है। इस पर निर्णय होने तक इस बोर्ड में नये प्रेसीडेंट का चुनाव कराना ठीक नहीं मालूम होता।

धारा ११० (क) म्युनिसिपैलिटीज अधिनियम, १९१६ के अन्तर्गत नगरपालिकाओं की कथित यूनियन

*५७—श्री इस्तफा हुसैन—क्या धारा ११० (क) म्यूनिसिपैलिटीज अधिनियम, १९१६ के अनुसार प्रदेश की नगरपालिकाओं ने कोई यूनियन बनाई है?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

*५८—श्री इस्तफा हुसैन—यदि हां, तो क्या सरकार ने यूनियन के कार्य करने के बारे में कोई नियम बनाये हैं?

श्री सैयद अली जहीर— प्रश्न नहीं उठता।

कबाल नगरों में कारपोरेशन बनाने का विचार

*५९—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि KABAL शहरों में Corporations बनाने और उनके चुनाव कराने के बारे में वह क्या करने जा रही है?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार प्रयत्न कर रही है कि कारपोरेशन बिल सदन के सामने जल्द ही आ जाये। चुनाव का प्रश्न बिल पास होने के बाद उठेगा।

उन्नाव जिला बोर्ड को सड़कों की मरम्मत के लिए अनुदान

*६०—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिला बोर्ड को गत वर्ष सड़कों की मरम्मत के लिये सरकार ने कितना रुपया दिया?

श्री सैयद अली जहीर—सन् १९५४–५५ में जिला बोर्ड, उन्नाव को सड़कों की मरम्मत के लिये ५३,८०० रुपये का सरकारी अनुदान दिया गया था।

*६१—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस मद का सम्पूर्ण रुपया सड़कों की मरम्मत के काम में नहीं लाया गया?

श्री सैयद अली जहीर—समयाभाव के कारण यह रुपया १९५४–५५ में नहीं व्यय किया जा सका। इस धन से चालू वित्तीय वर्ष में सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है।

गोरखपुर जिले में छितौनी घाट पर बांध निर्माण

*६२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में देवरिया की रक्षा के लिये छितौनी घाट पर बड़ी गन्डक की बाढ़ को रोकने के लिये कोई बांध बांधा गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर जिले में देवरिया की रक्षा के लिये छितौनी घाट पर बड़ी गंडक की बाढ़ को रोकने के लिये बांध बनाया जा रहा है।

*६३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार के पास आवेदन-पत्र आये हैं कि इस बांध के कारण गोरखपुर जिले की महराजगंज (उत्तरी) के लक्ष्मीपुर भाग को बड़ा खतरा पैदा हो गया है तथा वर्तमान बाढ़ में वह स्थान संकटापन्न है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में सरकार को केवल प्रश्नकर्ता के ही दो पत्र, दिनांक २६ मई और २४ नवम्बर, १९५४ प्राप्त हुए हैं।

*६४—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस बांध में ऐसा परिवर्तन करने का विचार कर रही है जिससे लक्ष्मीपुर को खतरा न रहे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस बांध से लक्ष्मीपुर के क्षेत्र को कोई हानि नहीं होगी। उस क्षेत्र को बड़ी गंडक के जल से जो बनवरिया नदी में आ जाता है हानि पहुंचती है।

इस क्षेत्र की बाढ़ को रोकने के लिये बड़ी गंडक पर एक बांध बनाने का विचार है और इस विषय में नैपाल राज्य से लिखा-पढ़ी हो रही है।

आजमगढ़ जिले में नल-कूपों का निर्माण

*६५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की किन-किन तहसीलों में कितने ट्यूबवेल ३१ मार्च, १९५४ के बाद बनाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले की भिन्न-भिन्न तहसीलों में ३१-३-५४ के बाद निम्नलिखित राजकीय नलकूप लगाये गये हैं :

तहसील			नलकूपों की संख्या
आजमगढ़	..	..	११
सगड़ी	..	..	२६
फूलपुर	..	..	७
लालगंज	..	..	६
मोहम्मदाबाद	..	..	४
कुल		..	५४

*६६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के पूर्व क्षेत्र में कितने नलकूप बनाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के पूर्वी क्षेत्र में केवल १ राजकीय नलकूप मानिकपुर गांव में बनाया गया है।

तारांकित प्रश्न १ के उत्तर में अशुद्धि को ठीक करने के लिए प्रार्थना

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं एक भूल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज के प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है उसके उत्तर में बताया गया है कि ग्राम पूनापार सगड़ी तहसील में स्थित है। यह ग्राम पूनापार सगड़ी में नहीं बल्कि घोसी तहसील में है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार इसको ठीक कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी से आप कहें उनके उत्तर को दुरुस्त मैं नहीं कर सकता हूं। वही अपने उत्तर को दुरुस्त कर सकते हैं और यहां सदन में बता सकते हैं।

सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना जानना चाहता हूं कि ३० तारीख तक सदन चलेगा या २९ तारीख तक, इस सम्बन्ध में सदन ने क्या निश्चय किया है?

श्री अध्यक्ष--उस रोज माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया था कि ३० तारीख के बाद सदन बन्द रहेगा लेकिन ३० तारीख के सम्बन्ध में फिर विचार किया जायगा। उनको कोई भी आपत्ति नहीं है। ३० तारीख को भी सदन के न बैठने में क्यों कि वह अनन्त चतुर्दशी का दिन है। कल मैंने पूछा था और माननीय जगन्नाथमल्ल जी भी राजी हैं कि जब और लोग चाहते हैं तो उनको भी आपत्ति नहीं है। इसका मतलब मालूम होता है कि ३० तारीख को सदन चाहता है कि बन्द रहे तो ३० तारीख को भी सदन नहीं बैठेगा। ३० तारीख से ९ तारीख तक सदन बन्द रहेगा।

उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन को मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७३-१७५ पर)

बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन को मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७६-१७७ पर)

*कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है दो दफात हैं कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, दफा ४०८ और ४०९ और इन दोनों दफात में...

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य बाहर जाना चाहें तो जरा शान्तिपूर्वक जायं, जोर से आवाज करते हुये न जायं।

---

* १९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

श्री सैयद अली जहीर—इसमें किस तरह से यह हमारे सूबे में लागू था उस शक्ल में और उसमें जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किया है और जो अब लाने वाले हैं उसमें बहुत थोड़ा सा फर्क हो गया है। फर्क बहुत ही कम है जैसा कि देखा जायगा कि अब तक यह अलफाज थे कि :—

"A Sub-Divisional Magistrate of the Second class or a Magistrate of first class or the District Magistrate."

उसकी जगह पर "Any Magistrate." अलफाज रखे गये हैं। इसी तरह से प्रोविजो (ब) में "of any sentence of transportation." वहां नहीं है, लेकिन हमारे यहां था। इसलिये जरूरी है कि हम भी अपने यहां के इस कानून को वैसा ही कर दें जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। इस तरह से दफा ४०६ में भी बहुत थोड़ा सा फर्क है। इसमें यह है कि अपील के लिये यह होना चाहिये कि :—

"(1) Subject to the provision of the section an appeal to the court of Sessions Judge shall be heard by the Sessions Judge or by an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge:

Provided that no such appeal shall be heard by an Assistant Sessions Judge unless the appeal is of a person convicted on a trial held by any Magistrate of Second or third class.

(2) An Additional Sessions Judge or Assistant Sessions Judge shall hear only such appeals as the State Government may, by general or special order direct or as the Sessions Judge of the division may make over to him."

और जो हमारे यहां पहले कानून था उसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है, हमारे यहां यह था कि अपील जो है, मेरा ख्याल है कि सेशन जज को पावर थी और वह अपील सुन सकता था इसके लिये इसकी जरूरत पड़ी। दूसरी चीज यह कि जो उससे छोटी कोर्ट होती है एडीशनल सेशन जज वगैरह की तो उनको भी यह अख्तयार दिया जाय। इसके लिये जरूरत पड़ी कि इसको तरमीम कर दें केन्द्रीय सरकार के कहने पर, वहां से खत आया था उसके बाद यह बिल वहां भेजा गया तो उन्होंने मंजूरी दी कि ऐसी तरमीम की जाय। लिहाजा यह विधेयक हाउस के सामने पेश किया गया है और मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो यह विधेयक केवल जो केन्द्र से पिछले वर्ष विधेयक पारित हुआ था उसके ही आधार पर और उसी की पुष्टि करने के लिये लाया जा रहा है ताकि यू० पी० के कानून में और केन्द्र के कानून में कोई भेद न रहे और कानूनी विवाद किसी प्रकार का और कोई गलतफहमी न रहे। श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब यह विधेयक लाया गया था तो यहां पर विरोधी दल की तरफ से यह कहा गया था कि जितने भी इस प्रकार के संशोधन आवें उनमें कम से कम केन्द्रीय सरकार की सलाह लेनी चाहिये। क्योंकि आप जानते हैं कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर केन्द्र का विषय है। चूंकि कान्फरेन्स लिस्ट में यह माना जाता है इसलिये हम भी इस सम्बन्ध में अपने प्रदेश की स्थिति के अनुसार विधेयक बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है कोई प्रदेश अपना कानून बनाने लगे और अपना संशोधन करने लगे तो नतीजा यह होता है कि केन्द्रीय विधान में और प्रदेश के विधान में विवाद खड़ा होता है और विशेषकर जो उनका इन्टरप्रिटेशन होता है उसमें अदालत को बड़ी दिक्कत होती है। मिसाल के लिये यह जो विधेयक आज आया है उसमें कोई सिद्धान्त की बात नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो मालूम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा कि धारा ४०८ में पहले सन् १९४८ में इस सदन में संशोधन किया गया था। सन् १९४८ में ४०८ में अपील करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्थान पर असिस्टेंट सेशन जज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दिया गया था और इसकी परिभाषा उसमें रखी गयी थी। उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर ३४९ और ३८० के मातहत किसी सेकिंड क्लास मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का फैसला हो तो उसकी अपील भी सेशन कोर्ट में हो सकती है। यह संशोधन सन् १९४८ में पास किया गया था। आज जो संशोधन आ रहा है वह दूसरा है कि मजिस्ट्रेट सेकिंड क्लास और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो फैसले हों उनकी अपील हो सके इसके स्थान पर "एनी मजिस्ट्रेट" करने का यह संशोधन आ रहा है क्योंकि यदि ४४९ और ३८० में कोई फैसला हुआ है तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में हो सकती है। इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है। केवल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सेकिंड क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्थान पर "एनी मजिस्ट्रेट" किया जा रहा है।

जहां तक दूसरे संशोधन का सवाल है जब पार्लियामेंट में इस संबंध में विधेयक हुआ था तो बहस हुई थी। जो प्रतिबन्ध दिखाया गया था उस ४०८ का उसमें पहले यह था कि किसी को आजन्म की सजा हो तो उस आजन्म सजा के संबंध में हाईकोर्ट में अपील हो सकती थी तो अब इस संशोधन के द्वारा हाईकोर्ट में अपील नहीं हो सकेगी चूंकि यह खंड २ के उपखंड (स) के अनुसार यह शब्द निकाले जा रहे हैं। तो मैं अब इस समय यहां अधिक कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि पार्लियामेंट से यह कानून बन चुका है। हमने सन् ४८ में संशोधन किया था लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ने यह पास कर दिया इसलिये हमें भी मजबूरन यह पास करना पड़ रहा है हमारे पार्लियामेंट के ऐक्ट में यह है कि ट्रांसपोरटेशन फार लाइफ की अपील हो सकती है, वह हमारे यहां पहले से ही हो सकती तो यह विरोध हो जायगा, तो हम मजबूर थे पार्लियामेंट के ऐक्ट को मानना ही था लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पुरानी नीति थी सन् ४८ की वह ज्यादा सही था और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में दोबारा कोशिश करें हालांकि मैं यह स्वीकार करता हूं कि माननीय मंत्री जी मजबूरी से ही यह संशोधन लाये हैं उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी, अगर होती तो यह सन् ४८ में ही संशोधन लाते। अब मैं उन से मांग करूंगा कि वह केंद्रीय सरकार का जो कानूनी विभाग है, जो वहां का लीगल विभाग है या जो भी वहां के ला मिनिस्टर हैं उन से बातचीत कर के वह इस संबंध में दोबारा परामर्श करें। मैं नहीं जानता कि पिछले साल जो पार्लियामेंट में कानून बना उस से पहले राज्य सरकार से उस संबंध में राय ली गई या नहीं लेकिन अगर ली गई थी तो मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार ने सन् ४८ के संशोधन बिल के आधार पर ही राय दी होगी। मैं जानना चाहूंगा कि वह राय यहां से ली गई या नहीं और अगर वह ली गई तो वह कोई विशेष गुप्त राय न होगी और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस राय को बता कर सदन को अनुगृहीत करें।

तीसरा संशोधन जो धारा ४०९ में हो रहा है उस में यह बात कहीं स्पष्ट नहीं हुई कि उस धारा में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। मैं समझता हूं वह केवल शब्दों का हेरफेर है। वह धारा ४०९ सन् ४८ के ऐक्ट के अनुसार इस प्रकार है:—

"409. An appeal to the Court of Session or Sessions Judge shall be heard by the Sessions Judge or by an Additional Sessions Judge;

Provided that an Additional Sessions Judge shall hear only such appeals as the Provincial Government may, by general or special order, direct or as the Sessions Judge of the division may make over to him."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बिलकुल यही भाषा यहां जरा सुन्दर रूप में रख दी गई है केवल शब्दावली को सुधारने के लिये यह संशोधन रखा गया है और बाकी संशोधन में कोई अन्तर नहीं है वही बात इस में भी लिखी है कि:

"409 (1) Subject to the provision of this section, an appeal to the Court of Session or Sessions Judge shall be heard by the Sessions Judge or by an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge:

Provided that no such appeal shall be heard by an Assistant Sessions Judge unless the appeal is of a person convicted on a trial held by any Magistrate of second or third class."

"एनी मैजिस्ट्रेट" पहले स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह के मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं अब यह है कि कोई भी हो सकते हैं उनकी श्रेणी दी गई है। पहले ४८ के ऐक्ट में जो था वही नये उपखंड के रूप में आ गया, जो पहले प्राविजो था वह नया उपखंड बना दिया गया है बाकी कोई विरोधाभास नहीं है। इस तरह से केवल शब्दों को ही सुन्दर बनाने का सवाल है, इस में मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन ऐसी अनावश्यक चेष्टा न की जाय तो अच्छा है। मैं इसका समर्थन करते हुये केवल इतना ही चाहता हूं कि मंत्री जी बतायें कि इस सरकार की क्या राय केंद्रीय सरकार को गई और क्या वह इस संबंध में जैसा कि मैंने कहा कोई चेष्टा इस तरह की कर सकते हैं या नहीं। दफा ५६२ के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को जो २१ साल से कम का है और उसने अगर पहले ही कसूर किया है, फर्स्ट आफेंडर है तो उसकी जन्म के कारावास की सजा एक बान्ड भरवा कर छोड़ी जा सकती है। और उसके संबंध में अगर वह कोई सेंकन्ड या थर्ड क्लास का मैजिस्ट्रेट है तो धारा ३८७ के अनुसार वह उस केस को फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिफर कर सकता है और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फैसला करता है उसकी अपील का प्राविजन हाई कोर्ट में था। यह मैं समझता हूं उचित नहीं है मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस संबंध में अपना मत व्यक्त करे।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी माननीय मंत्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह है कि जो अब तक क्रिमिनल केसेज की अपीलों के सुनने का प्रोसीजर था उसको बहुत सिम्पलीफाई कर दिया गया है। पहले तो यह रहा कि मैजिस्ट्रेटों की किस्में गिनाई गई थीं। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदि। अब इसको सीधा कर दिया गया क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी केस को सुनता नहीं और अब जितने केसेज हैं मैजिस्ट्रेटों द्वारा फैसल होते हैं उनकी इस विधेयक की धारा ४०८ के अनुसार अपीलें सुनी जायेंगी अब इसमें वह हमारा जो प्रोसीजर है बहुत सिम्पिल हो गया है और सीधा सादा हो गया है और समझ में आने लायक हो गया है। मैं समझता हूं कि अगर वह गौर करें तो वह बात कुछ नहीं है क्योंकि पहले तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर्स थीं क्रिमिनल केसेज को सुनने की और वह हायर सेंटेंसेज भी पास कर दिया करता था मगर अब तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर्स नहीं दी गई हैं किसी क्राइम केस को सुनने की। इसलिये जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स में ट्रांस्पोर्टेशन आफ लाइफ नहीं है वह इसलिये कि ४०८ में वही अपीलें सुनी जायेंगी जिनको सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट फैसला करेगा। चूंकि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो कोई केस सुनता नहीं इसलिये ट्रांसपोरटेशन आफ लाइफ का सवाल नहीं उठता। अब ट्रांसपोरटेशन आफ लाइफ देता है सेशन्स जज। यह अपीलें जो हो रही हैं वह सेशन्स जज के यहां या एडीशनल सेंशंस जज के यहां हो रही हैं। तो जो ऐनामली उनकी दिमाग में आयी वह इस तरह से बहुत काफी सिम्प्लीफाई हो जाती है। अब जो रह जाती है ४०९ की बात। इसमें इस बात की कोशिश की गई है कि इस मामले को कुछ सिम्पलीफाई किया जाय। मैं समझता हूं कि अब भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है जिससे गलतफहमी हो सकती है। इसका सबसेक्शन वन अगर बदल

दिया जाता और ढंग से रख दिया जाता तो न इसके प्राविजो को रखने की जरूरत थी न सब सेक्शन ४ की जरूरत थी। सीधी सी बात है कि सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के फैसले की अपीलें सेशन्स जज सुनेगा और बकिया कोर्ट्स आफ सेशंस, सेशंस जज या एडीशनल सेशन जज सुनेगा। यह बात ऐसी है कि इसके बाद अब न प्राविजो रखने की जरूरत है और न सब-सेक्शन दो की जरूरत थी। इसको ढंग से रख दिया जाता तो मैटर बहुत सिम्पिल हो जाता और अब आगे चलकर आप देखेंगे कि जितने कोड आफ सिविल प्रोसीजर, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर सब के सब अपने देश की भाषा में परिवर्तित होने जा रहे हैं और इसलिये उनके सामने अंग्रेजी लेंगुएज कुछ इस प्रकार से रखने की जरूरत है जो समझ में आने के लायक हो और जिसका उल्था करना बहुत सिम्पिल सा रहे। तो मैं समझता हूं कि इस बात को इस तरह से परिवर्तित कर लें कि जो अपीलें थर्ड क्लास और सैकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट की होंगी उनको असिस्टेंट जज सुनेंगे और बाकी जो अपीलें होंगी.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं जब संशोधन क्लाज बाई क्लाज आवें तब आप इस पर कह सकते हैं।

श्री बलवन्त सिंह--बहुत अच्छा।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ४०८ और ४०९ में कुछ संशोधन करता है। सन् ४८ में इस सरकार ने सेक्शन ४०८ और ४०९ में कुछ संशोधन किया था और उस समय संशोधन करने का उद्देश्य यह था कि उसके जरिये एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग करने का मकसद था और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को सैकिंड क्लास और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के द्वारा मुकदमों को फैसलों की अपील सुनने का अधिकार था वह अधिकार जो संशोधन सन् ४८ में हुआ उसके जरिये खत्म हुआ। इस वक्त इस विधेयक में जैसा कि और माननीय सदस्यों ने जो मुझ से पहले बोल चुके हैं कहा कि इस संशोधन से कोई अधिक महत्व दिखाई नहीं देता। इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में यह जरूर लिखा है कि सन् ४८ में जो संशोधन हुआ है अब केंद्रीय सरकार से जो इसमें तरमीम हुई है वह करीब-करीब उसी आधार पर है, कुछ शब्दों का हेर-फेर है। इसमें यह लिखा हुआ है :

"As the form now being given to these sections in the Central Bill is slightly different from and wider in scope than the sections as amended by the State Legislature, it is expedient that these sections as at present applicable to U. P. should be amended so that after the Central Bill has become an Act and comes into force, the same version as introduced by the Central Act should be in force in U. P. as well."

जहां तक कुछ शब्दों के हेर-फेर से संबंध है वहां तक तो मैं इसको समझ सकता हूं लेकिन वाइडर स्कोप जो सेंट्रल बिल का है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किस आधार पर यह वाइडर है। जो वास्तविक बिल है वह इस वक्त मेरे पास मौजूद न होने से मैं नहीं बतला सकता कि किस हालत में इसका स्कोप वाइडर है। जो अधिनियम इस वक्त मौजूद है उसमें अब फर्स्ट या सैकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट के बजाय एनी मैजिस्ट्रेट रख दिया गया है तो यह बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट क्लास, सैकिंड क्लास, थर्ड क्लास या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय अब और एनी मैजिस्ट्रेट सबस्टीट्यूट कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा और प्राविजो बी में जो माननीय नारायण दत्त जी ने आपत्ति उठाई थी उसको मेरे मित्र बलवन्त सिंह ने दूर कर दी है क्योंकि ट्रांस्पोरटेशन आफ लाइफ का जहां तक इस बिल में संबंध है यह सजा वही दे सकता है जिसको ऐसे मुकदमे सुनने का अधिकार है और वह अधिकार सेशन जज को है और इसमें जो संशोधन है वह तो सिर्फ एपेलेट जूरिसडिक्शन के

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

संबंध में है। लिहाजा मेरे दोस्त को कोई आपत्ति न होनी चाहिये कि एडीशनल सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज या सेशन जज तीनों अपीलों को सुनेंगे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेशन जज को है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में यह है कि एडीशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज अपीलें सुनने का अधिकार रखते हैं। लेकिन इसमें यह कर दिया गया है कि असिस्टेंट सेशन जज सिर्फ उन्हीं मुकदमों या एडीशनल सेशन जज उन्हीं मुकदमों की अपील सुनेंगे जिनको गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करें अथवा सेशन जज उनके सुपुर्द करे। और दूसरा इसमें एक प्रतिबन्ध यह है कि असिस्टेंट सेशन जज को अपीलें सुनने का अधिकार केवल उन्हीं मुकदमों में रहेगा जिनमें कि सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट से कंविक्शन हुआ हो। अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से कंविक्शन हुआ है तो असिस्टेंट सेशन जज को अपील सुनने का अधिकार नहीं रहेगा। यह इसमें स्पष्ट है। लेकिन जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा इसको और सिम्पिल किया जा सकता है। साधारण बात यह है कि अपील सुनने का अधिकार तीनों को है, सेशन जज, एडीशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज को केवल उन्हीं मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार होगा जिनमें सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट ने कंविक्ट किया हो। जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने सुझाव दिया इसकी शब्दावली सीधी और सिम्पिल हो सकती थी। किन्तु शायद इसमें बाधा होगी कि सेंट्रल ऐक्ट में ऐसे शब्द आ रहे हों। इसलिये मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, १९४७ के बाद से जब से इस प्रदेश में कांग्रेसी सरकारें आयीं या प्रजातंत्र हुआ तब से यह जनता की तरफ से और विभिन्न पार्टियों की तरफ से लगातार मांग होती रही है कि क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड और इंडियन पैनल कोड में समुचित सुधार किये जायं। इस सरकार ने श्री बांचू की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बिठायी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनायी और उसमें बहुत व्यापक रूप से लम्बे चौड़े सुझाव दिये। लेकिन आज नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी दशा है कि क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड और इंडियन पैनल कोड में समुचित सुधार न होने के कारण, या जैसा कि बांचू कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अदालतों में जो कार्यवाहियां होती हैं उनमें कोई सीधा और सरल तरीका न निकलने से न्याय बहुत महंगा हो रहा है। यों तो सरकार इस बात की डींग हांकती ही है कि क्राइम कम होता है। लेकिन बजट के वक्त पर विशेष पुलिस के लिये पैसा मांगा जाता है या और पुलिस के लिये पैसा मांगा जाता है। उस समय सरकार की कलई खुलती है क्योंकि बजट को आइना होता है। उससे कोई सरकार बच नहीं सकती। अभी कलही सप्लीमेंटरी बजट में स्पेशल पुलिस के लिए पैसा मांगा गया है जो सिद्ध कर रहा है कि जुर्म बढ़ रहे हैं। एक तरफ क्राइम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हाईकोर्ट में मांग है कि जज बढ़ाये जायं। उसकी तरफ भी उपेक्षा की जा रही है। आशा तो यह थी कि बांचू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में व्यापक रूप से, एक लम्बा चौड़ा संशोधन पेश होगा। लेकिन माननीय मंत्री जी सिर्फ इसी पर संतोष कर रहे हैं। उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से खत आ गया कि वहां क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड की कुछ धाराओं में थोड़े से शब्दों में हेरफेर हो रहा है इसलिये परिवर्तन होना चाहिये। इसलिये उन्होंने अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली। मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसको महसूस करते हैं और बराबर घोषणा करते हैं। विरोधी दल तो मांग करता ही है।

आज जो कचहरियों की हालत है, जो मुकदमे पहले दो तीन महीने में हो जाते थे अब तीन-तीन वर्ष तक नहीं होते। मजिस्ट्रेट जिनका काम मुकदमे करना है उनसे दूसरे काम लिये जाते हैं और लगातार मिनिस्टरों के दौरे वगैरह में काफी मशगूल रहते हैं। बाढ़ के दौरे के सिलसिले

में उनके प्रोग्राम्स की वजह से काफी लिटिगेंट पब्लिक को परेशानी हुई और एक मंत्री का जाना काफी पर्याप्त समझा जा सकता था लेकिन एक-एक जिले में पांच-पांच छः-छः मिनिस्टर और राज्यपाल तक गये और बाढ़ के कार्य में बाधा पड़ी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप इस विधेयक पर ही बोलिये तो ठीक होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं खत्म कर रहा हूं। तो सरकार ने उस तरफ ध्यान न देकर कोई व्यापक सुधार नहीं किया और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो शब्दावली आ गई जिसका कि कोई विरोध नहीं किया जा सकता, उसे यहां रख दिया है। मैं समझता हूं कि आज नहीं तो निकट भविष्य में हम, विरोधी दलों की मांग को ध्यान में रखते हुये बांचू कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह सरकार इसमें शीघ्र ही व्यापक सुधार करेगी जिससे कि जनता की मांग पूरी हो सके।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है हमने इसके उद्देश्य और कारणों को ध्यान से देखा और कोशिश की यह जानने की कि जो उद्देश्य और कारण लिखा हुआ है उस पर माननीय मंत्री जी और क्या रोशनी डालते हैं मगर कोई नयी रोशनी माननीय मंत्री जी की ओर से नहीं मिली। श्री रामनारायण जी को सुनने का मौका हुआ। इसके उद्देश्य और कारण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि "क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट का बिल जो केंद्रीय सरकार के सामने विचारार्थ है और जिस तरह से पार्लियामेंट उसका संशोधन करेगी" वह अभी संशोधित हो रहा है। उसमें अभी संशोधन हुआ भी नहीं है। तो श्रीमन्, इस बात से भी सफाई नहीं हुई कि जिस रूप में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन होगा। इसमें जो उद्देश्य और कारण लिखा हुआ है पहले उसी के मुताबिक हमको चलना चाहिये। उद्देश्य और कारण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि....

श्री अध्यक्ष---आप किसको जवाब दे रहे हैं?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, पीछे से कोई आवाज आई।

श्री अध्यक्ष---पीछे रामनारायण जी बैठे हुये हैं।

श्री राजनारायण---तो मैं आपके द्वारा यह अर्ज कर रहा था कि उसके उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट बिल द्वारा संशोधन हो रहा है। अगर यह संशोधन हो चुका है तो उसकी कापी हम को मिलनी चाहिये और फिर उसकी कापी को देख कर हम अच्छी तरह से विवाद कर सकते हैं और मैं, श्रीमन्, आपको सूचित कर दूं कि आज मुझको मौका मिला था माननीय मंत्री जी से फोन पर बात करने का। तो उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि यह बिल इस तरह का है, उसमें क्या खास बात है। उस समय भी मुझको कोई विशेष रोशनी नहीं मिली। तो मैं समझता था कि कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो जनता के हित के लिये है और मेरे दिल में यह था जब मैंने एजेंडा देखा कि धारा १०७, ११७ और १५१ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की है उनमें सरकार संशोधन करने जा रही है और इसलिये जल्दी-जल्दी यहां आया भी नहीं। सोचता था कि अच्छा है कि इन दफाओं ११७, ११६ आदि में अमेंडमेंट हो जाय तो जो गलत मुकदमे हम लोगों पर चल रहे हैं वह सब वापस हो जायेंगे। अब श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह विधेयक २५ जुलाई से सदन के सामने है और सदस्यों को पहले से मालूम है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ठीक है । कभी-कभी ऐसा कार्यक्रम होता है कि आपकी उदारता से एजेंडा भी परिवर्तित हो जाया करता है । तो हम लोग सोचते थे कि जब यह आयेगा तो उसी समय इसको अच्छी तरह से देख लेंगे । छोटा सा विधेयक है और इसलिये जब हमने इसको एजेंडा पर देखा तो माननीय मंत्री जी के पास फोन द्वारा पहुंचने की कोशिश की । अब श्रीमन्, बड़ी परेशानी यह हो जाती है कि जब हम इसका दूसरा क्लाज देखते हैं और उसमें यह देखते हैं कि :—

"A Sub Divisional Magistrate of the second class"

'or the District Magistrate or a Magistrate of the First dlass' के स्थान पर शब्द "'any Magistrate' रख दिये जायं । यह अमेंडमेंट के रूप में ऐसा आ रहा है कि जहां पहले सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट रहा हो या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहा हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हो वहां पर शब्द रखे जा रहे हैं " any Magistrate " । अब इसमें कितनी धांधली होगी श्रीमन्, क्योंकि आप स्वतः भी और हम सब लोग इसके मुक्तभोगी होंगे। हम समझते हैं इसके अन्दर आनरेरी मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किये जाते हैं वह भी आयेंगे और किस तरीके से आज आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जा रहे हैं और. . .

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा उसको समझ लें । अपील का सवाल है । उस को कृपा करके पढ़ लें ।

श्री राजनारायण—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर, १८९८ की धारा ४०८ देख ली जाय उसमें लिखा है:—

"408. Any person convicted on a trial held by an Assistant Sessions Judge, a District Magistrate or other Magistrate of the first class, or any person sentenced under section 349 (or in respect of whom an order has been made or a sentence has been passed under section 380) by a Magistrate of the first class, may appeal to the Court of Session:"

आपने समुचित स्थान पर ध्यान आकर्षित किया कि अन्य कोई भी मजिस्ट्रेट अगर कोई हुक्म किये होगा तो उसकी भी अपील होगी । इसके अलावा पहले ही, अध्यक्ष को क्या मुबारक दिया जाय उन्होंने उचित स्थान पर ध्यान आकर्षित किया और वह ठीक है । उसमें हमने आपके द्वारा संशोधन भी किया । हमारा केवल इतना कहना था कि जब ऐनी मजिस्ट्रेट यहां पर आया था तो हमारी जो आशंका थी, आगे तो ठीक है हो सकता है उससे गलत आर्डर हो, उसकी अपील हो और उसके द्वारा गुंजाइश मिले । मगर बुनियाद चीज जब कि सरकार अमेंडमेंट करने जा रही है तो अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज का मौजूदा क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में बना था और वही आज इस सरकार के जमाने में भी चालू है तो जिस प्रोसीज्योर के मुताबिक ला एंड आर्डर मेन्टेन करती थी साम्राज्यशाही हुकूमत अगर उसी से यहां की जनता की हुकूमत मेन्टेन करे तो बड़ा फर्क होता है ।

श्री सैयद अली जहीर—माननीय सदस्य को फिर कुछ गलतफहमी है, मैं जरा साफ कर दूं अगर आपकी इजाजत हो अध्यक्ष महोदय । जहां तक क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में अमेंडमेंट का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा बिल सेन्ट्रल लेजिस्लेचर से पास हो चुका । चुनांचे यह बिल मंजूर हो चुका पहले से और इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने अपनी असेन्ट भी दे दी है और यह गजट में भी छप चुका है १० अगस्त को और गजट ऐक्स्ट्रा आर्डिनरी में १२ अगस्त सन् १९५५ को छप गया और उसी में जहां और सब बातें हमारे कानून में हैं वह यहां भी लागू हो जायेगा । लेकिन इस दफा में जो तरमीम थी इसको करने की जरूरत पड़ी । तो यह न समझा जाय कि महज इसी दफा में तरमीम करके बैठ जायं, बल्कि सेन्ट्रल लेजिस्लेचर का जो कानून है वह हमारे यहां लागू होगा और अपने यहां ऐप्लाई करेगा पहली नवम्बर से ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की मगर हमारा तो श्रीमन्, मौलिक प्रश्न था । हम तो मौलिक प्रश्न उठा रहे हैं । अब माननीय मंत्री जी बात करने में लगे हुए हैं । मैं अर्ज कर रहा था आपके द्वारा सरकार से कि सरकार जरा ध्यान दें और.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य बीच में न आवें इससे डिस्टर्बेंस होता ह ।

श्री राजनारायण—तो मैं यह अर्ज कर रहा था माननीय अध्यक्ष के द्वारा सरकार से कि जब सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में संशोधन किया था पिछले साल और सरकार के दिमाग में उसके नुक्ते नजर में यह बात आयी थी कि संशोधन का होना जरूरी है और जो असंगतियां रह गईं पिछले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के संशोधन में और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से चाहती है उसमें भी उस असंगति को दूर करने के लिये सरकार कहती है कि अब हम पुनः अपने यहां संशोधन ला रहे हैं तो इसमें तो अब कोई दो राय नहीं होनी कि यह इस सरकार को अधिकार है अपनी सीमा के अन्तर्गत कि वह अपने यहां उचित स्थानों पर संशोधन कर ले, तो इसी बात को हम सरकार के ऊपर प्रेस कर रहे हैं कि जब एक अमेंडमेंट का विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है तो उसी को हम और व्यापक क्यों न बनायें और अधिक व्यापक बना करके उसमें से तमाम असंगतियों को दूर करने की कोशिश क्यों न करें । बार-बार सदन में अमेंडमेंट के रूप में विधेयक आये और हम सब लोगों का समय उसी पर जाय इसके लिए मैं निवेदन कर रहा था श्रीमन्, और मैं फिर भी माननीय मंत्री जी को याद दिला दूं कि हमारा तो कहना यह था कि चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो चाहे सूबा की सरकार हो, केन्द्रीय सरकार ने भी जो संशोधन उसमें किया है उसमें कुछ अधिकारों का हनन हुआ है, उसमें जनता को अधिकार व्यापक ढंग से मिले नहीं हैं ।

हमारा कहना यह है कि हमारे यहां के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा १०७ जो है क्या उस १०७ दफा की समानान्तर कोई दफा किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में माननीय मंत्री जी बता सकते हैं ? यह जो ११७ दफा है उसके समान कोई दफा अन्य किसी दूसरे मुल्क में जो कि सभ्य कहे जाने वाले मुल्क हैं, उनमें माननीय मंत्री जी बता सकते हैं ? इसी तरह से १५१ है श्रीमन् । यह मुझे इसलिए याद है श्रीमन्, कि आज कल हम लोगों के ऊपर १०७ और ११७ के अधीन मुकदमे चलाये जाते हैं और हमें जेल में बन्द किया जाता है । अभी भी जैसा कि आपको मालूम है श्रीमन्, मेरे ऊपर १०७ और ११७ की कार्यवाही आज तक चल रही है यद्यपि सेशन जज ने उसे अवैधानिक करार दे दिया लेकिन चूंकि वह उसे क्वैश नहीं कर सकता था इसलिए अभी वह हाई कोर्ट में चल रहा है । और आपको मालूम है श्रीमन्, इसी में मेरी एक महीने की सैलरी भी कट गई । मैं जेल से छूटा और फौरन १०७ और ११७ की कार्यवाही करके फिर मुझे बन्द कर दिया गया और श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वह असंगत है । आप अपना किस्सा न बयान करें ।

श्री राजनारायण—ठीक है श्रीमन्, मैंने प्रसंगवश कह दिया । कोई मेरी इच्छा नहीं थी यह सब कहने की । तो यदि सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन करना चाहती है तो सरकार को यह मैं बताना चाहता हूं, गणतंत्र के छठवें वर्ष में जब संशोधन की बात दिमाग में आयी तो दफा १०७ में क्यों नहीं संशोधन किया, दफा ११७ में क्यों नहीं संशोधन किया, दफा १५१ में क्यों नहीं संशोधन किया ? अब आगे श्रीमन्, देखा जाय "मैजिस्ट्रेट" । आज कल एक आर्डर सरकार का निकला हुआ है जिसमें बहुत से लोगों के दिमाग में बुद्धि विभ्रम था, एक नया शब्द निकला, और एक नये तरह के नए मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं 'पेरोल मैजिस्ट्रेट' । बहुत से वकील और बहुत से मैजिस्ट्रेट भी नहीं समझ पाते थे कि आखिर इस

[श्री राजनारायण]

पेरोल मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या होगी ? क्या वह भी मुकदमें के बूझने का काम करेगा या दूसरी कोई खास ड्यूटी उसकी होगी और अगर होगी तो उसके लिए किसी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति आवश्यक थी या नहीं थी । हम अच्छी तरह से जानते हैं श्रीमन्, और मैं यह समझता हूं.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि बजट के विवाद के वक्त में पेरोल मैजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हो चुकी है ।

श्री राजनारायण—ठीक है श्रीमन्, मैं कल परसों यहां था नहीं ।

श्री अध्यक्ष—कल परसों की बात नहीं है । पहले बजट जब आया था उसी समय चर्चा हो चुकी है ।

श्री राजनारायण—पिछले बजट के मौक़े पर तो श्रीमन्, मुझे स्मरण नहीं है कि इस पर चर्चा हुई थी ।

श्री अध्यक्ष—मैं ठीक-ठीक कह नहीं सकता लेकिन उसी मौके पर या बाद में किसी समय उस पर चर्चा यहां सदन में हुई थी ।

श्री राजनारायण—ठीक है श्रीमन्, मैं उस पर जाना नहीं चाहता । यह केवल इसलिए कह रहा था कि सरकार की ओर से इस तरह की कार्यवाहियां हो रही है । अब जो यह ४०८ और ४०९ में संशोधन हो रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी देखा जाय । इसमें समन केस के अतिरिक्त क्रास-एग्जामिनेशन पर भी असर पड़ेगा । क्रास-एग्जामिनेशन एक बार होना चाहिये या दो बार ? क्रास-एग्जामिनेशन एक बार होने से जो अक्यूज्ड है उसको फायदा होता है या क्रास-एग्जामिनेशन की गुंजायश अगर दो बार रखी जाय तब उसको फायदा होता है ? श्रीमन्, जितने अच्छे-अच्छे वकील हैं और ऐसे ऐसे लोगों से भी बातचीत करने का मौका मिला जो कि हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं । तो वह लोग इस पर काफी सशंक हैं और उनका कहना है.....

श्री अध्यक्ष—आप किससे संबंधित करते हैं क्रास-एग्जामिनेशन के प्रश्न को ?

श्री राजनारायण—जब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था और विवाद हुआ.....

श्री अध्यक्ष—विधेयक में कहां यह बात आयी है ?

श्री राजनारायण—सेशन और असिस्टेंट सेशन जज के क्या अधिकार होंगे, उसी में लाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—उसमें आ नहीं रहा है । आप ओरिजनल जुरिस्डिक्शन की बात कुछ कर रहे हैं । यह कहीं इसमें आता नहीं है ।

श्री राजनारायण—इसके जो उद्देश्य और कारण लिखे हुये हैं, उस पर मैं बोल रहा हूं उसमें यह लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल .....

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दूंगा उसकी । आप विधेयक पर आये हैं तो विधेयक से शुरू कीजिये ।

श्री राजनारायण—मैं इस सम्बन्ध में आपकी आज्ञा चाहता था कि उद्देश्य और कारण की चर्चा हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—वहां से शुरू करके फिर पीछे से शुरू करना चाहते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—मुझे इस पर ज्यादा नहीं कहना है। जो यह विधेयक इस समय उपस्थित किया गया है यह अपर्याप्त विधेयक है। इससे हमारे मंशा की पूर्ति नहीं हो रही है। जिस तरह से अंग्रेजी जमाने से क्रिमिनल प्रोसीडर कोड से खराबी आती रही है, नागरिकों के अधिकारों का अपरहण होता रहा है और अत्याचार होता रहा है, इससे कोई भी रुकता नहीं है। तो सरकार को इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा अमेंडमेंट प्रस्तुत करना चाहिये जिसके द्वारा जो १०७, ११७ और १५१ की दफा हैं और इस तरह से जो ब्रिटिश साम्राज्यशाही द्वारा बनायी गयी बेहूदा और जनता के अधिकारों को छीनने वाली दफाएं हैं, उनके सशोधन हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई विशेष आपत्ति नहीं है, इस विधेयक को वह सिलेक्ट कमेटी के अन्दर ले जायं और हम जो सुझाव दे रहे हैं उसका समावेश करते हुए एक शानदार विधेयक प्रस्तुत करें, जिससे जनता के दिल में उत्साह हो कि यह जो सरकार है यह नागरिकों के अधिकारों की ओर सचेष्ट है और अगर माननीय मंत्री जी सिलेक्ट कमेटी में ले जाने के सुझाव को नहीं मानेंगे तो मैं समझूंगा कि सरकार अब भी वही ब्रिटिश साम्राज्यवादी तरीका ही चला करके ला एन्ड आर्डर को मेनटेन करना चाहती है जो किसी भी जनतंत्रीय हुकूमत के लिये एक शर्म की बात है।

मैं श्रीमन्, एक निवेदन और करना चाहूंगा। हो सकता है कि सरकार की ओर से यह तर्क किया जाय, या दूसरों की ओर से कि राज नारायण जी का जो सिलेक्ट कमेटी संशोधन है यह डिले करने के लिये है, तो मैं आपके द्वारा साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा मकसद डिले करने का नहीं है। कतई डिले नहीं चाहता और कतई यह नहीं चाहता कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार का इस सम्बन्ध में अगर कहीं मतभेद हो तो वह दूर न हो। मैं चाहता हूं कि वह दूर हो। इसके लिये चाहे एक हफ्ते का समय कर दिया जाय या जैसा सुनने में आया है कि कुछ समय के लिये सदन स्थगित हो रहा है तो जब फिर सदन मिले, चाहे वह ११ हो चाहे १२ हो, तो उस समय हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैं चाहता हूं कि एक सेलेक्ट कमेटी के पास इस विधेयक को भेजा जाय और सही मानों में जनतांत्रिक बुनियादी अधिकारों को देखते हुये जो आज जनता को नहीं मिल पा रहे हैं हम लोग अपने संशोधन पेश करें और तब फिर वह विधेयक इस सदन के सामने पेश हो।

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन कृपा करके भेज दें।

श्री राजनारायण—जी हां।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, इस भवन में जो यह कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५ रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जहां तक धारा ४०८ और ४०९ का सम्बन्ध है उसमें जो शब्द असिस्टेंट सेशन्स जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थे उनमें से जो शब्द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निकाले जा रहे हैं उसमें एक तत्व है। सन् ४८ तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार था कि मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के फैसलों के विरुद्ध अपीलों को वह सुन सकता था। सन् ४८ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का यह अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब चाहे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास, कोई भी मैजिस्ट्रेट हो उसके फैसले के विरुद्ध अपील सेशन्स जज के यहां होती है। लिहाजा जो शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास" हैं उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मेरे दोस्त श्री बलवन्त सिंह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो अपीलें करते ही नहीं हैं, यह बात नहीं है। आमतौर से तो नहीं करते लेकिन वे कर सकते हैं। जिन जिलों में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन

[श्री बीरेन्द्र पति यादव]

है कानूनन वहां तो नहीं कर सकते हैं लेकिन जहां यह सेपरेशन नहीं है वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इम्पार्टेंट केसेज को कर सकता है। और आम तौर से देखा गया है कि हाई कोर्ट के सामने ट्रांसफर के संबंध में केसेज जाते हैं तो उन जिलों के लिये जहां सेपरेशन नहीं है वहां हाईकोर्ट यही डायरेक्शन दिया करता है कि यह केस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अमुक जिले को भेजा जाता है। या तो वह खुद ही इसको डिस्पोज आफ करे या अन्य किसी मैजिस्ट्रेट को वह उचित समझे भेज दिया जाय। तो ये जो शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास" थे ये निरर्थक थे। हमारे विरोधी दल के सदस्य श्री राजनारायण ने कहा एसा कुछ मालूम हुआ उनके कहने से कि अभी तक मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास के जो फैसले होते थे उनके विरुद्ध अपील ही नहीं हुआ करती थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा लेकिन इसको कई बार दोहराया, जो उनके कहने का तरीका था उससे अर्थ निकलता था कि मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास के फैसले के विरुद्ध अपीलें होती ही नहीं हैं।

जहां तक धारा ४०८ और ४०९ का सम्बन्ध है उसकी भाषा का जहां तक प्रश्न है और उसके नाते जो संशोधन माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जहां तक उस भाषा का क्या भाव है, जो ४०८ और ४०९ संशोधित धारायें हैं उनका भाव और जो पुरानी धारा है ४८ के अमेंडमेंट ऐक्ट में, मैं समझता हूं कि दोनों का मतलब एक ही है। किसी तरह से भाषा में यह नहीं है कि जो अभी पेश किया जा रहा है उसका कोई दूसरा मतलब हो और जो ४८ में पास किया गया था उसका कोई दूसरा मतलब हो। सिर्फ उसमें दो ही चीजें हैं। इसके प्रोवाइजो में लिखा है:

"Provided that no such appeal shall be heard by an Assistant Sessions Judge unless the appeal is of a person convicted on a trial held by any Magistrate of second or third class."

यह जो प्रोवाइजो रख दिया गया है वह ४८ का जो अधिनियम है उसकी मूल धारा में सम्मिलित है। मैं समझता हूं कि यह एक तरह से ठीक है। प्रोविजो जो लगाया जा रहा है वह जो मूल धारा है उससे एक अलग सी चीज है तो उसको इसमें जोड़ दिया गया है और भाषा जो १९४८ की है, जिसमें यह प्रोविजो शामिल है, मैं समझता हूं कि वह टेढ़ी है और काम्पलीकेटेड हो जाती है और १९४८ के ऐक्ट की जो धारा है जिसमें यह प्रोविजो लगा हुआ है उसका मतलब समझने में हम लोगों को शायद देर लगती है। इस लिये प्रोविजो जो लागया गया है, मैं समझता हूं कि वह उचित ही है।

जहां तक दूसरे क्लाज का सवाल है जो दफा ४०९ में दिया गया है वह इस प्रकार है कि:—

"(2) An Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge shall hear only such appeals as the State Government may, by general or special order, direct or as the Sessions Judge of the division may make over to him."

यहां ४०९ को उपधारा कर दी गई है। लेकिन ४८ में इसको प्रोविजो कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि इसको भी हटा कर उप धारा की शक्ल में रखना ठीक ही है। प्रोविजो तो इससे संबंध होता तब हो जाता। लेकिन यह कि एडीशनल सैशन्स जज या सेशन्स जज उनको सुन सकेंगे जिनको अधिकार गवर्नमेंट दे या सेशन्स जज जैसा उचित समझे तो मैं समझता हूं कि यह भी ठीक ही है। जो पहले की धारा और अबकी धारा है उसमें कोई अंतर नहीं हैं, भाव एक ही है और जहां तक भाषा का सवाल है जो आज लिखी जा रही है वह सरल और अच्छी तरह से आसानी से समझ में आती है और कठिनाई और दिक्कत पैदा नहीं हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार इस विधेयक पर प्रगट करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जनता के हित के दृष्टिकोण से यह विधेयक बहुत ही उद्देश्य पूरक है। थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के फैसले की सुनवाई सेशन्स जज या सहायक सेशन्स जज के द्वारा होने की बात इस विधेयक में है यह सर्व मान्य बात है कि सेशन्स जज सब जुडीशियल कांशंस के होते हैं। अब तक एग्जीक्यूटिव के भार से लदे हुये थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट का निर्णय फर्स्ट क्लास करते थे तब तक इतना न्याय नहीं हो पाता था और जनता को भी असंतोष हो जाता था। एजुडीशियरी और एजीक्यूटिव के विभाजन का जो आन्दोलन था जो उसके अन्दर भी एक ही बात थी वह अब ऐसे समय में थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के किये हुये फैसले की सुनवाई सेशन्स जज या सहायक सेशन्स जज के यहां सुनवाई होने जा रही है, तो ऐसे पुनीत विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात है, यह मेरी समझ में नहीं आती है। यह तो जनता के लिये घातक सिद्ध होगा और इसके सिवाय कुछ नहीं होगा कि इस पुनीत विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेज कर विलम्बकारी नीति का आश्रय लिया जाय और किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं हमारे अन्य मित्रों ने कहा है कि पहले के विधेयक में और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैं कहता हूं कि यही एक बहुत बड़ा फर्क है कि हमारी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट सो ओथोराइजेज, यानी सेशन्स जज के सिपुर्द होता था तो किसी भ्रम से स्टेट गवर्नमेंट से समर्पित नहीं होता था तो अवैधानिक दोष आ जाता था, उसे निकाल दिया गया है और अब उन्हीं को अधिकार दे दिया गया है और व्यवहार में जैसा आ रहा है ऐसा ही प्रायः होता है जनता के हित के दृष्टिकोण से या सुविधा के दृष्टिकोण से यह विधेयक बहुत ही उद्देश्य पूरक है। इसके सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात में कोई विवेक नहीं दीखता है और मूर्च्छा दीखती है। ऐसा विचार भी नहीं है कि यह उद्देश्यपूरक नहीं है लीगल टैकनेलिटीज का उद्देश्य पूरक नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं जो सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव आ रहा है उस पर कुछ कहूं मैं यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि इस विधेयक का जो नाम रखा गया है उसमें परिवर्तन होना चाहिये। यह जो कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर विधेयक, १९५५ रखा गया है इसका नाम बदलना चाहिये। हम लोग आमतौर पर जाब्ता फौजदारी कहते हैं लेकिन हिन्दी में उसको भारतीय दंड विधि नाम जा दिया सकता है।

इसके बाद राजनारायण जी ने सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने जो एक लम्बी चौड़ी तकरीर की मैं नहीं समझ पाया कि क्या असल बात उन्होंने कही। वह बहुत देर तक तकरीर करते रहे। लेकिन क्या उस तकरीर का उद्देश्य था और क्या मतलब था वह उनके भाषण के आखिर तक साफ नहीं हुआ।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न था वह तो केन्द्रीय सरकार की ओर से एक विधेयक लाया गया और वह पास हो गया और वह लागू हो गया ? तो उस चीज को देखते हुये इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। उसकी पूर्ति के लिये आज यह विधेयक हम लोगों के सामने उपस्थित है और उसकी व्यवस्था की गयी है। तो जो उद्देश्य उसमें दिये हैं अगर उस उद्देश्य को हम मानते हैं तब भी इसको सेलेक्ट कमेटी में जाने की आवश्यकता नहीं आती है। लेकिन जो दलील दी गयी कि एक व्यापक रूप में क्रिमिनल कोड विधेयक आवे और तब संशोधन किया जाय। उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं दिखायी गयी। सेंट्रल लेजिस्लेचर ने जो विधेयक पास किया है उसके अनुसार हमको जो संशोधन इस वक्त हमारे सामने है उसके अलावा और क्या क्या संशोधन हमको लाने चाहिये। उसके हिसाब के कोई चीज हमारे सामने ऐसी नहीं पेश की गयी और न राजनारायण जी ने बतलाया। ऐसी सूरत में उनका यह कह देना

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

कि नहीं साहब व्यापक रूप में विधेयक लाओ यह बेमानी बात है। इसकी डिटेल उन्होंने नहीं बतलायी सेंट्रल लेजिस्लेचर ने जो विधेयक पास किया है उसके अनुसार हमको यहां पर परिवर्तन करना है। ऐसी सूरत में सेलेक्ट कमेटी में जाने का जो प्रस्ताव रखा गया है वह तो मैं समझता हूं कि इसके उद्देश्य को देखते हुये बिलकुल अनावश्यक है और हमको इसके सिलसिले में विचार करना मुनासिब नहीं है।

इसके बाद यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि सरकार के लिये यह शोभा की बात नहीं है और यह लज्जा की बात है। मैं नहीं समझ पाया कि किस मायने में उन्होंने इन लफ्जों का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं जो बातें उन्होंने अपनी तकरीर में कहीं उसके कोई मायने नहीं होते थे। बहरहाल जैसा मैंने कहा जहां तक इसके उद्देश्य हैं उनको देखते हुये सेलेक्ट कमेटी के सामने इसके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और समर्थन करता हूं। अभी हमारे माननीय मिश्र जी ने जो बातें कहीं वह मेरी समझ में नहीं आयी कि वह कहां की बात कर रहे थे क्योंकि यहां जो बातें उसके सम्बन्ध में माननीय बलवन्त सिंह जी ने कही थीं कि जिलाधीश को क्रिमिनल केसेज करने का अधिकार नहीं है उसे तो माननीय यादव जी ने साफ कर दिया है कि ऐसा वहां है जहां जूडिशियरी और एगजिक्यूटिव अलग हो गये हैं लेकिन जहां वह अभी अलग नहीं हुये हैं वहां डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अब भी सेकेंड और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट की अपीलें सुनते हैं। जो केस वहां फिर होते हैं उनको वह सुन सकते हैं। जैसे पहले डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स की क्लासेज अलग-अलग दी गयी थीं अब उनको साफ कर दिया गया है और "एनी मैजिस्ट्रेट" रख दिया गया है। यह अच्छा ही हुआ, इसके शब्दों को साफ कर दिया गया है मतलब वही है। जो २ का उपखंड (बी) है जिसमें "एनी सेन्टेन्स आफ ट्रांसपोर्टशन" हटाया गया है वह भी ठीक है। मैं समझता हूं कि जो अधिकार पहले हाईकोर्ट को था और उसकी अपील हो सकती थी लेकिन अब वह अधिकार सेशन कोर्ट को दे दिया गया है। यह धारा ४०८ इस प्रकार है।

"In any case an Assistant Session Judge or a Magistrate specially empowered under section 30 passes any sentence of imprisonment for a term exceeding four years, or any sentences of transportation, the appeal of all or any of the accused convicted at such trial shall lie to the High Court".

यह अपील अब हाईकोर्ट में न होगी बल्कि सेशन कोर्ट में ही हो सकेगी। यह तो ठीक है जो लिटिगेन्ट्स का पैसा हाईकोर्ट में जाने में खर्च होता था उससे वह बच जायेंगे और बहुत से लोग हाईकोर्ट में अपील नहीं कर पाते थे उनको अब आसानी होगी और वह सेशन कोर्ट में अपील कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा अधिक ब्योरे में जा रहे हैं, जरा सोच समझ कर जायं तो अच्छा होगा। इसकी अपील हाईकोर्ट में नहीं जायगी यह कहां से उन्होंने बात निकाली।

श्री जोरावर वर्मा—इसमें इतना तो है कि सेशन जब कोई भी अधिकार होगा।

श्री अध्यक्ष—परन्तु जो अपील हाई कोर्ट में जाती है वह जायगी।

श्री जोरावर वर्मा—खंड ४०९ में जो अन्तर किया गया है वह कोई विशेष अन्तर नहीं है। जो चीज पहले २ खंड में थी अब वह ३ खंड में विभाजित कर के रख दी गयी है और इस कारण से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल के उद्देश्य को पढ़ा है। अगर मुझे गलतफहमी नहीं है तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह बिल पार्लियामेंट में जो बिल आया हुआ है उसका अनुमान लगा कर या उसके भविष्य को समझकर यहां लाया गया है।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी ने यह बता दिया है कि वहां वह पास हो चुका है, अनुमान लगाने की बात नहीं है।

श्री गेंदासिंह—तो फिर यदि इसके उद्देश्य के आरम्भ में ही बता दिया गया होता, काफी दिन से यह बिल हमारे सामने है और कम से कम शब्दों में कुछ नापतोल होनी चाहिये, कोई और गलत बात चाहे कर जाय लेकिन जस्टिस विभाग को तो शब्दों की नाप तोल से और भी सतर्क होना चाहिये क्योंकि उसके एक ही शब्द से फांसी हो सकती है और एक ही से आदमी बच सकता है। इसलिये जब शब्दों को चुनने का प्रश्न है तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अब इस तरह का बिल आये तो देख लिया करें और ऐसे विधेयक न प्रस्तुत होने दें कि उनका वक्त भी बर्बाद हो और हमारा भी, उनको भी तकलीफ हो। मैं तो इस भ्रम में था कि अभी पार्लियामेंट में ऐसा संशोधन पेश है। यह बिल उसी समय आ गया। मैं अपनी दलीलें उसी पर सोच रहा था। खैर, इस तरह के मामलों में सतर्क तो रहना ही चाहिये जिससे भ्रम न हो।

मैं माननीय न्याय मंत्री जी का ध्यान ऐसे विधेयकों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक हैं जिनको बहुत जल्द आना चाहिये जिनमें बहुत देर हो जाती है। जैसे अरबन एरिया जमींदारी एबालिशन का नाम मैं ले लूं जिसके न आने के कारण बहुत हर्जा हो रहा है। कुछ काश्तकार बावजूद गवर्नमेंट की आज्ञा के बेदखल हो गये हैं। तो ऐसे विधेयकों के आने की बहुत जल्द आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—वह एजेंडा पर है।

श्री गेंदासिंह—जी हां, वह एजेंडा पर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजडी है। कभी आता है, फिर कभी सेलेक्ट कमेटी को जाता है, रिपोर्ट होकर वहां से आता है, फिर यहां से वापस हो जाता है फिर हमारे सामने आया फिर सेलेक्ट कमेटी को जायगा। मैं चाहता हूं कि जब तक यह सरकार है तब तक वह ऐक्ट बन जाय।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस मामले में राजनारायण जी की उस दलील से बिलकुल इत्तफाक करता हूं की गवर्नमेंट को चाहिये कि न केवल ऐसे शब्दों के हेरफेर से कुछ अमेंडमेंट ले आये बल्कि कुछ अमेंडमेंट ऐसे ले आने चाहिये जिससे इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सूरत शक्ल बदले। उसका असर इस किताब पर ही नहीं पड़ता बल्कि लाखों लोगों की जिन्दगी पर पड़ता है। मैं न्याय मंत्री जी से अपील करूंगा उनसे जानना चाहूंगा कि दफा १०९ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो दूसरा हिस्सा है क्या वह चाहेंगे कि आज के हिन्दुस्तान में वह हिस्सा बना रहे।

श्री सैयद अली जहीर—वह हिस्सा जेरे गौर नहीं है।

श्री गेंदासिंह—जी हां, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि जेरे गौर होना चाहिये। यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्यवाही करने का तरीका है क्या वह वैसा रहना चाहिये। वैसे तो दफा ११७, १५१, ११२, ११३, १०६ कितनी हैं लेकिन वह मैं छोड़ता हूं मैं तो दफा १०९ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, क्या इस विधेयक पर विचार करते समय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जितनी धारायें हैं उन सब पर विवाद हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—वादविवाद तो नहीं हो सकता लेकिन वह बता रहे हैं कि यह भी इसमें शामिल होना चाहिये। स्कोप बढ़ाने की बात कही जा सकती है।

श्री राजनारायण—मैं, आन ए प्वाइन्ट आफ इंफार्मेशन गेंदा सिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इसको भी कवर कर लें।

श्री अध्यक्ष—वह तो मैं कह दिया, उसमें अधिक कहने की बात नहीं है।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कवर कर रहा हूं और मैं राजनारायण जी की उस उक्ति के लिये उनकी तारीफ भी कर रहा हूं जो उन्होंने सरकार को इस तरह की बात सुझायी। मैं सरकार से निवेदन कर रहा था कि न्याय मंत्री जी १०९ का सेक्शन २ जो है वह ऐसे व्यक्तियों पर चलता है जिन पर जुर्म होने का शुबहा किया जा रहा हो और जुर्म होने का शुबहा कब किया जा सकता है उसके सिलसिले में १०९ का जो दूसरा हिस्सा है उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं :—

"that there is within such limits a person who has no ostensible means of subsistence, or who cannot give a satisfactory account of himself."

तो कितने लोग हैं जो आस्ट्रैसिबिल मीन्स आफ सब्सिस्टेंस का सेटिस्फैक्टरी एकाउन्ट दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आपने तो बहस शुरू कर दी। आपने तो केवल एक उदाहरण दिया था। आप कृपया डिटेल्स में नहीं जायेंगे।

श्री गेंदासिंह—मैंने तो एक उदाहरण दिया। इस उदाहरण को देख कर ऐसा ख्याल होता है कि कभी भी माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि इस प्रकार का सेक्शन अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में रहना चाहिये। जिसके पास दौलत न हो, गुजारे का जरिया न हो उससे सेक्योरिटी मांगी जाय और उससे कहा जाय साल भर के लिये.....

श्री अध्यक्ष—आप मैं समझता हूं फिर असंगत हो रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—तो अध्यक्ष महोदय मैं बिलकुल उसके दायरे के भीतर रह कर आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। एक ही उदाहरण नहीं इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कितने सेक्शंस होंगे जिन सेक्शंस पर विचार करने की जरूरत है और कुछ पर तो विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है हम पहले से ही जिन्हें समझे हुये हैं उनको निकाल देना चाहिये; जब केन्द्रीय सरकार उस पर विचार कर रही हो और इत्तिफाक से पार्लियामेंट के ध्यान में यह बात न आयी हो तो पार्लियामेंट से जरा नीची सतह पर हम रहते हैं। पार्लियामेंट के मेम्बरों का जनता से जितना सम्पर्क हो पाता है उससे ज्यादा सम्पर्क हमारा हो पाता है और हमारी १०९, ११७ और १५१ वालों से ज्यादा भेंट हो पाती है और जो भेंट होती है उसके आधार पर मैं समझता हूं कि अब ४०८ और ४०९ में जो तब्दीली की गयी है उस तब्दीली से मेरी कोई मुखालिफत नहीं है। मैं समझता हूं कि सारी तब्दीली मुनासिब है। फिर मैं तो भुक्तभोगी हूं जैसे दूसरे हैं। मैजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट फैसला करते हैं और उनके फैसले से हम संतुष्ट नहीं होते, यह बिलकुल स्पष्ट बात है। अगर इनके फैसले की अपील जज के यहां चली जाती है तो फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं जज चाहे हमारे खिलाफ फैसला देता हो। यह मनोविज्ञान बना हुआ है और उस मनोविज्ञान में हमारा यह उद्देश्य पूरा होता है। जो अमेंडमेंट किया जा रहा है इस विधेयक में उसका हम इसीलिये समर्थन करते हैं। जैसा राजनारायण जी का कहना है कि स्कोप बढ़ाया जाय मैं भी चाहता हूं कि स्कोप बढ़ाया जाय। न्याय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करें और थोड़ा वक्त लगायें कि इस प्रकार के जो सेक्शंस हैं जो हमारे लिये कलंक हैं उनके लिये जरूर कोई उपाय करें।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों के सामने नियम ९७ सुना देना चाहता हूं। जिस वक्त विचार के लिये कोई विधेयक उपस्थित हो उसके लिये यह नियम बना हुआ है कि किस प्रकार बिल के सिद्धांतों पर बहस होगी। मैं उसे पढ़े देता हूं:-

"(1) On the day on which any motion referred to in rule 95 in made, or on any subsequent day to which the discussion is postponed, the principles of the Bill and its general provisions may be discussed, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.

(2) At this stage no amendments to the Bill may be moved but if the member in charge moves that the Bill—

(*a*) be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee or a Joint Select Committee or be circulated for the purpose of eliciting opinion there on by a date to be mentioned in the motion."

तो सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जब यह संशोधन आता है तो यह समझा जाता है कि विधेयक के सिद्धांत मान लिये गये हैं। अब मैंने इस प्रथा में थोड़ा सा आज इतना परिवर्तन कर दिया, इतनी ढिलाई मैंने दे दी कि स्कोप बढ़ाने के लिये भी आप उसमें कह सकते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न हमारी लोकसभा में भी आया था। उसमें सेलेक्ट कमेटी में भेजते हुये स्कोप बढ़ाने के लिये सेलेक्ट कमेटी को पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन बिल के सम्बन्ध में सदन ने अधिकार सदस्यों को दे दिया था लेकिन वहां भी सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया गया, बहस के बाद कि स्कोप बढ़ाने की अगर जरूरत पड़े तो सेलेक्ट कमेटी में स्कोप बढ़ाया जा सकता है। तो यह एक सिद्धांत की बात है। अगर सदन इस अधिकार को देना स्वीकार करेगा तभी यह चीज आ सकती है। तो उसका मतलब सिर्फ यह है कि उसका रेफरेंस आप खाली कर सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य ब्योरे में इसके ऊपर बहस नहीं कर सकते कि क्या क्या बातें बढ़ायी जा सकती हैं। अगर धारा १०९,११७ बढ़ सकती है तो और धारायें भी बढ़ सकती हैं। तो यदि एक एक दफा पर बात शुरू की जाय तो उस अधिनियम में तो पांच सौ दफायें हैं। उदाहरण स्वरूप एक आध दफा आप बता दें और उसके बाद कह दें कि इन-इन कारणों से विधेयक का स्कोप बढ़ाने की जरूरत है। इसलिये मैंने उसको सीमित कर दिया और राजनारायण जी का संशोधन इस तरह का आया है, जिसे मैंने सदन में उपस्थित करना स्वीकार कर लिया है। मैं चाहता हूं कि जो समय निर्धारित किया गया है, तीन बजे तक का समय निर्धारित है, उसके अन्दर थोड़े से शब्दों में जो थोड़ा सा कहना हो, सदस्य कह लें क्योंकि यह दो ही धाराओं का बिल है। तो केवल सिद्धांतों के ऊपर ही बहस करते हुये, भाषण होना चाहिये।

(इस समय १ बजकर २२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने हाउस में पेश है उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट किया गया है और यह सुझाव दिया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार इसके जरिये करेप्शन के रास्ते में एक रोक लगा रही है। हमारे जो छोटे-छोटे मैजिस्ट्रेट हैं, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट, जुडीशिल और सेकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट उनके यहां यह एक आम शिकायत है और आज हम आभारी हैं गवर्नमेंट के कि यह चीज उसने की। अब हर एक की अपील हो सकेगी सेशन जज के यहां और उसमें कोई रुकावट न होगी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—यह तो पहले भी होता था।

श्री शिवनारायण—आप सुनिये । तमाम मैजिस्ट्रेटों को हटा कर एनी मैजिस्ट्रेट के यहां जो फैसला होगा उसकी अपील होगी । इसमें एक अमेंडमेंट उधर से आया है श्री राजनारायण जी का। उनका निवेदन है कि उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। राज्य में कुछ धारायें ऐसी लगी हुयी हैं जैसे १०७, १५१ और १०९ जैसा कि गेंदा सिंह ने कहा कि जिनकी वजह से पुलिस को विशेष अधिकार मिले हैं और उससे बहुत से निर्दोष व्यक्ति पकड़ लिये जाते हैं । तो सरकार ने जैसा यह कदम उठाया है उसी के साथ में चाहता हूं कि यह उसकी दुरुस्ती में भी जल्दी ही तत्पर हो जाय । मैं तो कहूंगा कि जितने अंग्रेजी रिजीम के हमारे कानून हैं उनको गवर्नमेंट को समाप्त कर देना चाहिये और अपने-अपने बनाये हुये लेजिस्लेशंस से, अपने बनाये हुये कानूनों से अपने देश और संस्कृति के बमूजिब चाहे हिन्दू ला हो या मुसलमान ला हो, उसको अमल में लाये । हमारे देश में जैसी परम्परा रही है उसी के अनुसार हमारा कानून होना चाहिये । चाणक्य को हमने पढ़ा है, उसका खजाना हमारे पास मौजूद है, फैजी वगैरह की किताबें मौजूद हैं जो हमारे देश के बसोबासी हैं उनके बनाये हुये कानून मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि पुराने कानूनों को हम जल्द से जल्द सलाम कर दें और अपने नये कानून लायें ताकि अच्छी तरह से न्याय हो, इंसाफ हो और देश का कल्याण हो सके । देश का भला इसी में है कि कानून सस्ता हो, जनता को सुभीता मिले । आज तो कानून ऐसा है कि छः-छः बरस, तीन-तीन बरस तक मुकदमों का फैसला ही नहीं होता । मैंने पढ़ा है शेरशाह के जमाने में जल्द से जल्द मुकदमें फैसल हो जाया करते थे, सारा रेकार्ड बादशाह खुद रखता था और राज्य के कर्मचारी परेशान रहते थे कि अगर हमने कहीं भी घपला किया तो पकड़े जायेंगे । तो आज गवर्नमेंट ठीक उसी तरह से इसमें अरेंज करने जा रही है । एक बात मुझे यह कहनी है कि इसमें खंड "बी" में है कि प्रतिबन्धात्मक वाक्य में से शब्द "are any sentance of transporation" निकाल दिये जायं । इसको देख कर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखने से पता चलता है कि अब सरकार चाहती है कि ४ बरस तक की सजा जो हमारे छोटे जज या जिले के जो दूसरे जज दिया करते थे उनका उतना ही अधिकार रहे । जो मैंने समझ रखा है वह यह है और इससे यह भंपता है कि उनके ऊपर यह एक प्रतिबन्ध लग जायगा और हाईकोर्ट में उनका मामला न जायगा । मैं चाहता हूं कि इसको ला मिनिस्टर साहब क्लियर करें कि इसका आशय क्या है ताकि आगे चल कर जो भी कानून बने वह ठीक बने । आज हमारी कचेहरियों में वकील और मुख्तार लोग नुक्ताचीनी करते हैं कि आप हाउस में बैठ कर कैसा कानून बनाते हैं । तो मैं अपने वकील भाइयों से भी कहूंगा कि वे ठंडे दिल से और इत्मीनान से इसके एक-एक लफ्ज को देखें और ला मिनिस्टर साहब से फिर दरख्वास्त करूंगा कि वह मेरी बात को क्लियर कर दें । इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित विधेयक का समर्थन करता हूं और जो माननीय राजनारायण जी ने प्रस्ताव उपस्थित किया है कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय उसका विरोध करता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है पहले का उसमें केन्द्रीय सरकार ने कुछ संशोधन किये हैं और वे संशोधन तो बहुत सी धाराओं में हैं जो कि गजट में प्रकाशित भी हो चुके हैं और प्रेसीडेंट की असेन्ट भी मिल गयी १० अगस्त को, ऐक्ट भी बन गया वह, लेकिन हमारे इस वर्तमान विधेयक का केवल धारा ४०८ और ४०९ से सम्बन्ध है । धारा ४०८ और धारा ४०९ को इससे पहले के माननीय सदन ने जो सन् १९४८ में था एक विधेयक द्वारा उसका संशोधन किया था वह ऐक्ट बन गया था, ऐक्ट ३६,१९४८ का । तो जो मूल क्रिमिनिल प्रोसीज्योर कोड है उसकी धारा ४०८ के मुताबिक कोर्ट आफ सेशन्स को केवल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की ही अपील हो सकती थी । वह इस तरह है :—

"408. Any person convicted on a trial held by an Assistant Sessions Judge, a District Magistrate or other magistrate of the first class, or any person sentenced under section 349 (or in respect of whom an order has

been made or a sentence has been passed under section 380) by a Magistrate of the first class, may appeal to the Court of Sessions :"

तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास के किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सेशन्स जज की अपील कोर्ट आफ सेशन्स को मूल क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में होती थी और हमारी प्रान्तीय सरकार ने ऐक्ट ३६, १९४८ के मुताबिक सेकेंड क्लास तक के मैजिस्ट्रेट की अपील को भी उसमें जोड़ दिया और वह इस प्रकार हो गया :--

"Any person convicted on a trial held by an Assistant Sessions Judge, a District Magistrate or any other Magistrate, or any person sentenced under section 349 or in respect of whom an order has been made, a sentence has been passed under section 380 by a Sub-Divisional Magistrate of the second class or a Magistrate of the first class or District Magistrate, may appeal to the court of Sessions."

यह ऐक्ट सन् १९४८ के बमूजिब हो गया। इस माननीय सदन ने जो कानून बनाया था उसमें सेकेंड क्लास के मैजिस्ट्रेट की अपील का भी सेशन जज को ही अख्तियार दे दिया था। तो इस माने में हम काफी ऐडवांस थे जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अब संशोधन किया था उससे हम ऐडवांस्ड थे। यानी उससे पहले ही हम सेकेंड क्लास के मैजिस्ट्रेट की अपील सेशन जज को करने का कानून बना चुके थे। तो अब जो हमारी पार्लियामेंट है उसने जो संशोधन किया है धारा ४०८ में उसमें जहां-जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वहां धारा ४०८ में कर दिया गया 'एनी मैजिस्ट्रेट'। 'एनी मैजिस्ट्रेट" की अपील कोर्ट आफ सेशन्स में हो सकती है यह केन्द्रीय सरकार ने कर दिया। तो हम तो पहले ही इस चीज के हामी थे कि केवल फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट की नहीं बल्कि सेकेंड क्लास के मैजिस्ट्रेट की अपील भी कोर्ट आफ सेशंस में होनी चाहिये और आज जब पार्लियामेंट ने 'एनी मैजिस्ट्रेट' कर दिया तो हम पीछे नहीं रहना चाहते और जो थर्ड क्लास का मैजिस्ट्रेट हो उसकी भी अपील कोर्ट आफ सेशन्स में हो। तो जो मौजूदा विधेयक है उसका वह अर्थ है। उसमें जिस तरह का संशोधन पार्लियामेंट में हुआ ४०८ में, उसको भी हमने एडाप्ट किया है यानी ट्रांसपोर्टेशन फार लाइफ वाला निकाल दिया गया और ४ वर्ष तक की सजा की हाई कोर्ट में अपील है। शायद ट्रांसपोर्टेशन की सजा की पावर असिस्टेंट सेशन्स जज को नहीं है। वह रिडंडेंट समझा गया। क्यों रिडंडेंट समझा गया? उसमें से क्यों निकाला गया यह माननीय न्याय मंत्री जी इस सदन में साफ कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो हाई कोर्ट को अपील होगी उसमें से ट्रांसपोर्टेशन फार लाइफ निकाली गयी है वह किसी मसलहत से निकाली गयी होगी, उसको माननीय मंत्री जी साफ करदें तो अच्छा है। जहां तक ४०९ की बात है उसमें केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार का संशोधन किया है बिलकुल ठीक वैसा ही इस मौजूदा विधेयक में उपस्थित किया गया। मैंने उसको देख लिया है। वह जो पार्लियामेंट का ४०९ है उसमें और मौजूदा विधेयक में कोई अन्तर मैंने नहीं पाया। १९४८ में जो ऐक्ट ३६ बना उसमें जो बातें दी गयी थी ४०९ में उसको मैंने देखा कि कुछ शब्दों में वह ठीक नहीं था, उसकी शब्दावली ठीक नहीं थी। उसमें यह था कि असिस्टेंट सेशन जज अपील सुनेगा सेकिन्ड और थर्ड क्लास के मैजिस्ट्रेट की, शैल बी हर्ड बाई दी असिस्टेंट सेशन जज। तो वह तो सेशंस जज भी सुन सकता है, एडीशनल सेशंस जज भी सुन सकता है, सुनना चाहिये, लेकिन उस शब्दावली से कुछ भ्रम होता है कि केवल असिस्टेंट सेशन्स जज ही सुन सकता है। तो इसमें जो मौजूदा विधेयक है उसमें यह साफ हो जाता है। इससे यह हो जाता है कि सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां की जो अपील होगी वह डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होगी, उसमें सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट की अपील असिस्टेंट सेशंस जज सुनेगा, और जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अपील होगी उसको एडीशनल सेशंस जज या सेशंस जज सुनेगा और सेशंस जज इम्पावर्ड होगा उसको भेज देने के लिये एडीशनल सेशंस जज को या असिस्टेंट सेशंस जज को।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

तो वह बात बिलकुल ठीक अपनी जगह पर बैठती है और मैं समझता हूं कि जो पार्लियामेंट का ऐक्ट है उसी के मुताबिक बिलकुल इस विधेयक में रखा गया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिये इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत हो। कोई शब्दावली भी इसकी ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई गड़बड़ी हो या उसके इंटरप्रिटेशन में कोई बात गलत हो और अगर स्कोप के बढ़ाने की बात है जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसमें कहा कि कुछ लिमिटेड तरीके पर अगर सेलेक्ट कमेटी में जाय तो स्कोप भी बढ़ाया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इस छोटे से विधेयक के स्कोप को बढ़ाने की कहां गुंजाइश है ? हां, अगर कोई ऐसा विधेयक आता जिसमें हम और भी बातों पर गौर कर सकते तो अच्छा था। अगर स्कोप बढ़ाने की बात हो तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो इसमें मुलजिम हों उनके मुकदमें कहां चलाये जायं। प्लेस आफ अकरेंस जो इसमें १७७–७८ है शायद मूल ऐक्ट में, १७८, १७९, १८० हैं। १७९ में है–

"Such offence may be inquired into or tried by a Court within the local limits of whose jurisdiction any such thing has been done, or any such consequence has ensued."

१८० में यह है :—

"a charge of the first-mentioned offence may be inquired into or tried by a Court within the local limits of whose juris diction either act was done."

तो ये जो धारायें हैं इसमें मैंने देखा कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया है, हालांकि इसके बारे में मैंने सेलेक्ट कमेटी के सदस्य बाबू रघुवीर प्रसाद को एक खत लिखा था और उनसे बातें भी नैनीताल में हुई थीं, उनका ध्यान भी आकर्षित किया था और अब मंत्री जी का और विरोधी दल का भी आकर्षित करता हूं कि उनको नालिज में होगा कि आजकल बेगुनाह आदमियों को परेशान करने के लिये दूसरे दूसरे जिलों में फौजदारी के इस्तगासे दायर कर दिये जाते हैं।

मिसाल के तौर पर मैं अपने जिले के बारे में एक बात रखना चाहता हूं। मेरे जिले में, जौनपुर में एक गांव समोदपुर है, वहां के ठाकुरों ने चमारों पर जुल्म किया। उन्होंने फरियाद की कप्तान साहब से। उन्होंने १०७ का मुकदमा कायम किया और वहां के चमारों के खिलाफ सुल्तानपुर में इस्तगासा दायर हो गये और डाके वगैरा के तो जौनपुर में हुए लेकिन दूसरे जिले से दायर होने में वह तो बड़े परेशानी में पड़ गये। अपने जिले में लड़ पायें या नहीं वह दूसरी बात है, लेकिन दायर वहीं होने चाहिये। दूसरे जिलों में जो इस्तगासे दायर होते हैं उससे गरीबों को परेशानी होती है, वह हमारे लिये कलंक हो जाता है। यहां तक कि कलकत्ता और बम्बई तक इस्तगासे दायर होते हैं और वारन्ट आ जाते हैं, उसको पता नहीं होता। वारन्ट की तामील होकर वह पकड़ लिये जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। जाने कितने लोग खेती से बेदखल हो गये और कितने अधिवासियों ने अपनी जमीन से इस्तीफा दे दिया। तो मेरा सुझाव यह था कि जहां प्राइवेट कम्पलेंट हो वहां, तो वहीं हों, और अगर सरकारी हो, जो काग्नीजेबिल आफैन्स हो तो जहां पर जरूरत हो वहां चलायें। लेकिन जो काग्नीजेबिल नहीं है, जो प्राइवेट तौर पर होता है उसको वहीं रखा जाय जहां का मुल्जिम हो, तब यह परेशानी दूर हो सकती है। अगर इसको बढ़ाया जाय तो ठीक है वैसे मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी उस ट्रांसपोर्टेशन वाले को और जो दूर दूर जगह फौजदारी के इस्तगासे दायर होते हैं, उनका क्या उपाय सोच रहे हैं, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, इसमें महज दो दफा रखी गयी हैं। जैसा मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर में अर्ज किया था, उसकी सिर्फ गरज यह है कि जो कानून केन्द्रीय सरकार ने बना दिया है और जिसकी कि राष्ट्रपति मंजूरी भी दे चुके हैं, और जैसा मैंने कहा यह पहली नवम्बर से गालिबन लागू भी होने जा रहा है, उस कानून में दो दफात जो शामिल कर दिये गये हैं, उनको अपने सूबे में लागू करना उसकी गरज है। तो एक मुख्तसिर सी जरूरत के लिये यह कानून हमको लाना पड़ा। माननीय सदस्य यह जानते

होंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जोकि इस वक्त लागू है वह है ऐक्ट फाइव आफ १८९८ यानी १८९८ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने यह कानून यहां पर पास किया था और उसमें वक्तन फवक्तन तरमीमात सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही करती रही और तमाम हिन्दोस्तान में यह कानून लागू रहा। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसे अख्तियारात सूबों की गवर्नमेंट्स को दिये गये कि वे भी अगर जरूरत समझें तो कुछ जरूरी तरमीमात अपने सूबे की हालत को देखकर कर सकती हैं। चुनांचे सन् ४८ में हमने इन दोनों दफात में ४०८ और ४०९ में कुछ तरमीमें कर दीं और हमारा कानून जो सेंट्रल कानून था उससे कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। अब जब दोबारा उसके ऊपर गौर करने की जरूरत हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गौर किया और गौर करने के बाद उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बहुत सी तरमीमात कर दीं जो उनकी समझ में आयीं जिस पर कि सेलेक्ट कमेटी ने बहुत दिनों तक गौर किया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में उनके ऊपर बहस हुई तब वे तरमीमात की गयी। लेकिन उन्होंने जो तरमीमात की वे उस दफा में जो ४०८ और ४०९ सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में बनी थीं उनमें कीं। हमारे कांस्टीट्यूशन में दफा २५४ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट चाहे और अपने मजमून पर जोकि कांकरेंट लिस्ट का है वह कोई कानून बनाये तो वह कानून जोकि सेंट्रल गवर्नमेंट बनायेगी वह लागू होगा और जो सूबे का कानून है उसी मजमून पर वह जहां तक उसके खिलाफ बैठता है वह लागू नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हमसे कहा यह तुम्हारा ही बनाया हुआ कानून है। लिहाजा उस तरमीम को बदल कर तुम भी वही तरमीम कर दो जो हमने सेंट्रल कानून में दफा ४०८ और ४०९ में की हैं। इस वजह से हमको यह जरूरत पड़ी कि हम यह छोटा सा कानून लायें।

इस सिलसिले में वांचू कमेटी का भी जिक्र आया और यह भी कहा गया कि हम कोई अपना बड़ा सा कानून क्यों न बनायें। जहां तक वांचू कमेटी का ताल्लुक है माननीय सदस्य जानते हैं कि उसके ऊपर हमने बहुत अच्छी तरह से गौर किया और जहां तक कानून में संशोधन करना था वह हमने किया और उसके बाद बहुत सी ऐसी तरमीमात जो रूल्स में हमको करनी थीं वे भी हमने कीं। चुनांचे एक बहुत बड़ी हद तक उनकी सिफारिशात को हमने माना और उनके ऊपर कार्यवाही भी हुई और माननीय सदस्यों को याद होगा कि दीवानी के कानून में जो हमको संशोधन करने थे उसके मुताल्लिक भी एक बिल इस सदन में पेश किया गया और वह पास हुआ। यह जरूर है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, जिस दिन वह कानून आया था उस दिन माननीय राजनारायण और उनकी पार्टी जो उस जमाने में थी, ये सब लोग किसी बात पर नाराज होकर वाक आउट कर गये थे। तो मुझे तो यह ख्याल था कि उस बिल पर काफी बहस होगी और वक्त लगेगा लेकिन जब कोई मुखालिफत उसकी थी ही नहीं तो नतीजा यह हुआ कि शायद घंटे या डेढ़ घंटे में ही वह बिल पास हो गया। गालिबन इसी वजह से माननीय सदस्य रामनारायण जी को यह याद नहीं है कि वांचू कमेटी के सिलसिले में हमने कुछ किया या नहीं। हम फौजदारी के कानून में भी अपनी तरफ से तरमीमात करने जा रहे हैं थे लेकिन चूंकि काकरेंट लिस्ट का साब्जेक्ट था लिहाजा हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में लिखा तो उन्होंने कहा कि हम खुद एक कानून ला रहे हैं और तमाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदल रहे हैं इस वजह से जरूरत इसकी नहीं है कि हर स्टेट अपनी अपनी जगह इसमें तरमीमात ले आये और जाहिर है कि यह बहुत अच्छा हो कि तमाम मुल्क में एक ही कानून लागू हो जहां तक फौजदारी का ताल्लुक है। लिहाजा हम रुक गये और कोई तरमीम उसमें नहीं की।

इसी सिलसिले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की और दफात १०७, ११७, १५१ और १०९ का जिक्र आया। मैं तो सिवाय इसके कुछ नहीं कह सकता हूं कि जहां तक कानून की इन दफात का ताल्लुक है उनमें कोई खराबी नहीं है, अगर कुछ है तो दो जगह हो सकती है। एक तो शायद उन लोगों में जो इस पर अमल करते हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि मुमकिन है बाज वक्त इसका गलत इस्तेमाल किया जाता हो। इसकी वजह यह नहीं है कि कानून खराब है बल्कि उसका गलत इस्तेमाल होता है, वह खराब होता है, कानून खराब नहीं है। दूसरी

[श्री सैयद अली जहीर]

वजह यह हो सकती है कि जो शख्श कोई क्राइम करेगा या खिलाफ कानून कोई बात करेगा तो वह जुर्म का मुर्तकिब होगा यहां तो सवाल इस बात का है कि वह जो फेल करता है तो वह फेल कैसा है जो उसने किया है या तो जुर्म करने वाले की खराबी है या फिर जो इस्तेमाल करते हैं उनकी खराबी है। मेरे ख्याल में कानून की कोई खराबी नहीं है। इसकी हमें अक्सर जरूरत पड़ती है तो अक्सर मामलों में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो यह नहीं है कि हमेशा बेइंसाफी और बेउनवानी होती है। यह मुमकिन है कि एक आध मामलों में गल्ती हो जाती हो। लेकिन उसके लिये अदालतें बनी हुई हैं और इसकी अपील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, वहां मामले जा सकते हैं और उनकी दुरुस्ती हो सकती है तो यह नहीं समझा जा सकता है कि यह कानून खराब है या इसमें किसी किस्म का नुक्स है।

दूसरी बात जो कही गयी वह यह है कि लफ्ज ट्रांसपोर्टेशन को इस दफा से क्यों निकाल दिया गया। इसकी वजह यह है कि जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लफ्ज को बिलकुल ही निकाल दिया गया है। क्योंकि माननीय सदस्य जानते होंगे कि यह ट्रांसपोर्टेशन उस जमाने का लफ्ज है जबकि लाइफ सेंटेंस दिये जाते थे और उसको हिन्दुस्तान से बाहर अंडमन भेज दिया जाता था और कहा जाता था कि उसका कालापानी या शहर बदल या ट्रांसपोर्टेशन कर दिया गया। इस तरह के अलफाज इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब यह सजा नहीं रह गयी है। अब किसी शख्स की कितनी ही लम्बी सजा क्यों न हो, वह जेल में ही रहता है। लिहाजा अब इन अल्फाज का रहना नामौजूं था। इसलिये उसकी जगह अब यह कर दिया गया है। पहले यह था कि:—

"Transporation or imprisonment for a term exceeding six months."

इसके बजाय यह कर दिया है कि:—

"Imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding for one year." shall be substituted.

अब यह लपज ट्रांसपोर्टेशन गैर जरूरी हो गया है, इसी वजह से इसको इस कानून से निकाला रहा है।

बाकी रहीं और बातें कि इस कानून में प्रिंसिपल का कोई फर्क नहीं है बल्कि जो पुराना कानून था जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बदल रही है और जिसको हमने बीच में ही बदल दिया था और अब हमें जरूरत महसूस हुई कि हम अपने यहां वही कानून लागू करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। लिहाजा हमें जरूरत हुई कि हम इसकी दोनों दफात को बदल दें। इसका कोई सवाल नहीं है कि इसका स्कोप बढ़ाया जाय और न कोई इस किस्म की तजवीज पेश है कि फिर से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बनाना है। कब्ल इसके कि यह लागू हो हम देखना शुरू कर दें यह कहां तक ठीक है या गलत है, यह तो कब्ल अज वक्त है। जैसा मैंने कहा कि यह यकुम नवम्बर से लागू होने जा रहा है। जब यह लागू हो जायगा और १०-१५ बरस लागू रहेगा तब हम देखेंगे कि किस तरह की तब्दीली हुई, क्या फर्क पड़ा, किस तरह से मुकदमे जल्दी होते हैं या देर में होते हैं। तब वक्त होगा कि आया हम खुद इसमें तरमीम करें या सेंट्रल से कहें कि वह इसमें तरमीम करे या बदला जायगा। उस वक्त हम सोचेंगे। इस वक्त कोई सवाल नहीं है। यह दो दफात कानून की इतनी सीधी सादी हैं कि हमें कुछ नहीं करना है। इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का सवाल पैदा नहीं होता है। इन अल्फाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि यह मंजूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधेयक ऐसी प्रवर समिति को सिपुर्द कर दिया जाय जिसको यह अधिकार हो कि वह इस विधेयक की सीमा को बढ़ाकर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के अनुरूप संशोधित कर सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७

विपक्ष में—६७)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

२—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४०८ में: १८९८ की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४०८ का संशोधन ।

(क) शब्द "Sub-Divisional Magistrate of the second class or a Magistrate of the first Class or the District Magistrate" के स्थान पर शब्द "any Magistrate" रख दिये जायं, तथा

(ख) खंड (b) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "or any sentence of transportation" निकाल दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ४०९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय : १८९८ की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४०९ का संशोधन ।

"409—*Appeals to Court of Session how heard*—(1) Subject to the provision of this section, an appeal to the Court of Session or Sessions Judge shall be heard by the Sessions Judge or by an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge:

Provided that no such appeal shall be heard by an Assistant Sessions Judge unless the appeal is of a person convicted on a trial held by any Magistrate of second or third class.

(2) An Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge shall hear only such appeals as the State Government may, by general or special order, direct or as the Sessions Judge of the division may make over to him."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

१—(१) यह अधिनियम कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षकनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार इस हेतु सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे ।

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन करने का, १८९८ की ऐक्ट संख्या ५ ।

विधेयक

कुछ प्रयोजन के निमित्त कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन करना आवश्यक है, १८९८ की ऐक्ट संख्या ५ ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

रेवेन्यू कोड मैनुअल में कृत संशोधनों पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—अब रेवेन्यू कोड मैनुअल में किये गये संशोधनों पर, जो १२ फरवरी, १९५४ को सदन की मेज पर रखे गये थे, विचार होगा ।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि ६ के बजाय पहले ७वां आइटम ले लिया जाय और बाद में ६ लिया जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि पहले छठा ही आइटम लिया जाय। पहले भी नागर क्षेत्र जमींदारी एबालिशन वाला बिल हटा दिया गया था जो सात दिन तक चल सकता था। इसलिये पहले रेवेन्यू कोड मैनुअल में किये गये संशोधन ही पहले लिये जायं और आइटम सात बाद में जैसे है वैसे ही लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आइटम सात में जिन मोटर वेहिकिल्स रूल्स का जिक्र है उसके सम्बन्ध में हमने मांग की थी कि संशोधित नियमों में जो संशोधन किये गये हैं उनकी एक कापी हमें दी जाय। पहले भी कोशिश की और आज भी टेलीफोन किया लेकिन जो पुराने संशोधित नियम थे और उन में जो संशोधन किये गये हैं वह हमें कहीं नहीं मिले। मैं जानना चाहता हूं कि हम उनको कैसे प्राप्त करें। इसलिये जब तक वह हमें न मिल जायं इस ७ वें आइटम पर विचार स्थगित किया जाय वह संशोधन कहां हैं, क्या हैं। संशोधन पर संशोधन आ रहे हैं इसलिये वह हम सबको पहले दिये जायं और बाद में बहस उन पर हो।

श्री उपाध्यक्ष—पहले छठे आइटम के विषय में ही विचार करना ठीक है ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से माननीय राजस्व मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने इस सदन को इस विषय में अपने उद्देश्य को बताने की मेहरबानी की होती कि किस उद्देश्य से यह संशोधन आये हैं तो शायद हमको भी और दूसरे माननीय सदस्यों को भी बड़ी मदद मिलती कि वह अपनी राय उनकी खिदमत में पेश कर सकते। मेरी बड़ी दिक्कत बढ़ गयी है कि मेरे सामने सिवा इसके कुछ संशोधन के शब्द हैं, उसके पीछे क्या मतलब है। क्यों वह संशोधन लाये गये हैं यह बात कोई नहीं बता सकता। अब हमें अंधेरे में ढूंढना अवश्य है कि पुराने रेवेन्यू कोड मैनुअल में क्या शब्द रखे गये थे और उनके स्थान पर अब क्या दूसरे शब्द रखे जा रहे हैं। अब उन से लाभ होगा या हानि होगी ? मैं साधारण तौर पर यह उम्मीद कर सकता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी जो बात कर रहे होंगे वह लाभ की दृष्टि से ही कर रहे होंगे और उससे साधारण जनता का लाभ ही होगा। लेकिन हमारा अनुभव यह भी है कि कानून ऐसे बनते हैं और शब्दों की रचना उन कानूनों में ऐसी होती है कि कभी-कभी उनका उल्टा अमल हो जाता है। इस सदन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये यह कोई नयी बात नहीं है। अगर मैं उसके पुराने इतिहास में आऊं तो हमें कई बार पछताना पड़ा होगा कि एक बार फिर दोबारा कानून को बदलने की जरूरत पड़ी होगी। चाहे हम सन् १९३९ के जो कानून काश्तकारी का पास हुआ था उसकी कुछ दफाओं को ले लें। दफा १७१ और १८० को तो उस समय जो सरकार थी उसका मंशा कभी नहीं होगा कि इस सूबे के लाखों किसान के बेदखल किये जायं और अपनी जोत की जमीन से उनको महरूम किया जाय। लेकिन उसी सरकार को कानून बनाना पड़ा जिस सरकार की मंशा नहीं थी और उसमें लाखों किसान बेदखल हुए और सन् १९४७ में जब फिर दूसरी सरकार बनी तो सन् १९३९ और ४७ के बीच में जो आठ वर्षों में इतने सारे किसान बेदखल हुए थे उनको फिर जमीन वापस दिलाने के लिये नया कानून बनाना पड़ा और इसलिये सन् ३९ के ऐक्ट को फिर से तरमीम करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी कितने किसान ऐसे हैं जिनको सन् १९४७ में हम जमीन वापस दिलाना चाहते थे लेकिन वह वापस नहीं पा सके। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि इसमें जिस तरह से विधेयक में उद्देश्य बतलाया जाता है और उस पर कुछ सोच विचार करने का हमको मौका मिलता है और हम अपनी राय बना पाते हैं तो अगर इस तरह से कोई जो कुछ भी कागज हमारी टेबिल पर रखे गये हैं उद्देश्य नहीं बतलाया गया है कि किस गरज से यह अमेंडमेंट लाया गया है। अगर लिखा हुआ न सही जबानी भी यह बात बतलायी जाय कि इस गरज से यह अमेंडमेंट लाया गया है तो हमारी मदद होती और हमारी ही नहीं मदद होती बल्कि सारे सदन की होती और सम्भव है जो गलतफहमी हमारे दिमागों में है। वह कुछ दूर हो जाती, बहस जो बड़ी लम्बी हो सकती है वह कम हो सकती थी। यह ना मेहरबानी राजस्व मंत्री जी की है जिसके लिये उलहना देने का मुझको अधिकार है। इस सिलसिले में जो कुछ भी अपनी राय मैं समझ पाया हूं वह उनके सामने रखना चाहता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि वह उस पर गौर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रेवेन्यू कोड मैनुअल है इसका सम्बन्ध हमारे सूबे के करोड़ों किसानों से है लेकिन यह किताब किसी कीमत पर जल्दी नहीं मिल रही है। कई दिनों से हमने इसकी खोज की। लाइब्रेरी में ढूंढा तो वहां कोई किताब नहीं। यह जो हमारा इतना घनी विधान सभा का पुस्तकालय है उसमें रेवेन्यू कोड मैनुअल की कोई किताब नहीं। फिर उन्होंने बहुत ढूंढा पता लगाया तो एक भाई ने बताया कि लीगल रिमेंबरेंसर साहब के दफतर से एक प्रति मंगाई गयी है और वह टेबिल पर रखी हुई है। मैंने फिर सेक्रेटरी साहब से कहा तो उनकी कृपा से वह किताब कुछ देर के लिये हमको प्राप्त हो सकी थी। इस समय वह किताब हमारे पास मौजूद है लेकिन नहीं इस वक्त तो फिर वह आपकी टेबिल पर है।

श्री उपाध्यक्ष--आप अगर इसका उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री गेंदासिंह--जी हां, मैं आपकी कृपा के लिये आभारी हूं। मैं जरूर उसका उपयोग करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय असल में। माननीय राजस्व मंत्री जी आम बोलचाल की बातों से बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं वह चाहते हैं कि आम बोलचाल की जो चीजें हैं वह तरक्की पावें, आम लोगों से उनकी मुलाकात हो पावे और आम लोगों की बातों को वह सुन पावें लेकिन मैं उनसे यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आम लोगों की भाषा में यह किताब नहीं है। इसे बड़ी दिक्कत होती है। आपके पीछे बैठने वाले शिवनारायण जी इशारा कर रहे हैं। वे बेचारे शायद कुछ पढ़ भी पावें हम तो बड़ी दिक्कत में पढ़ पाते हैं। और उसका सम्बन्ध असल में थोड़े लोगों से नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने गांव समाज मैनुअल लिखा जिसके लिये लोगों ने बड़ी तारीफ की और कम से कम मैं भी तारीफ करता हूं कि गांव समाज मैनुअल लिख कर उन्होंने बहुत सी उलझनों को दूर किया उसी तरह से गांव समाज मैनुअल और रेवेन्यू कोड मैनुअल इन दोनों

[श्री गेंदासिंह]

का बड़ा घना सम्बन्ध है । रेवेन्यू कोड मैनुअल बहुत मोटी पोथी जरूर है लेकिन इन मोटी को ऐसी भाषा में बनाना चाहिये जिस भाषा में सब लोग समझ सकें और आम तौर से जो गलतियां होती है वे न होने पायें । तो अ मजबूरी है और इस पुस्तक पर निर्भर करना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी यह संशोधन किया जा रहा है यह पहले मैंने मान लिया कि लोगों की भलाई के लिये अमेंडमेन्ट किया जा रहा होगा । अपील और दरख्वास्तों की सुनवाई के सम्बन्ध में यह अमेंडमेन्ट है । बोर्ड के सामने जो दरख्वास्तें पड़ती हैं और अपील दायर होती है उसके तरीके क्या हों, कहां वे दी जायं और फिर उनके साथ क्या सुलूक किया जाय । उसी प्रोसीजर के सिलसिले में यह अमेंडमेन्ट है जहां तक मैं समझता हूं मैं उसमें तो तीन बातों की तरफ माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा । पहली बात तो यह कि शुरू शुरू में इसका जो पहला अंग है उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे इजाजत चाहूंगा कि इसको अंग्रेजी में पढ़ दूं और जितना अर्थ मैं समझता हूं उसको बाद में अर्ज करूंगा । यह इस प्रकार है :

"Every appeal or application to the Board of Revenue shall, unless the Board by special order in any case otherwise directs, be presented to the Registrar of the Board's office at Allahabad or to a Member at Naini Tal or to the District Officer of the district concerned."

इसमें सन्देह नहीं कि पहले से तो एक बात में यह आगे है । पहले तरीके में यह था कि कमिश्नर को ही अपील दी जा सकती है लेकिन यहां पर एक सीढ़ी नीचे आये। लेकिन एक तरफ ध्यान नहीं गया राजस्व मंत्री जी का । पहले यह लिखा हुआ था कि कमिश्नर अगर टूर पर होगा तब भी दी जाती सकती है और वह अपने तरीके से भेज दी जायेगी। अब डिस्ट्रिक्ट आफिसर जरूर लिखा हुआ है लेकिन जिले का हाकिम अगर दौरे पर हो तो तो दौरे पर नहीं दी जायगी । इस अमेंडमेन्ट से यह रुकावट पड़ती है । मेरा ऐसा ख्याल है कि यह अमेंडमेन्ट उस रोशनी में रखा गया है जब हमारे सूबे में कमिश्नर बहुत कम कर दिये गये और कमिश्नर जिलों में मुश्किल से साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा जाते थे । लेकिन अब कमिश्नरों की तादाद बहुत बढ़ा दी गई और अब इतने कमिश्नर हो गये कि वे न सिर्फ हर जिले के हेडक्वार्टर में जाते हैं। बल्कि जिले की तहसीलों में जाते हैं तो अगर तहसीलों में दौरा करने पर इस तरह के काश्तकार जो गरीब आदमी है ये अपनी दरख्वास्त दौरे पर ही दें तो कम से कम किराये का खर्चा बच सकता था और किराये का खर्चा काफी पड़ता है चाहे वह रोडवेज की गाड़ी हो या रेलवे की गाड़ी हो सबका किराया पिछले जमाने से बढ़ा हुआ ही है । किसी का किराया तो कम हुआ नहीं । तो यह एक आवश्यक खर्चा बच जाता था इस अमेंडमेन्ट से यह अनावश्यक खर्चा बढ़ जायगा तो मैं यह समझता हूं कि इस बात पर गौर किया जाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट आफिसर की जगह पर जहां पर डिस्ट्रिक्ट आफिसर है वहां डिस्टिक्ट आफिसर जब टूर में भी हो तब भी अगर बढ़ा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि जो मंशा सरकार का है वह सफल हो जायगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अमेंडमेंट कोई आयेगा और उस अमेंडमेंट को यह सरकार स्वीकार करेगी । तो मैं समझता हूं कि यह दिक्कत दूर हो जायगी ।

दूसरा हिस्सा जो है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन यह जो तीसरा हिस्सा है (सी) इसे अगर आप उपाध्यक्ष महोदय देखेंगे तो इससे भी कुछ थोड़ी सी दिक्कत हमको दिखायी दे रही है ।

शिवनारायण जी की बात मैं सुन नहीं रहा हूं, जरा जोर से कहें ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—किताब भी तो इस्तेमाल कीजिये। हम भी तो समझें।

श्री गेंदासिंह—किताब में, इसकी जगह पर जो कुछ कह रहा हूं, उसका सब्सटीट्यूट है, इस किताब में और इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है उसके स्थान पर जो बताया जा रहा है यह रख दिया जाय। जो कुछ मैंने कहा माननीय शिवनारायण जी से या इस सभा से वह वही बात कही कि जो इस किताब में और इसमें फर्क पड़ता है। मैं समझता हूं कि मुझसे कम समझदार शिवनारायण जी तो हैं नहीं। मुझसे कुछ ज्यादा ही अक्ल रखते हैं। यह मैं मानता हूं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर समझदारी से काम किया जायगा तो फिर किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताब की जहां जरूरत पड़े वहां मैं आपके सामने पेश करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। आपसे मैं मदद ले लूंगा। दूसरे हिस्से में—

"All defects ascertained shall forthwith be pointed out in writing by the Registrar of the Board's Office to the person filing the appeal or application."

इसके बाद यह है—

"If the defect be that the appeal or application is insufficiently stamped or that the necessary copies are wanting, the person filing the appeal or application shall be called upon to remedy it within a resonable time to be specified in the written intimation aforesaid and his signature obtained on the file."

इसमें जो शब्द अफोरसेड आया है, तो इंटीमेशन शब्द कहीं ऊपर नहीं आया। मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी जरा इसको देखें। इंटीमेशन अफोरसेड वाली जो बात है, इंटीमेशन अफोरसेड आया नहीं है, इंटीमेशन उसको कोई दिया ही नहीं गया। अगर इंटीमेशन दिया ही नहीं गया तो यह कमी रह जाती है और मैं समझता हूं कि यह यहां पर, जहां पर कि एप्लीकेशन है परसन फाईलिंग दि अपील और एप्लीकेशन, वहां पर "ऐंड इंटीमेशन गिवेन टु हिम" अगर यह भी रखा जाय, मैं अमेंडमेन्ट चाहता हूं लेकिन चूंकि उसके रखने का वक्त नहीं है इसलिए अमेंडमेन्ट नहीं रख रहा हूं। लेकिन वह इस पर विचार करेंगे कि अगर इसको इस तरह से रख दिया जाय तो वह पूरा हो जायगा।

दूसरी बात मैं और जरा शिवनारायण जी का हुक्म तामील कर दूं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं इस किताब को जरूर पढ़ना चाहता हूं और जब मैं पूरा पैरा पढ़ दूंगा और मैं उनसे चाहूंगा कि पूरा पैरा इस किताब का १६३ जिस जगह पर यह बतलाया जा रहा है उसको देख लें। मेरा खयाल है कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही वह भी सोचेंगे। इसमें लिखा हुआ है। जरा लम्बा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहूंगा:—

"(*b*) Every appeal or application to the Board of Revenue presented to a Member at Naini Tal or to the District Officer of the district under rule 163(*a*) shall forthwith be sent to the Registrar of the Board's office at Allahabad.

(*c*) Every appeal or a application to the Board of Revenue presented to the Registrar of the Board's Office at Allahabad or received by him under sub-rule 163(*b*) shall immediately be examined and a note recorded on the memorandum or application as to whether the appeal or appilication is in due form and stamped to the full extent to the Court-fee required and is accompanied by certified copies of the decree or order appealed against and of the judgments in the case passed by all the Courts subordinate to the Board and whether it is *prima facie* within time or not."

[श्री गेंदासिंह]

इसके आगे जो कुछ है उसकी ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसमें कुछ ऐसी सहूलियतें थीं जिनको आप इन नये रूल्स में खत्म करने जा रहे हैं । उनकी सहूलियतें छीनी जा रही हैं । इसमें आगे है:—

"All defects ascertained shall forthwith be pointed out in writing by the Registrar of the Board's Office to the person filing the appeal or application. If the defect be that the appeal or application is insufficiently stamped or that the necessary copies are wanting, the person filing the appeal or application shall be called upon to remedy it within a reasonable time to be specified in the written intimation aforesaid and his signature obtained on the file."

इसमें आगे है—

"The period of grace in the case of absence of the necessary copies shall not, however, exceed the period of limitation and the person filing such appeal or application shall also be informed that, failure to remedy the defect within the specified time, will make the appeal or application liable to be deposited. If the person filing the appeal or application be not present the necessary intimation shall be sent to him by post, service bearing.

(*d*) On receipt of the Board's Office the appeal or application which is not in due form, or which, *prima facie*, has not been filed within the period of limitation shall be laid as soon as possible before the Court for orders.

(*e*) In the case of an appeal or application, which is insufficiently stamped, a formal order on behalf of the Court shall be issued by the Registrar requiring such person to make good the deficiency within a period to be specified therein. On the expiry of this period the appeal or appliction shall be placed before the Court for orders."

तो इन सारी कार्यव हियों के बाद भी अगर वह नहीं आता है केस या मुकदमा लड़ने वाला तो फिर उसमें एक बार दुबारा मौका देने की गुंजाइश है । डाकखाने से उसको दुबारा मौका दिया जायगा । लेकिन इस अमेंडमेन्ट में दुबारा मौका देने की गुंजाइश नहीं रह जाती । तो मैं यह समझता हूं कि जब कोई सहूलियत देने का अमेंडमेन्ट किया जा रहा है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो सहूलियतें उनको पहले से मिली हैं वह तो हम छीनने नहीं जा रहे हैं । हो सकता है कि वह बिना गौर किये हुए ऐसी कुछ सहूलियत छीनने जा रहे हों । मैं समझता हूं कि उस तरफ ध्यान जाना चाहिये ताकि उनकी जो सहूलियतें हैं उनको छीना न जा सके ।

अब "डी" के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । इसमें ऐसा लगता है कि यह बिलकुल इंडिपेंडेन्ट क्लाज है । इसका संबंध, मैं समझता हूं कि ऊपर से जरूर कुछ न कुछ होना चाहिये । इसमें यह है :—

"On receipt in the Board's office the appeal or application which is not in due form, or which, *prima facie*, has not been filed within the period of limitation shall be laid as soon as possible before the Court for orders."

तो इसका क्या मतलब है । इसमें कहा जाता है कि अगर वह ड्यू फार्म पर नहीं है या अगर वह मियाद के भीतर नहीं है तो इसमें यह कहा जा रहा है कि वह जल्द से जल्द सरकार के सामने आर्डर के लिये रख दिया जायगा । इसमें लिखा हुआ है कि:—

"On receipt in the Board's office the appeal or application, which is not in due form."

तो यह रिसीव तो उसमें भी होता है । "ए" में:—

"Every appeal or application to the Board of Revenue shall, unless the Board by special order in any case otherwise direct, be presented to the

Registrar of the Board's office at Allahabad or to a Member at Naini Tal or to the District Officer of the district concerned."

और वह सारी दरख्वास्तें डाइरेक्ट रजिस्ट्रार को भेज दी जायंगी । तो यह परिसीव तो उसी वक्त होगा और फिर "सी" में उसकी खामियों को दूर करने की बात रखी गई है तो अब यह (d) में ऐसा लिखा दिया जाने से मालूम होता है कि (c) का ध्यान नहीं रहा और बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो या तो बेकार है और नहीं तो बेकार कर देता है अगर इसको माना जाय कि यह माकूल है तो फिर यह बेकार कर देता है ऊपर के हिस्से को । यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि ऊपर की कार्यवाही हो जाने के बाद उन खामियों को दूर करने की कोशिश होने के बाद, अगर उन खामियों को कोई दूर नहीं करता है तो अदालत के सामने आर्डर के लिये रखा जायगा । तो मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी अब जब कुछ कहेंगे तो अपने पूरे उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे कि किस गरज से उन्होंने इस तरह का अमेंडमेंट लाना पसन्द किया है और जो कुछ सुझाव मैंने रखे हैं उन पर उनका क्या विचार है और मैं समझता हूं अगर सही माने में काश्तकारों की, लिटीगेंट्स की दिक्कत को दूर करने के लिये यह बात रखी गई है तो मेरा विचार है कि वे इन बातों को कबूल करेंगे इतनी बात कह करके मैं यह चाहूंगा कि इसमें रेवेन्यू कोड मैनुअल में, यह हम केवल अपील के तौर पर उनसे कहना चाहते हैं कि जहां भी वह बहुत सी खामियां हैं ऐसी हैं जिनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वे इस स्कोप में नहीं हैं तो इसलिये मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा । किसानों को इस बात की जानकारी होनी चाहिये जैसी उनकी इच्छा है कि हमारे देहात के सीधे-सादे किसान जो हैं उन अनपढ़ लोगों की समझ में आने लायक भी जमीन का कुछ ऐसा कानून बनना चाहिये कि जिससे बहुत आसानी से लोग समझ पावें । थोड़ा पढ़ने वाला भी समझ पावे और जो उसका लाभ, लेजिस्लेशन का लाभ और जो सरकार की मंशा है और जिनको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनके पास तक पहुंच पावे, इसका ध्यान रखना चाहिये । इसका अनुभव हम लोगों को काफी हो चुका है कि यहां से जो कानून बनाये जाते हैं उनसे बहुत से लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि ऐसा कोई इस तरह का मैनुअल बनाया जाय कि इस रेवेन्यू कोड मैनुअल में मैं मानता हूं कि बहुत सी चार्जेज ऐसे हैं जिनका मतलब सिर्फ सेक्रेटरियट से है लेकिन सेक्रेटरियट से मतलब रखने वाली बात सारे किसानों से भी मतलब रखती है । इसलिये ऐसी भाषा में, जिसमें लोग समझ सकें, यह मैनुअल बननी चाहिये ताकि हम भी और साधारण लोग भी उसकी सेवा में कम से कम अपने सुझाव भेज सकें कि इस जगह पर यह खामियां हैं और इसके दूर करने से लाखों आदमियों का भला हो सकता है । उनकी जानकारी ख्वाहमख्वाह में बोझ नहीं डालूंगा । तो मैं सोचता हूं कि इस पर भी विचार करके कुछ इस सम्बन्ध में भी हमें बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष—जो नियम सदन के सामने हैं उनके सम्बन्ध में मेरे पास ५ संशोधन आये हैं । मैंने उनकी प्रतिलिपि माननीय मंत्री जी के पास भिजवा दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी बाबत माननीय मंत्री जी को कुछ कहना हो तो कहें, नहीं तो मैं इन्हें ले लूंगा ।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि ठीक इसी वक्त जो संशोधन मिले हैं उनको न मैंने पढ़ा है और न इतना समय है । तो इसलिये मैं उन पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हूं । महीने से यह बड़ा हुआ था आइटम एजेन्डा पर, तो इस पर संशोधन आ सकते थे, कल आ सकते थे, आज सवेरे आ सकते थे ।

श्री गैंदासिंह—किताब के न मिलने से ऐसी दिक्कत थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जैसा विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि पुस्तक के मिलने में हमें इतनी कठिनाई हुई कि अब उसका ब्योरा मंत्री जी से कहा जाय तो समय नष्ट करना होगा। दरअस्ल में बात यह रही कि विधान सभा पुस्तकालय में जिन किताबों के बारे में हम समझते थे कि जरूर होंगी, नहीं होती और जब विभाग से मांगी जाती हैं तो वहां एक ही किताब होने के कारण उन्हें भी चाहिये तो इसलिये यह संशोधन समय पर नहीं दिये जा सके यह दिक्कत रही। और दूसरी बात यह है कि ख्याल यह था कि इससे पहले जो और कार्य था, वह आने वाला था, लेकिन चूंकि उसमें हेर-फेर हो गया तो इस वजह से संशोधन देने में देर हुई। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे और उन पर मंत्री जी की तरफ से स्पष्टोक्ति हो जानी चाहिये, इस पर ज्यादा एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि एक तो जमींदारी एबालीशन के रूल्स थे जो दो वर्ष से सरकार के विचाराधीन हैं इस टेबुल पर और ६, ७ दिन में वह आ सकते थे लेकिन कल वह एकायक एजेंडे से गायब हो गये। उसके लिये संशोधन तैयार किये गये थे, लेकिन वह हटा लिया गया। यह तो हम मानते हैं कि बीस पच्चीस आइटम सरकार पेश कर देती है एजेंडे पर उसके लिये हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिये लेकिन व्यवहार में यह न हमारे लिये मुमकिन है और न सरकार के लिये ही मुमकिन है। तो सात दिन का एजेंडा एकाएक हट गया और यह सामने आ गया तो ऐसी परिस्थिति में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि माननीय मंत्री जी के विरोध के बावजूद भी आप इनके लिये अनुमति दे दें, आपको पावर तो है ही।

श्री उपाध्यक्ष—मगर जमींदारी एबालीशन के रूल्स तो माननीय जगन्नाथ मल्ल की रिक्वेस्ट पर ही हटाये गये थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी एक पार्टी के चीफ ह्विप हैं लेकिन उनके अलावा और लोग भी तो हैं, ऐसी हालत में यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला बेवरिया)—श्रीमन्, एक बात मुझे अर्ज कर देनी है कि कल जब मैंने निवेदन किया था तो उस समय यह सदन उठ रहा था, शाम को यह चीज तय हुई। फिर जब सदन उठ गया तो कोई भी आफिस में आदमी मिल नहीं सकता था और किताबें भी नहीं मिल सकती थीं कि इसको पढ़कर संशोधन दे दिया जाता। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन आप मान लें और माननीय मंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि ये जितने भी संशोधन दिये गये हैं, वह ऐसे हैं कि जो उसकी सफाई करते हैं और कोई ऐसे नहीं हैं कि जिनको लेने में कोई हर्ज हो अगर हम इतनी देर में संशोधन दे सकते हैं तो माननीय मंत्री जी पढ़ भी सकते हैं। कोई बड़े-बड़े संशोधन तो हैं नहीं।

श्री चरणसिंह—मुझे ताज्जुब है यह देखकर कि किस तरह से माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी की निर्मूल आपत्ति का समर्थन करने की कोशिश की है। उसे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ जैसा आपने खुद फरमाया कल अपोजीशन की ही तरफ से यह दरख्वास्त की गई थी कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के रूल्स बाद में ले लिये जायं। मुझसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल पूछा कि आपको कोई उज्र है। मैंने कहा कि मुझे सारे दिन एक समान हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे आज ले लिये जायं, चाहे कल ले लिये जायं, चाहे सौ दिन बाद ले लिये जायं। उनके कहने से वह हटाये गये। अब दूसरी बात यह कही गई कि सदन में और लोग भी हैं। मगर जो अपोजीशन पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी है उसकी तरफ से कोई दरख्वास्त की जाय और उस बात को अगर वह सदन मान ले और अध्यक्ष महोदय मान लें तो यह कोई बात नहीं हुई कि और लोग भी हैं, लिहाजा सबकी स्वीकृति क्यों नहीं ली गई।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अगर ऐसा कोई नियम हो तो आप बता दीजिये कि ऐसे आप अपोजीशन से मिलकर कोई फैसला कर सकते हैं।

श्री चरणसिंह—जगन्नाथ मल्ल जी ने तीसरी बात यह कही कि उस वक्त सदन उठ रहा था तो क्या सदन में पांच बजे या पौने पांच बजे जो बात कही जाय उसकी वकअत कुछ कम होनी चाहिये बनिस्बत उसके जो ११ बजे कही जाय ? यानी किस वक्त कितने आदमी मौजूद थे उसके हिसाब से उसकी वैलिडिटी पर कुछ असर होता है ? अब श्रीमन्, यह बात कि यह एजेंडे पर तो चढ़े हुए थे लेकिन यह क्या उम्मीद थी कि आज ही आ जायेंगे। तो एजेंडे पर जो चीज चढ़ी हुई होती है उसके मुताल्लिक किसी को जितने भी अमेंडमेंट्स देने हों, वह पहले ही से आ जाने चाहिये। अगर किसी वजह से एक आइटम बीच का न लिया जा सके तो दूसरा आइटम आ जाय उसके मुताल्लिक किसी का यह कहना कि यह एजेंडा नहीं लिया जायगा, यही लिया जायगा, श्रीमन्, ऐसा तो कुछ रूल्स में है नहीं कि एक आइटम जिस पर आज विचार हो रहा है, उसके आइटम पर तो अमेंडमेंट दे देना चाहिये और बाकी पर नहीं देना चाहिये। यह कोई बात नहीं हुई। फिर श्रीमन्, वह कहते हैं कि पढ़ लिया होगा। मैंने नहीं पढ़ा और जानबूझ कर नहीं पढ़ा क्योंकि रेवेन्यू कोड मैनुअल हो या जमींदारी एबालीशन रूल्स हों, ये कानूनी चीजें हैं और बहुत सोच समझ करके लीगल रिमेम्बरेंसर के मशविरे से वह चीज बनती है। बिना उनके कोई चीज नहीं बनती है। तो मैं इसी वक्त आपके अमेंडमेंट को पढ़ कर अगर हां या ना कर दूं यह सदन के साथ अन्याय होगा। लिहाजा अगर मुझे मौका होता, और अगर मैं जरूरी समझता तो ला ऐडवाइजर से दरयाफ्त करता, तब जैसी राय होती वैसी राय कायम करता। वह मौका नहीं दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसमें क्या दिक्कर होती है फौरन पढ़ कर अपनी राय कायम कर सकते हैं। श्रीमन्, मेरी अक्ल इतनी तेज नहीं य कि मैं अपनी राय इतनी जल्दी कायम कर सकूं।

एक बात और, माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि "दर असल में" किताब नहीं मिलती। दरअस्ल में अगर किताब नहीं मिलती है तो एक रास्ता यह था कि मुझको हुक्म दे देते, तो मैं कोशिश करता कि उनकी दिक्कत को दूर कर सकूं। हो सकता है कि किताबें पुरानी हो गयी हों। अमेंडमेंट होते रहते हैं, वह अमेंडमेंट्स सब गजेट्स में मौजूद हैं। एक किताब मान लीजिये १९५३ में छपी १९५४ में चार अमेंडमेंट्स हो गये, तो यह नहीं है कि फिर अमेंडेड किताब एक दम छाप दी जा सके। ऐसा दुनिया भर में कोई कायदा नहीं है। जब और १०–२० अमेंडमेंट हो जायं तब गवर्नमेंट अगर जरूरी समझती है तो अप-टू-डेट संस्करण छाप देती है। तो अमेंडेमेंट अप-टु-डेट संस्करण चाहते थे, ऐसा संस्करण लाइब्रेरी वगैरा में नहीं मिला होगा। वैसे कोई पुरानी पुस्तक होगी। अगर कोई दिक्कत थी तो मुझे हुक्म देते। मैं उनका हुक्म बजा लाने की कोशिश करता। तो जो बातें उधर से कही गयी हैं उनमें से "दर-असल" कोई वैलिडिटी नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा कि मंत्री जी ने पढ़ ली होगी। मैंने यह कहा कि ये तो ऐसे अमेंडमेंट्स हैं कि मंत्री जी पढ़ सकते हैं और हम लोग इतना तो समझते ही हैं कि मंत्री जी को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मंत्री जी बहुत होशियार आदमी हैं और पढ़ कर समझ सकते हैं। दूसरी बात, यह जरूर है कि हम लोगों ने ही रिक्वेस्ट की थी कि जमींदारी एबालीशन वाले रूल्स पोस्टपोन कर दिये जायं। उसके साथ हमारी यह मंशा कोई नहीं थी कि ५ बजे कोई बात कहने में कोई वैसी चीज थी और ११ बजे कोई दूसरी चीज होगी। हमारे कहने का मतलब यह था कि उस रोज एक चीज पर बहस हो रही थी और हम लोग उसमें फंसे हुए थे तो उस वक्त अमेंडमेंट देना बहुत मुश्किल था। हम ११ बजे और ५ बजे में कोई फर्क नहीं समझते हैं। सदन की वही प्रतिष्ठा हमेशा है। तो यह जो मंत्री जी ने कहा वह वैसी बात थी। तो मैं तो समझता हूं कि वह पढ़ सकते हैं और अमेंडमेंट को ले सकते हैं और यदि कोई हठधर्मी अख्तियार कर ली हो तो फिर कुछ कहना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे तो एक ही तर्क उपस्थित करना है कि आज तक इस सदन में हमेशा यह कनवेंशन रहा है, परम्परा रही है कि अगर सरकार की ओर से कोई ऐन मौके पर संशोधन आया है तो हम लोगों ने उसे मंजूर कर लिया है और उस समय जब स्पीकर साहब ने पूछा है कि किसी को एतराज नहीं है? तो हमने उसे देखा भी नहीं और पेश होने की स्वीकृति दे दी। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि हाथों हाथ संशोधन वहां पर मिले हैं कई बार मिले भी नहीं, वहां से पुट कर गये दिये हैं। आज माननीय चरण सिंह जी अपनी लच्छेदार बातों में उस परम्परा को तोड़ना चाहते हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर परम्परा मंत्री जी तोड़ना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी। वह हमारे संशोधन स्वीकार न करें, लेकिन भविष्य में हमारे लिये भी न कहा जाय कि इन्होंने संशोधन में एतराज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—मुझे इस संबंध में कठिनता यह होती है कि नियमों में ये संशोधन ११ फरवरी, ५४ से सामने आ चुके हैं और एजेंडे पर भी आ रहे हैं और यह भी एतराज किया गया है कि रेवेन्यू की मैनुअल मिल नहीं पाती है, इसलिये अगर आज विवाद के लिये मौका दिया जाय तो सब माननीय सदस्य इसके लिये तैयार पाये जायेंगे या नहीं, उसमें संदेह पाया जाता है। मैं चाहता हूं कि मौका दूं, मगर माननीय राजस्व मंत्री इसके लिये एतराज करते हैं। मैं मजबूर हूं, इसलिये मैं अमेंडमेंट नहीं ले सकूंगा, लेकिन माननीय सदस्य जो सुझाव देना चाहते हैं वह दे दें, ताकि माननीय मंत्री जी उस पर विचार कर सकें और यदि भविष्य में उस से कोई लाभ हो सके तो लाभ उठाने की कृपा करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय राजस्व मंत्री बोल रहे थे तो उस समय मुझे कुछ चन्द मिनट पहले की बात याद आ गयी। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साढे तीन साल से जनता की तरफ से हम लोग इस सरकार को यह सुझाव देते रहे हैं कि पुरानी लकीर के फकीर न बनो और कदम कदम पर जो आपके लीगल ऐडवाइजर्स हैं उन्हीं की बात न मानो जिसका तल्ख तजुर्बा माननीय मंत्रियों को है कि वे उनको ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं उनके लीगल ऐडवाइजर्स कि जहां से निकल सकना उनके लिये असंभव हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप सुझाव दें तो अच्छा हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, सुझाव ही दे रहा हूं यह तो उसकी भूमिका बांध रहा हूं। आज माननीय मंत्री जी ने यह स्वतः मान लिया कि वे एक कदम भी बिना लीगल एडवाइजर के नहीं चल सकते। इन संशोधनों को देख कर मुझे यह याद आया। असलियत तो यह है कि माननीय मंत्री लोग किसी विधेयक पर ज्यादा ध्यान तो देते नहीं हैं। जब वह सदन में पेश हो जाता है तब उसको देखते हैं, उससे पहले तो वह लीगल [मेम्बर्सर के पास ही रहता है या विभाग में रहता है। लगातार प्रश्नों के जरिये से हम लोगों ने इस सरकार को यह सुझाव दिया कि आपके कापींग डिपार्टमेंट में काफी देर होती है। दरख्वास्तें इतनी पड़ी हुई हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट माननीय राजस्व मंत्री जी से यह मांग करता है कि हमारे पास नकल करने के लिये कापीस्ट दीजिये लेकिन इसके बावजूद यहां से यह कह दिया जाता है कि बजट में रुपया नहीं है। एक तरफ तो शांति और व्यवस्था की सरकार डींग हांकती है और दूसरी तरफ इस तरह की कठिनाइयों से कितनी अव्यवस्था प्रदेश में फैलती है, यह सभी को मालूम है। जो नियम १६३ रेवेन्यू मैनुअल कोड का था उसमें यह लिखा था कि अगर किसी वजह से नकल मोहइया न हो सके तो उसकी अपील के लिये जितना लिमिटेशन होता है उसी के बराबर [आयती दिन मिलने चाहिये। क्या माननीय राजस्व मंत्री इन दिक्कतों को नहीं जानते? अगर जरा सा भी सरकार ने हमारा उपदेश मान लिया होता और साढ़े तीन वर्ष के हमारे उपदेश का उनके ऊपर कुछ असर हुआ होता.....।

श्री शिवनारायण—आप क्या उपदेश कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जरा सब्र कीजिये। तो अगर सचमुच जनता की तकलीफों का सरकार को ध्यान होता तो कम से कम जो प्रेस दिया जाता है अगर वह लिमिटेशन पीरियड का डबल हो जाय तो मैं समझूं कि सचमुच जनता की सुविधाओं का ध्यान किया गया है। लेकिन वहां तो सिवाय कमिश्नर को हटा कर उसकी जगह डिस्ट्रिक्ट आफिसर करने के और कोई मौलिक परिवर्तन नहीं है।

तो पहला सुझाव तो मेरा यह है माननीय शिवनारायण के जरिये राजस्व मंत्री जी से कि मैं यह चाहता हूं कि डेज आफ प्रेस जो कि कागजात वगैरह न मिल सकने की वजह से दिक्कत होती है तो वे डेज आफ प्रेस दूने कर दिये जायं। यानी अगर कोई अपील करने के लिये ३० दिन का वक्त है तो उस आदमी को कम से कम ६० दिन का मौका मिलना चाहिये। इसके अलावा जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि पहले जमाने में तो एक मौका दिया जाता था और मैं समझता था कि इस जमाने में कम से कम दो मौके दिये जायेंगे लेकिन फिर वही लकीर के फकीर, जो पहले मौका था वह भी खत्म कर दिया गया। यह मेरा दूसरा सुझाव है उपाध्यक्ष महोदय, पहले सुझाव के जरिये से मैं यह चाहता हूं कि जो (c) का दूसरा पोर्शन है उसमें यह लिखा है —

"The period of grace in the case of absence of the necessary copies shall not, however, exceed the period of limitation."

उसकी जगह पर अगर यह रख लिया जाय:—

"will be doubled the period of limitation."

श्री जगन्नाथ मल्ल—उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य जो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं उसकी हिन्दी करते जायं तो अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इसमें यह कहा गया है कि कागजात की कापी आफिस में नहीं मिलेगी तो ऐसी हालत में जो अपील की मियाद रखी जाती है उतना ही उनको भी बराबर का मौका दिया जाय और मैं चाहता हूं कि उसकी जगह पर, शब्दावली, में बतला दूं कि जहां शब्द कापीज है :—

"Shall not exceed the period of limitation" के बजाय वाक्यांश "will be doubled the period of limitation." रख दिया जाय यह मेरा पहला सुझाव है।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, शब्द डिपोजिटेड है जो प्रस्तावित नियम के पैरा (२) में all defects से शुरू होता है, उसमें लिखा है कि:—

"The period of grace in the case of absence of the necessary copies shall not, however, exceed the period of limitation and the person filing such appeal or application shall also be in formed that, failure to remedy the defect within the specified time, will make the appeal or application liable to be deposited. If the person filing the appeal or application be not present the necessary intimation shall be sent to him by post, service bearing."

इसमें यह लिखा है कि एक निश्चित समय रजिस्ट्रार की तरफ से या संबंधित अधिकारियों की तरफ से दे दिया जायगा और उस समय के अन्दर कागजात न दाखिल हो सके तो मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया जायगा अगर ऐसा ही रहने दिया जाय तो लोगों के साथ काफी अन्याय होगा। मैं चाहता हूं कि शब्द "डिपोजिटेड" के बाद यह जोड़ दिया जाय कि—

"But the applicant will have the right to apply for more time and the Registrar will give him two more chances before the application is deposited."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

मैं चाहता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में एप्लीकेंट को अख्तियार होगा कि उसको समय न मिले तो वह एक दरख्वास्त और देगा और रजिस्ट्रार उसको मौका देगा अगर दोबारा दरख्वास्त दी जाती है तो कम से कम दो मर्तबा मौका मिलना चाहिये। यह शब्द "डिपोजिटेड" दरख्वास्त बहुत जरूरी है।

माननीय मंत्री जी को तजुर्बे से मालूम होगा कि काफी दिक्कतें होती हैं और काफी खर्चा किसान को करना पड़ता है। पहले तो नियम था कि २४ घंटे में नकल मिल जाती थी लेकिन चरण सिंह का जमाना है अगर २४ दिन में भी मिल जाय तब भी गनीमत समझते हैं। उनको यदि मौका नहीं दिया जाय ा तो काफी अन्याय होगा। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा असफल रहे और वह समझता है कि समय बहुत कम है तो उसे दरख्वास्त देने का अधिकार होगा और हम चाहते हैं कि दो मर्तबा उसको अधिकार दरख्वास्त देने का होना चाहिये। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ३० दिन के बजाय ६० दिन का समय रख दिया जाय तो यह सब कार्यवाही होगी। इसलिये पहले यह हो सकता है। क्योंकि इसमें लिखा है कि.....

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, जब आप पढ़ रहे हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह कि लाउड स्पीकर्स बहुत खराब हैं स्पीचेज साफ सुनाई नहीं देती हैं। पहले भी कहा गया है और अब फिर आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है लेकिन फिर भी सुनाई नहीं पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—इस के लिये आज्ञा दी जा रही है।

श्री पद्म नाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—हम लोग स्पीचेज फालो नहीं कर पाते हैं।

श्री बलवन्त सिंह—इनका लोकेशन भी खराब है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुभव करता हूं और मेरे लाउड स्पीकर के साथ भी सचमुच में ज्यादती है, पता नहीं क्या बात है। तो मैं यह कह रहा था कि जिस समय वह रजिस्ट्रार के आफिस से उनको मौका दिया जाय तो उसमें एक टाइम फिक्स रहेगा जो रीजीनेबिल टाइम कहा गया है। तो जो उनको मौका दिया जाय वह रिआयती पीरियड ३० दिन का हो सकता है। अगर रजिस्ट्रार जरूरी समझता है तो वह उसको सात दिन ही कर सकता है। सात दिन उसकी समझ में आया तो वह सात दिन ही कर देगा और अगर कागजात नहीं आयेंगे तो वह कोर्ट के सामने आर्डर के लिये पेश कर देगा। उसमें कोर्ट के नियम में यह लिखा हुआ है कि न्यायालय के सामने वह आर्डर के लिये पेश करेगा। तो यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह "डिपोजिट" हो जाय। मान लीजिये कि रियायती दिन उसके लिये तीन हैं और सात दिन का मौका दिया ऐसा हो सकता है कि वह दे तो यह उसके साथ अन्याय होगा। उसको दो दफा मौका मिलना चाहिये। कागजात वगैरा में उसको दिक्कत है तो उसको दो दफा मौका दिया जाय। सरकार अपनी रिपोर्ट के बारे में ध्यान नहीं देती है।

अभी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर बहस करते हुए वांचू कमेटी रिपोर्ट का जिक्र आया। उसमें यह कहा गया है कि सर्विस के मामले में काफी घपला होता है। कोई आदमी अगर कागज तामील करने वाले को १,२ रुपया देता है तो वह लिख देता है कि घर पर नहीं है और मिलता नहीं है। ४,५ दफा उसको जाना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि इससे न्याय का गला घुटता है। वांचू कमेटी रिपोर्ट में यह है कि वह रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना चाहिये। मुझे प्रसन्नता होती अगर राजस्व मंत्री जी व चू कमेटी की रिपोर्ट को मान लेते और उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने का प्रबन्ध करते। लेकिन सरकार के सोचने का ढंग दूसरा है। वह चाहती है कि सरकार को कुछ भी खर्च न करना पड़े और काश्तकार की जेब से ही सब खर्चा लिया जाय। पहले यहां का बजट १२ करोड़ का था लेकिन अब वह ९१ करोड़ का हो गया और अब तो ९६ करोड़ का हो गया तो इस जादूगरी को जब सरकार समझती है तो जब वह पहले १२ करोड़

किसान से लेती थी अब वह ९६ करोड़ किसानों से ले रही है और चाहती है कि रजिस्टर्ड न भेजकर बैरंग उसको भेजा जाय। मैं किसानों के हित में निवेदन करूंगा कि सरकार मेरी बात पर ध्यान दे। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से रजिस्टर्ड भेज दे और अपने पास से कुछ पैसा खर्च करे। लेकिन यदि किसानों से लिया जाता है तो सरकार के लिये मुनासिब बात नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरे तीन सुझाव हैं जिन पर सरकार विचार करे और इनको स्वीकार करने की कृपा करे। यह तीनों मैंने अभी बतलाये हैं। पहला तो यह है कि अगर वह आदमी हाजिर न हो तो उसको सूचना बजाय बैरंग भेजने के रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाय। इसमें बैरंग लिखा हुआ है यह नहीं होना चाहिये। सुझाव यह है कि जो उस को लिमिटेशन का पीरियड दिया जा रहा है वह बहुत कम है और उसको बदल कर देना चाहिये ताकि उसको सुविधा हो सके। तीसरा सुझाव है कि उस आदमी को एप्लाई करने का अधिक समय दिया जाय और अधिक मौका दिया जाय उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को डिपोजिट करने की बात हो। मुझे आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता यह था कि माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी, माननीय माल मंत्री जी को बधाई देंगे और इसलिए वह बधाई देंगे कि उनका यह दावा है कि इस देश में सबसे ज्यादा किसानों का अगुवा अगर कोई है तो वह और उसके साथी हैं। लेकिन मुझे जान यह पड़ता है कि माननीय रामनारायण जी फैजाबाद के रहने वाले हैं और वहां के लोगों को इस संशोधन से कुछ दिक्कत हुई होगी, जहां तक मैं समझता हूं। इसीलिए उन्होंने शायद वहां के वकीलों की दिक्कत का यहां पर इजहार किया है वर्ना यह संशोधन तो ऐसे थे कि जिनकी बहुत दिनों से जरूरत थी। किसी आदमी को अपील करने की जरूरत हो और उसके लिये उसको मजबूर होकर कमिश्नरी या हाई कोर्ट तक जाना पड़े, यह कितनी दिक्कत की बात है। इन संशोधनों के द्वारा अब काश्तकारों को यह लाभ होगा कि वह अपने जिले में ही डिस्ट्रिक्ट आफिसर के पास अपनी अपीलें दाखिल कर सकेंगे। इसका पूरा मतलब महज इतना जरा सा है।

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन माननीय रामनारायण जी को इससे नाखुशी हुई। उन्होंने सुझाव तो बाद में दिए लेकिन माननीय मंत्री जी को लकीर का फकीर और सरकार के काश्तकारों से पैसा वसूल करने की बात कही। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उन तक यह पहुंचा देना चाहता हूं कि एक रास्ते पर न चलना और रोज रोज लकीर को छोड़ते रहना उनको मुबारक रहे। यहां तो जिन रास्तों पर चले उनको छोड़ने की कोई गुंजायश नहीं मालूम होती और जिन व्यक्तियों के पीछे चले आज भी उनकी वफादारी में यह सरकार और माननीय माल मंत्री जी चल रहे हैं, रोज रोज का रास्ता छोड़ना, पार्टी छोड़ना, लीडरशिप छोड़ना यह सब उन्हीं को मुबारक रहे और उनकी इस नसीहत को हम लेने को तैयार नहीं हैं। (एक सदस्य—यह वक्त का तकाजा है।) यह वक्त का तकाजा है या बेवक्त की शहनाई है यह वह जानें कि कहां तक रोज रास्ता छोड़ना ठीक है।

माननीय मंत्री जी जानते थे कि काश्तकारों की कठिनाई कहां कहां थी और जहां भी उन्होंने देखा और महसूस किया, और बगैर इस बात का ख्याल किए हुए कि आज माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी को उन्हें क्या कहने का मौका होगा और जो कुछ उन्होंने किया उससे देहात में लाभ हुआ।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से जरूर कहूंगा कि बैरंग चिट्ठी की जहां तक बात है उसमें जरूर कुछ दिक्कत होगी और हो सकता है कि दूसरे फरीक वाले पोस्टमैन को मिला कर दो आना देकर वह चिट्ठी ले लें और उसको पता भी न होगा और चिट्ठी गायब हो जायगी। इसलिए रजिस्टर्ड ही भेजा जाय तो ठीक होगा।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

जहां तक ६० दिन की बात है मैं नहीं समझता कि त्रिपाठी जी की एक ही बात में दो चीजें साथ साथ कैसे हो सकती हैं। उनका यह कहना था कि माननीय राजस्व मंत्री जी के राज्य में लिटिगेशन बहुत हो रहा है और साथ ही वह उस मुकदमेंबाजी का और रास्ता खोलने की बात कहते हैं। कोई मुकदमा दाखिल करना न भी चाहता हो तो आप चाहते हैं कि ३० दिन में अपील न कर सके या आप जैसे लोग मिल जायं पढ़ाने वाले और वह ३२वें या ४०वें दिन किसी के कहने से जाकर दाखिल कर दें। इस तरह से तो और मौका मिलता है मुकदमेबाजी को बढ़ाने का। इस तरह से मुकदमेबाजी को बढ़ाने की सलाह देकर वह लिटिगेशन बढ़ाने का आरोप मंत्री जी पर लगाते हैं। तो मैं, माननीय अध्यक्ष जी आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने काश्तकारों की तकलीफ को महसूस किया और इस बात को महसूस किया कि जरा सी बात पर उनको अपीलें फाइल करने के लिये कमिश्नरी और बोर्ड में जाना पड़ता है। अब डिस्ट्रिक्ट आफिसर के यहां उसको दाखिल कर दिया जायगा और वहां से वह पहुंच जायगा, हां, इसमें जो एक बात है कि कमिश्नरी और बोर्ड के वकीलों को कुछ फायदा था वह कुछ गड़बड़ हो जायगा। मैं इन शब्दों के साथ माननीय माल मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं, अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि मुकदमे के लिये वक्त मिलना चाहिये बल्कि अपील के बाद कागजात को दाखिल करने के लिये जितना अपील का समय हो उससे दूना समय मिलना चाहिये यह मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष—अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैंने यह इसलिये कह दिया है जिससे गलतफहमी न हो।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नियमों में यह परिवर्तन है मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में आम बात न कह कर एक कमी जो मुझे विशेष रूप से महसूस हुई वह कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि जब किसी अपील को डिस्ट्रिक्ट आफिसर या सम्बन्धित सदस्य जो बोर्ड का है उसके सामने पेश किया जायगा तो अपने नोट के साथ वह रजिस्ट्रार के यहां भेज देगा। यदि वह महसूस करता है कि कोई कमी है, इन्सफीशियेंटली स्टाम्प्ड है या फार्म में नही है उसको वापस कर देगा और कहेगा कि इतने समय के अन्दर उसकी पूर्ति करनी है। वह समय जो अपील का टाइम है उसके बाहर भी हो सकता है लेकिन जहां कापीज आफ डिक्रीज जजमेंट्स या आर्डर्स हैं अगर अपील के साथ इनमें से कोई नत्थी नहीं है तो रजिस्ट्रार को अधिकार नहीं दिया गया है कि जो लिमिटेशन का समय है उसके बाहर कुछ समय दे सके। उदाहरण के रूप में यदि अपील का समय तीन महीना है और आम तौर पर होता है कि जो अपीलांट होते हैं जब आमतौर पर अपील का समय नजदीक आता है तब उसकी अपील पेश होती है। मान लीजिये कि २ महीने २५ दिन बाद डिस्ट्रिक्ट आफिसर के यहां अपील पेश की गई। अब लिमिटेशन का पीरियड तो ५ दिन रह जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट आफिसर द्वारा रजिस्ट्रार को जो अपील के ये कागजात भेजे जायेंगे उसमें भी कम से कम १५, २० दिन लग सकते हैं। अब रजिस्ट्रार के सामने यह पाया जाता है कि इस अपील के साथ कापी आफ जजमेंट या आर्डर नहीं है या ऐसे कागज नहीं हैं तो रजिस्ट्रार को अधिकार नहीं है कि समय वह दे सके। अगर वह समय दे सकेगा तो तभी जब अपील उसके पास दो दिन के अन्दर पहुंच जाती है तो वह रजिस्ट्रार जैसा कि इसमें दिया गया है, चार पांच दिन का समय दे सकता है। इन चार पांच दिन के अन्दर हम नहीं कह सकते कि अपीलांट

के पास रजिस्ट्रार का इंटीमेशन पहुंच जायगा। तो चार पांच दिन के अन्दर वह अपीलांट रजिस्ट्रार के यहां आये और अपनी कापीज, प्रतिलिपियां जजमेंट की दाखिल कर सके तो जहां यह एक्सेप-शन रखा गया है इन नियमों में "The period of grace in the case of absence of the necessary copies shall not, however, exceed the period of limitation." मैं समझता हूं कि अगर यह एक्सेप्शन क्लाज इसमें से निकल सके तो अच्छा है। जहां वह जितना समय रजिस्ट्रार द्वारा अपीलांट को कमी को पूरा करने के लिए दिलाना चाहते हैं, तो इसी तरह से जहां जजमेंट्स, आर्डर्स की कापीज की कमी है तो उसके लिये भी जो रीजिनेबिल जो उचित समय दिया जाय उसके लिये भी लिखा हो। मैं यह कह देना चाहता हूं कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और बाद में कोई परिवर्तन हो जाता है इन नियमों में विचार के सम्बन्ध में तो अच्छा होगा। इससे लिटीगेंट्स को बहुत फायदा पहुंचेगा। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्तहीन आपत्तियों का उत्तर बहुत कठिन हुआ करता है, प्रत्येक आपत्ति के पीछे एक दर्शन होना चाहिये। यह ला फुल लिटिगेशन का सर्वमान्य सिद्धान्त है। इनसफिशेंटली स्टेम्प्ड पेपर जो होते हैं उन पर ला फुल लिमिटेशन का बड़ा असर पड़ता है। अनेक उलझनें इससे बढ़ेंगी। इनसफिशेंटली स्टेम्प्ड पेपर्स इतने बढ़ रहे हैं कि उनका दायित्व क्लर्क कंसर्ड पर पड़ता है और उसकी पे से उसे दिया जाय। ऐसे जो० ओ० हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके अन्तर्गत देखभाल करके वे लिया करें। ऐसा कोई विधान अमूमन नहीं है कि इनसफिशेंटली स्टेम्प्ड पेपर्स फाइल हों तो फौरन रिजैक्ट कर दिये जावें। उनमें सफि-शेंट टाइम दिया जायगा और उसमें लिमिटेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी समझ में यह जो आपत्ति उठाई जा रही है यह मिसअंडरस्टैंडिंग पर उठाई जा रही है। इस सम्बन्ध में हमें रेवेन्यू कोड मैनुअल को समझ लेना चाहिये। यह कोई हमारा इंडिपेंडेंट कोड नहीं है। जो ला में बातें दी गई हैं, जो प्रोसीजर दिया गया है उसका यह एक छाया चित्र है। अगर हम कुछ संशोधन करते हैं तो हमें उस मूल ला में भी परिवर्तन करना होगा जहां से इसकी छाया ली जाती है। माननीय रामनारायण जी ने तीन प्रकार के प्रश्न उठाये। वे ऐसा समझते हैं कि ला कोई टेढ़ा मेढ़ा शब्द होता है जिसको समझने में उनको कठिनाई हुई। यह एक सर्वमान्य बात है कि ला में एक एक शब्द का बहुत मूल्य होता है और वह बहुत देर में समझ में आता है और अगर एक शब्द भी बदल दिया जाय तो अनर्थ हो सकता है और दूसरी दिशा में चला जा सकता है। यह ला बना दें कि इनसफिशेंटली स्टेम्प्ड पेपर के साथ अपील फाइल हो सकती है, लो लिमिटेशन के बाद भी, तो उसके अन्दर एक भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जायगा। पहले पहल यह होता है कि बहुत समय बीत जाने के बाद इतने कम समय के अन्दर दाखिल की जाती है फिर कम स्टाम्प देकर समय बढ़ाया जाता है और फिर कोर्ट को एक विलम्बकारी प्रोसेस होता है कागजात को डिस्पोज आफ करने के लिये कि दाखिले के बाद कितने समय के अन्दर उसे डिस्पोज आफ करना चाहिये ये सब बातें आकर बाधा उपस्थित करती हैं। इस कारण मेरे अनुमान से ला आफ लिमिटेशन का जो सिद्धान्त है उसके अन्दर दाखिल होगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसमें भी आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इसलिये यह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बहुत अच्छी हिन्दी बोल सकते हैं। मैं देखता हूं कि अंग्रेजी के शब्द उनके भाषण में बहुत आ रहे हैं। बीच बीच में अंग्रेजी के बहुत से शब्द बोलने से समझने में बहुत कठिनाई हो जाती है।

श्री रामलखन मिश्र—मुझे दुःख है कि मेरी भाषा ऐसी ही रही है। लेकिन जब हिन्दी बोलने लगता हूं तो संस्कृत गर्भा हिन्दी हो जाती है और माननीय मित्र कहा करते हैं कि आप तो संस्कृत गर्भा हिन्दी बोलते हैं। बाज बाज मर्तबा रिपोर्ट्स को भी कठिनाई हो जाती है।

[श्री रामलखन मिश्र]

दूसरे जो आपत्ति उपस्थित की गई थी वह प्रोसेस के सम्बन्ध में थी कि किस तरह से वादी प्रतिवादी को सूचना दी जाय और प्रतिवादी को फिर प्रभावकारी रूप में कैसे सूचना दी जाय। मैं यह समझता हूं कि यह तो बिल्कुल काल्पनिक डर की उपज है। इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। मेरा अपनी कमिश्नरी का अनुभव है ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रतिवादी को समय से सूचना न मिली हो। तहसीलों के द्वारा भी सूचना दी जाती है और भी तरीके से सूचना देते हैं और यह नहीं कि उसका प्रभावकारी असर न पड़ा हो। इस तरह से विशेष रजिस्ट्री की व्यवस्था बना कर एक और कठिनाई उत्पन्न करना होगा। इसमें कोई विशेष खूबी की बात नहीं है। माननीय मंत्री की सेवा में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इतना सुन्दर प्रोसेस बना दें। एक बिसुआ जमीन के लिए, एक धुर जमीन के लिए यदि उ को कहीं अपील करनी हो तो उसे कमिश्नर की कोर्ट में जाने के लिए बस्ती से गोरखपुर जाना पड़ता है। उसे बस्ती जिलाधीश के द्वारा ही हम कराना चाहते हैं यह बड़ा सुन्दर हुआ। लेकिन पहले मेरा अनुमान यह है कि ऐसा ही विधान था, मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि संस्कृतगर्भा न हो, क्योंकि इस सम्बन्ध में मेरी ज्यादा कमी है, यदि जिलाधीश को यह अधिकार प्राप्त हो जायं, कुछ प्रकार की अप लों को जो अतिरिक्त कमिश्नर होते हैं, यह अधिकार जिलाधीश को भी प्राप्त रहें तो इनकी सुनवायी जो है जिले में, उनके यहां ही हो जाय। पहले बराबर यह रहा है और यह प्रथा बहुत ही मंगलकारी सिद्ध हुई है। एक थोड़ी सी बात है। एक छोटा सा किसान एक धुर रकबे के लिए, कट धूमवाहिनी गंदी गाड़ी पर सवार होकर धुंधलाकार वायुमंडल में जाता है तो कमिश्नर के इजलास में पहुंचते पहुंचते उसके मस्तिष्क के खंड खंड हो जाते हैं और वायु खंडित बादल की भांति उसकी विचारधारा छिन्न भिन्न हो जाती है। अभिभावक के पास पहुंचते पहुंचते उसकी मुद्रा का भी सर्वनाश हो जाता है। इस कारण से मैं अपने माल मंत्री की सेवा में बराबर कहता रहा यद्यपि वह इस तर्क पर नहीं पहुंचे कि ऐसा अधिकार जैसा कि पहले रहा है वह जिलाधीशों को दे दें इसमें सरकार का मान ही बढ़ेगा और न इसमें सरकार को कोई आर्थिक संकट में डालने की बात है। बार ऐसोसिएशन ने मुझे स्मृतिपत्र भी दिया और मैंने स्मृतिपत्र के रूप में उसको प्रस्तुत भी किया। लेकिन मैं सिद्धस्त नहीं हो सका। इन शब्दों के साथ में अपनी इस विचारधारा को सम्बद्ध करता हूं और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि आपत्ति करने वालों ने आपत्ति मूर्छा में की है, उसके अन्दर विवेक नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विचाराधीन है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो सुविधा इसके द्वारा दी गयी है उसका जनता में स्वागत हुआ है और अपीलें जो बोर्ड आफ रेवेन्यू को की जाती हैं उसके दाखिल करने में काफी आसानी हो गयी है। जहां तक अपील दाखिल करने की बात है उसमें आसानी हो गयी है और बाकी और प्रोसीडचोर की बात है। रजिस्ट्रार देख लेंगे कि कोर्टफीस है या नहीं ठीक। वह यह भी देख लेंगे कि विदिन लिमिटेशन है या नहीं और अपनी रिपोर्ट उस पर दर्ज करेंगे।

लेकिन एक बात की तरफ जरूर मैं माननीय माल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपीलें जो बोर्ड आफ रेवेन्यू को फाइल की जायंगी उसमें जिस अदालत के फैसले की अपील होगी, उसके फैसले की तजवीज और डिग्री की नकल दाखिल की जाती है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि कभी कभी फैसला हो जाता है और जो पार्टीज होती हैं उन्हें फैसले का पता देर में चलता है। कभी कभी मियाद खत्म होने के वक्त फैसले का पता चलता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि बाज दफा तजवीज जो हाकिम लोग देते हैं वह देते हैं बहुत देर करके। तो जिस रोज तजवीज सुनायी जाती है उसमें जो फैसले की तारीख होती है उसके बहुत दिन बाद कभी कभी यह होता है कि वकील तक को पता नहीं होता है और फैसला हो जाता है

दाखिल दफ्तर हो जाता है। तो यह दिक्कतें क्लायंट्स के सामने आती हैं। फैसले के बाद अगर फौरन ही नकल की दरखास्त पड़ गई तब तो अपील मियाद के अन्दर दाखिल करने की बात होती है क्योंकि जितना टाइम नकल में लगता है वह टाइम लिमिटेशन में मुजरा कर दिया जाता है लेकिन बदकिस्मती से अगर फैसले का पता न चला और नकल की दरख्वास्त न पड़ी तो नकल मिलने ही नहीं आती और उसकी अपील नहीं हो सकती। तो जब नकल की दरख्वास्त हो तो पीरियड आफ ग्रेस दिया जाय कि नकल दाखिल करने को है और इतने दिन के अन्दर नकल दाखिल कर दो। उसमें यह लिखा है कि विदिन लिमिटेशन नकल दाखिल हो जानी चाहिये और अगर वह दाखिल न हो तो यह समझा जायगा कि विदिन लिमिटेशन अपील दाखिल नहीं हुई। मैं यह समझता हूं कि ग्रेस की बाबत जो इसमें दिया हुआ है उसमें यह लिखा है कि लिमिटेशन का खयाल करते हुए जो कापी वगैरह हो वह दाखिल हो जानी चाहिये। उसमें यह अल्फाज हैं :—

"The period of grace in the case of absence of the necessary copies shall not, however, exceed the period of limitation and the person filing such appeal or application shall also be informed." वगैरह, वगैरह।

तो वह कापी जो दाखिल होगी उसे दाखिल करना चाहिये। मेरा खयाल है कि जो लिमिटेशन हो वह उसके अन्दर हो। जब यह सहूलियत दे देंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां अपील दाखिल हो जाय या नैनीताल में बोर्ड आफ रेवेन्यू के जो मेम्बर हैं वहां दे दी जाय तो फिर यह भी सुविधा होनी चाहिये कि जब रजिस्ट्रार के यहां वह अपील पहुंचेगी और रजिस्ट्रार उसको देखेगा और जो डिफेक्ट्स हैं उनको प्वाइंट आउट करेगा और उसको इत्तला देगा उस पार्टी को जिसने अपील फाइल की है तो यह इत्तला देने के टाइम तक उसमें जो डिफेक्ट्स हैं अगर वह रिमूव कर दिये जायं तो वह अपील विदिन लिमिटेशन मानी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि उस समय तक अगर कोई डिफेक्ट है या कापी वगैरह लगानी है वह अगर लग जाती है तो उसको विदिन लिमिटेशन ही मानना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह इन्साफ की बात होगी। जब वह व्यक्ति विदिन टाइम आयेगा तो सर्टेन डिफेक्ट्स रह ही जाते हैं और अगर डिफेक्ट्स रह जायं तो उसको टाइम दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात है। रामनारायण जी ने कहा कि रजिस्टर्ड भेजा जाय। अगर रजिस्टर्ड न होगा तो पोस्ट बेरियर होगा। तो मैं समझता हूं कि पोस्ट बेरियर होने में उसको मिलने में सर्टेन्टी रहेगी, कोई दूसरा लेगा नहीं। इत्तला देने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसलिये मैं रामनारायण जी के सुझाव को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता कि रजिस्टर्ड ही होना चाहिये लेकिन जब उसको इत्तला मिल जाय और वह आकर उस डिफेक्ट को दूर कर दे, तो यह समझा जाय कि सारी अपील इन आर्डर है। यह न समझा जाय कि अमुक काम विदिन टाइम नहीं किया गया था इसलिये यह रद्द की जाती है। तो इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि इसमें जहां तक उस अंश की बात है वह निकल जाना चाहिये और इसका सुधार होना चाहिय और लिमिटेशन कानून में कितना दिया गया है वही लिमिटेशन मान करके उसे सही होना चाहिये और बाकी में स्वागत करता हूं जिस तरीके पर इस संशोधन के जरिये से सुविधा दी गई है वह काबिले तारीफ है और जो प्रोसीज्योर इसमें बयान किया गया है उससे जनता को सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिये जो मैंने अभी कहा उसी की तरफ माल मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यह बात स्पष्ट है कि जो रेवेन्यू कोड मैनुअल के जिस नियम का संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत है यह कोई सिद्धान्त से सम्बन्धित नहीं है। यह बात भिन्न है कि रेवेन्यू कोड मैनुअल में क्या संशोधन होना चाहिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और क्या नहीं, मैं इस विस्तार में नहीं जाना चाहता और न रेवेन्यू बोर्ड की शक्ति, उसके अधिकार और ऐक्ट के सम्बन्ध में उसके अधिकारों की वृद्धि होनी चाहिये या घटने चाहियें। इस व्योरे में भी नहीं जाना चाहता। जहां तक इस नियम का ताल्लुक है इससे जो पुरानी प्रणाली थी उसके मुकाबले कुछ दो या तीन परिवर्तन होने जा रहे हैं। पहला जो परिवर्तन है वह तो (163-A) जो पुराना था और जो अब है उनको देखने से स्पष्ट होता है वह यह कि पहले तो जो मेम्बर कभी दौरे पर रहता था तो उनको उस दौरे पर रहने पर भी कोई व्यक्ति सजा दे सकता था। आप देखेंगे उसमें शब्द इस्तेमाल किये गये हैं :

"Every appeal and application to the Board of Revenue shall be presented to a Member on tour."

यानी दौरे पर भी उनके सामने प्रस्तुत हो सकती थी। एक दूसरी सहूलियत यह भी थी कि अगर कमिश्नर डिवीजन भी दौरे पर हो तो उसके हैड असिस्टेंट को अर्जी दी जा सकती थी। अब जो (A) उपनियम है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार एक तो मेम्बर बोर्ड को दौरे पर अर्जी नहीं दी जा सकती और दूसरे कमिश्नर के बजाय डिस्ट्रिक्ट आफिसर इंचार्ज जो रेवेन्यू का है उन्हे यह अर्जी दी जायगी। तो एक माने में सुविधा कही जा सकती है कि आपने कमिश्नर के बजाय डिस्ट्रिक्ट आफिसर रख दिया, यह सुविधा मानी जा सकती है। लेकिन मान लीजिये डिस्ट्रिक्ट आफिसर दौरे पर हो तो जो पहले मैनुअल में विधान बना था कि अगर कमिश्नर दौरे पर है तो उनके पी० ए० को इस प्रकार की एप्लीकेशन या पैटीशन दी जा सकती है। तो एक इसमें असुविधा जो होती है वह यह है कि जिला अफसर के दौरे पर रहने पर उसके दफ्तर में अर्जी देने का विधान नहीं है। दूसरे शब्दावली से ऐसा मालूम होता है कि डिस्ट्रिक्ट आफिसर को ही वह पेटीशन या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और दूसरी दिक्कत जो पैदा हो गई वह यह कि पहले तो किसी मेम्बर बोर्ड को दौरे पर अर्जी दी जा सकती थी, लेकिन अब नहीं दी जा सकती। मान लीजिये कि कोई शाहजहांपुर या मेरठ के जिले का एप्लीकेन्ट है और वहां कोई बोर्ड का मेम्बर या चेयरमैन दौरे पर जाता है तो मेरठ उनके आने पर एप्लीकेशन उन्हें नहीं दी जा सकती बल्कि या तो वह नैनीताल जा करके दे या रजिस्ट्रार बोर्ड को दें। तो माननीय मंत्री जी जरा देखें कि रोसेस पर अगर कोई मेम्बर है और वहां अर्जी देने का विधान रखते हैं तो फिर दौरे में भी मैं समझता हूं अर्जी देने का विधान होना चाहिये। और हेड असिस्टेंट जो होगा डिस्ट्रिक्ट आफिसर का, उसको जो कुछ भी नाम आप रख लें, पी० ए० या सेक्रटरी, अगर उनके यहां भी अर्जी दे दी जाय तो मैं समझता हूं कि उससे भी कोई नुकसान होने वाला नहीं। तो इसमें एक सुविधा होती है और दो असुविधायें होती हैं। तो मैं कहूंगा कि दो असुविधायें आप क्यों करने जा रहे हैं।

आगे चल कर उपनियम (B)—163 का इसमें सब से बड़ी सुविधा यह थी कि अगर एप्लीकेन्ट, जो अर्जी देने वाला है टिकट ठीक नहीं लगाता है तो उसे दो मौके मिल सकते थे। पहला मौका तो यह उसे कमिश्नर के दफ्तर में मिलता था और दूसरा मौका जब कि वह कोर्ट के सामने मामला जाता था तब मिलता था। अब उसको दो मौके नहीं मिलने जा रहे हैं। ऐसे प्रार्थी को जो भूल से हिसाब की गलती से या नियमों को न समझने के कारण जो पूरा स्टाम्प नहीं लगा सका उसको अब इसका शिकार होना पड़ता है कि अब उसको समय नहीं मिलता है। एक ही बार समय मिलता है। आप जानते हैं, श्रीमन्, कि इसी उपनियम में लिखा हुआ है कि अप्लीकेशनों में तीन प्रकार की गल्तियां हो सकती हैं। एक तो यह कि स्टाम्प कम प्रस्तुत किये गये हों, दूसरे यह कि वह समय से न दी गई हों, प्रस्तुत की गई हो, तीसरे वह डयू फार्म में न हो। तो जहां पहले यह विधान था कि अगर कमिश्नर के दफ्तर में वह गलती पकड़ी गई तो

कमिश्नर के ही दफ्तर में प्रार्थी को मौका दिया जाता था कि वह उसको ठीक कर दे, या जो उसमें कमी रह गई है उसको पूरा कर दे या फिर आगे चल कर जब वह रजिस्ट्रार बोर्ड के पास अर्जी जाती थी फाइनेंल डिस्पोजल के लिए तो उसमें तीन तरीके रखे गये कि अगर वह अर्जी डयू फार्म में नहीं थी तो कोर्ट के सामने आर्डर के लिए मामला चला जाता था, उसमें केवल एक ही रिआयत मिलती थी लेकिन अगर टिकट कम होता था तो गवर्नमेंट रेवेन्यू का भी तो सवाल है, गवर्नमेंट यह भी चाहती है कि उसे रेवेन्यू पूरा मिले, अगर किसी ने कम स्टाम्प लगाया है तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिये कि वह पूरे टिकट लगा सके, मैं समझ सकता हूं कि उनके पूर्व जो नियम बनाने वाले थे उन्होंने गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी उसे पूरा मौका देना उचित समझा कि एक तरफ तो इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ता है और दूसरी तरफ प्रार्थी को भी मौका मिलता है कि वह रुपया इकट्ठा कर ले और फिर स्टाम्प लगा दे।

तो यह सहूलियत पहले थी जिसको कि आज माननीय मंत्री जी अपने संशोधन से छीनने जा रहे हैं। और इसमें, श्रीमन्, जो उपनियम (एफ) है उसे माननीय मंत्री जी नहीं बदल रहे हैं। वह उसी प्रकार से है। उस उपनियम (एफ) में यह लिखा हुआ है कि जिन अप्लीकेशंस में जजमेंट की कापी नहीं है उनमें मौका दूसरा मिल सकता है, पहले मौका नहीं मिलता है तो दूसरा मौका मिल सकता है लेकिन जो यह स्टाम्प के सम्बन्ध में नियम है इसको माननीय मंत्री जी बदलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है और जैसा माननीय मौर्य जी ने भी कहा लिमिटेशन वाला मामला भी यहां आता है कि पहले जो लिमिटेशन का पीरियड था एक डिक्री में नियत कर दिया गया था कि जो पीरियड लिमिटेशन का है वही पीरियड आफ ग्रेस माना जायगा, तो वह इसलिए माना गया था कि दो मौके मिलते हैं। एक तो लिमिटेशन का पीरियड और दूसरा मौका लिमिटेशन खत्म हो जाने के बाद कोर्ट की ओर से रजिस्ट्रार आज्ञा जारी कर देगा और वह कोर्ट की आज्ञा मानी जायगी, तो इस तरह से उसे दो मौके मिलते थे। यह पहले नियम में था। लेकिन अब क्या है कि अब एक ही मौका मिलेगा और रजिस्ट्रार उसे आज्ञा न दे सकेगा बल्कि कोर्ट के सामने सारा मामला चला जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपया इस आवश्यकता को स्पष्ट करें कि पहले जो उसे दो बार मौका मिल सकता था, आज क्या आवश्यकता पड़ी कि उसको अब एक ही मौका दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो प्रस्तुत नियम हैं उनमें यही मुख्य दोष हैं और जो एकाध सुविधा माननीय मंत्री जी उनको दे रहे हैं वह देकर यह सुविधायें उनसे छीन ले रहे हैं।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं आपकी इजाजत से माननीय माल मंत्री जी का आभारी हूं और उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे जिले में पहली जुलाई को, हरैया में मैं था, वहां सैकड़ों किसान आये थे अपील करने को, मगर वह कमिश्नर के यहां नहीं पहुंच पाये और अगर जिलों में कलेक्टर को मौका रहे, अपील सुनने का तो हर एक किसान पहुंच जाय। गोरखपुर हमारे जिले से ४० मील दूर है और वहां पहुंचने में, जैसा रामलखन जी ने कहा, किसान घबड़ा जाता है। मैं आप को परिभाषा बतलाऊं इंजिन की कि एक अहीर गांव से आया और उसने पूछा कि इंजन कैसा होता है, मैंने नहीं देखा है। लोगों ने कहा कि वह काला काला होता है और उसके मुंह से धुआं निकलता है। एक स्टेशन मास्टर साहब काला पैंट पहने हुए सिग्रेट पी कर टहल रहे थे। वह अहीर उनके ऊपर चढ़ बैठा। तो यह हालत है इस जिले की और आज कल कुछ एडवांस होने पर भी अब भी हमारे गांवों की ऐसी ही हालत है। तो गोरखपुर जाने में कितना ही रुपया हमारे किसानों का खर्च हो जाता है। गेंदा सिंह ने कहा कि कमिश्नर दौरे पर जाते हैं, तो कमिश्नर से क्यों इतनी मुहब्बत है?

श्री अध्यक्ष--आप यहीं तक सीमित रहिये।

श्री शिवनारायण--उसी पर बोल रहा हूं। ६३-ए में पहले कमिश्नर के यहां अपील होती थी। अब सरकार ने यह कहा कि बजाय कमिश्नर के यहां जाने के कलेक्टर के यहां हो। कलेक्टर दौरे पर हो, तहसील में हो, सदर पर हो, वहां किसान आसानी से पहुंच सकता है।

श्री गेंदासिंह--ऐसा नहीं है, पढ़िये जरा।

श्री शिवनारायण-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि "बी" में कहा गया है कि--

"Shall immeditely be examined and a note recorded on the memorandum or application as to whether the appeal or application is in due form".

तो इसमें यह है कि उसको ड्यू फार्म में होना चाहिये। पर बड़े बड़े बुद्धिमान वकील उधर से कहते हैं कि ड्यू फार्म में नहीं होना चाहिये। गवर्नमेंट ने ड्यू फार्म रखा और यह कि सही टिकट लगा हो। तो जिस आदमी को अपील देंगे वह रिस्पांसिबिल है और अपनी रिस्पांसिबिलिटी को वह समझता है। उसके साथ साथ वकील भी रहेगा हमारे वकील तो चाहते हैं कि पेचीदा कानून बने ताकि कमिश्नरी तक जाने का मौका मिले तो उनको भी ज्यादा मेहनताना मिले। हम तो रेवेन्यू मिनिस्टर के आभारी हैं कि इससे अपने जिले में इतना सुभीता मिलेगा। यह सीधा कानून है और यह एतराज गलत है कि ६० दिन की लिमिट हो, जैसा कि रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा तो अगर कोई अपील में फंसे तो १५ दिन के बाद सोचे कि अब चलें वकील के पास। तो इसमें कोई लिमिटेशन आफ टाइम नहीं किया, ड्यू टाइम रखा है। उसमें अगर कोर्ट से आयेगा दो एक दिन उसमें लगेंगे, कोई फंसाने सरकार ने नहीं रखा है। ६० दिन की लिमिट वह कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने कोई लिमिट नहीं रखी। वहां खुला है कि जब चाहें वह दाखिल कर सकें।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, यह है कि रीजनेबिल टाइम कर दिया जाय, उचित समय कर दिया जाय। गगनचुम्बी भाषा की उड़ान में उड़ने से काम नहीं चलता, बल्कि शान्त मस्तिष्क से और ठंडे दिल से आसमान पर नहीं बल्कि जमीन पर रह कर समझा जाय तो चीज ठीक उतरती है। हम किसानों और गरीबों के हमदर्द हैं और यह सरकार जो बनी हुई है और जितने मेम्बर बैठे हुए हैं वह उन्हीं गरीबों के वोट से बैठे हुए हैं और हमारा इनका कर्तव्य है कि उनकी भलाई सोचें। सरकार अपने सही कदम पर है और सही मानों में सही ढंग से किसानों की शुभचिन्तक है और आज मैं कोई प्रशंसा की बात नहीं करता, आज हमारे जिले में या सूबे में जहां कहीं रेन्वेयू मिनिस्टर का जिक्र आता है तो सब कहते हैं कि जैसा बढ़िया हमारा रेवेन्यू मिनिस्टर है, जिसने जमींदारी को अबलिश किया और चकबन्दी का कानून ला दिया। हम सब उनके ऋणी हैं और हम सही मानों में किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यह बात कहते हैं, कोई मुंह देखे की बात नहीं है।

इसमें आगे है, "इन दि केस आफ ऐन अपील...

श्री अध्यक्ष--- पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है, सब पढ़ सकते हैं।

श्री शिवनारायण--- अध्यक्ष महोदय, इसमें तहसीलदार को पावर दे रखी है फर्स्ट क्लास की। इसमें कौन सी अक्ल की बात है कि हम गरीब किसानों को कमिश्नर के यहां दौड़ाते फिरें? अक्ल के परे यह बात वह कर रहे हैं। तो सरकार ने जो रखा है वह किसानों की भलाई के लिए है और गेंदासिंह को उसको समर्थन करना चाहिये।

*श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---मान्य अध्यक्ष महोदय, मैंने मान्य सदस्यों की दलीलों और तकरीरों को सुना उन अमेंडमेंट्स पर जो कि इस सदन में उपस्थित किये गये हैं। उसमें कोई शक करने की गुंजायश नहीं कि मान्य मंत्री जी ने बहुत सोच समझ कर गरीब किसानों को अपील की दरख्वास्तें फाइल करने के लिये जो सुविधायें इन अमेंडमेंट्स के द्वारा प्रदान करने की कोशिश की है मैं समझता उसके लिये वे अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं। परन्तु इसके साथ ही माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं जो कि मुझे स्पष्ट दिखाई देती है और जिसमें कि मुझे कुछ उज्रदारी है। वह इसलिये नहीं कि मैं माननीय मंत्री जी के...

श्री अध्यक्ष---आपको क्या आपत्ति है वह तो सुना दीजिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत---जिससे मुझ को आपत्ति है वह यह है---

"The period of grace in the case of absence of the answer copies shall not, however, exceed the period of limitation and the person filing such appeal or application shall also be informed that failure to remedy the defect within the specified time will make the appeal or application liable to be deposited."

इसके दो माने होते हैं। जब इन शब्दों के माने अदालत में लगाये जायंगे तो हम इस बात की ओर नहीं जायंगे कि माननीय मंत्री जी के दिमाग में क्या खयाल था उस वक्त जब कि अपने विचारों को इन शब्दों में प्रकट करने का वह प्रयास कर रहे थे क्योंकि इसके दो माने लगते हैं और यह बिल्कुल डयूबिअस सा लगता है मुझको। इसमें भाषा की कमी ही हो सकती है कि उनका जो विचार है वह एक ही है लेकिन इसके दो माने लगाये जा सकते हैं---पहले माने यह हैं कि लिमिटेशन जो कि अपील या दरख्वास्त देने के लिये लिमिटेशन ऐक्ट के अन्दर निर्धारित है उसके अन्दर न होकर उसके अलावा जो टाइम हो उसी को तो हम ग्रेस पीरियड कह सकते हैं। वरना यह तो एक कंट्राडिक्शन है कि जो उसका राइट है, अगर एक माह का उसका राइट है तो वह तो उसका राइट हो जाता है, राइट में आप ग्रेस कैसे कहते हैं? ग्रेस वही है जो कि राइट नहीं है। राइट के बाहर जो कन्सेशन आप देते हैं उसी को आप ग्रेस कह सकते हैं। अगर इस माने में हम इसको पढ़ते हैं तो उससे यह मालूम होता है कि मंत्री महोदय जो ग्रेस टाइम उसको दे रहे हैं वह एक्सीड नहीं करेगा पीरियड आफ लिमिटेशन। अगर पीरियड आफ लिमिटेशन एक माह है तो उसको ग्रेस टाइम एक माह से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक माह ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो एक तो इस भाषा का इस्तेमाल हो जाने से यह फर्क पड़ जाता है। और जहां तक मुझे पता चलता है मंत्री महोदय के दिमाग में जो विचार था वह यही है कि अगर पीरियड आफ लिमिटेशन एक माह है और अपील २० रोज में फाइल कर दी गयी तो १० रोज का वह ग्रेस दे सकता है। मैं समझता हूं यह भाषा अनुपयुक्त है। तो ग्रेस हमको हटा देना चाहिये। अगर गुजिश्ता जमाने में कहीं यह गलती से इस्तेमाल हुआ हो तो हमें उस शब्द को अब दुरुस्त कर देना चाहिये और तो उसका राइट ३० रोज का है उसके अन्दर हम ग्रेस की कैसे बात करते हैं यह तो समझ के काबिल नहीं है। इसके दूसरे माने यह होते हैं और शायद जहां तक मेरा खयाल है, चूंकि मैंने मंत्री महोदय से बात चीत की थी यह तो यही समझते हैं और उनका खयाल यही है कि अगर २० रोज में अपील फाइल कर दी जाय और उसमें जजमेंट की कापी वगैरह उसी तरह से न हों जिसका कानून में जिक्र किया गया है तो आपका शायद यह फरमाना है कि अदालत को अख्तियार है कि अगर २० रोज के अन्दर वह फाइल की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

गयी है तो २५ रोज के अन्दर वह अगर उसको खारिज करना चाहे तो खारिज कर सकती है। मैं कहता हूं कि हर्गिज नहीं। एक बार आपकी अदालत में कोई अपील या दरख्वास्त पीरियड आफ लिमिटेशन में पेश की जाती है और कुछ दिन बीच के अभी बाकी हैं तो जब तक वह समय एक्सपायर नहीं होता है तो अदालत को उसके खारिज करने का अख्तियार नहीं है। अगर कोर्ट फीस कम है तो पहले भी यही बात थी और हमेशा से यह कानून रहा है कि अगर कोर्ट फीस पूरी अदा नहीं हुई तो टाइम दिया गया और स्पैसिफिक टाइम दिया गया नोटिस देने वाले को कि इतने दिन के अन्दर कोर्ट फीस पूरी करो तब तुम्हारी अपील ली जायगी तुम्हारा मुकदमा लिया जायगा वरना खारिज कर दिया जायगा। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसी के पास अगर ३० रोज है और वह २५ रोज में पेश कर दे तो ५ दिन उसके अभी बाकी हैं। इसलिये कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको वह इत्तला करे क्योंकि कोर्ट फीस मुअक्किल से फोकट में नहीं ली जाती है। वह अदालत के समय की कीमत होती है कि अदालत उसके लिये अपना टाइम डिवोट करे और यह कीमत अदालत को मुवक्किल कोर्ट फीस की शक्ल में देता है। इसलिये अगर उसको कोर्ट हड़प कर जाती है और उसका मामला खारिज कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह कोई जुडीशियल अदालत नहीं है। वह अपने समय की कीमत लेकर उसको अदा नहीं कर रही है वह रुपया जो कोर्ट फीस के रुपया में अदालत को अदा कर दिया गया है उसको वह ठग रही है या नाजायज तरीके पर हड़प करती है।

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि अगर ग्रेस शब्द का आपका मतलब यह है कि आप समय बढ़ाना नहीं चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि आप तीस दिन के बजाय समय और बढ़ा दें लेकिन जो कुछ भी आपका इरादा हो वही रखिये ऐसी चीज होनी चाहिये जिसका आशय स्पष्ट हो। उसके दो माने नहीं लगने चाहिये और इनकैपेबिल इन्टरप्रिटेशन होना चाहिये यानी ऐसा होना चाहिये जिसका मतलब न लगाया जा सकता हो। यह भाषा जो इसमें लिखी गई है वह ऐसी है कि इसके कई माने लगाये जा सकते हैं। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको हटा दिया जाय। दी पीरियड आफ लिमिटेशन में कोई कनसेशन नहीं मिलेगा या ग्रेस नहीं दिया जायगा। जिस तरह से कि लिखा गया है उसके माने हैं कि एक मर्तबा जो पीरियड आफ लिमिटेशन है वह और उसके बाद ग्रेस का पीरियड एक महीने का और मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ऐसा खयाल नहीं है। लेकिन जब अदालत में इंटरप्रेट करेंगे तो दूसरे माने इसके लगेंगे। इस तरह की भाषा को क्यों न दुरुस्त कर दिया जाय जिससे लोगों को गलत तौर से रुपया खर्च करने के लिये गुंजायश न रहे? इसके दो तीन माने हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत—मैं समझता हूं कि बहुत कम शब्दों में और छोटी सी भाषा में यह शब्द कहे जा सकते हैं कि कोई भी कनसेशन पीरियड आफ लिमिटेशन में नहीं मिलेगा। यह इतना साफ है कि मैं समझता हूं...

श्री अध्यक्ष—आप इस बात को कई दफा कह चुके हैं। अब अगर आप रिपीट करेंगे तो मुझे आप से बैठने के लिये कहना पड़ेगा।

श्री चन्द्र सिंह रावत—इन शब्दों के साथ मैं अपने तर्क को खत्म करता हूं और मैं समझता हूं कि डिफेक्ट्स रिमूव कर दिये जायंगे।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—६४

विपक्ष में—१२)

श्री चरणसिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है माननीय गेंदा सिंह यहां पर इस समय उपस्थित नहीं हैं। जब मैं सदन में आया उनकी जबानी लाखों किसानों के बेदखल होने की बात सुनी थी। लाखों किसानों के बेदखल होने की बात का इस संशोधन से क्या वास्ता हो सकता था यदि वह सदन में होते तो उनसे दरियाफ्त करता। खैर ३,४ बातें जिनको मैं समझ पाया और जो रामनारायण त्रिपाठी जी, नारायणदत्त तिवारी जी और चन्द्रसिंह जी रावत ने कही हैं उनका जवाब मुख्तसर में देना चाहता हूं। चन्द्रसिंह जी रावत की बात को ही मैं पहले लेता हूं। उन्होंने यह फरमाया कि लफ्ज "ग्रेस" जो इस्तेमाल किया गया है, यह गलत है। अगर मंशा यह है कि जितनी मियाद कानून में अपील दायर की है अर्थात् ९० दिन और ७० दिन में अपील फाइल हुई तो २० दिन में अदालत उसको जरूरी नकल दाखिल करने के लिये नहीं दे सकती। तो इसमें "ग्रैस" का सवाल नहीं रहा। यह तो उसका हक था कि वह ९० दिन में दाखिल करे। यह बात उन्होंने बहुत जोश खरोश के साथ कही और मुझको समझाने की कोशिश की कि यह "ग्रैस" शब्द अनावश्यक है मगर अनुचित नहीं है। तो, श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से उनसे यह कहना चाहता हूं कि उनका यह खयाल गलत है। अदालत को यह अधिकार है कि अगर ७० दिन के अन्दर जरूरी कागजात के साथ अपील दाखिल नहीं हुई है तो वह उस को खारिज कर दे और रद्दी की टोकरी में फेंक दे। यह माना कि २० दिन की मियाद है लेकिन अपील जो नियम के अनुसार जिन जरूरी कागजात के साथ दाखिल होनी चाहिये, वह नहीं हुई तो अदालत को अधिकार है कि उसको उसी रोज खारिज कर दे लेकिन वह ऐसा नहीं करती बल्कि उन २० दिन में हम उनको मौका देते हैं कि इस मियाद में उस कमी को पूरा कर दो। तो, यह तो मानी हुई बात है कि यह एक अदालत की तरफ रियायत है, एक मौका है जो वह उसको देती है लेकिन उसको देने के लिये वह बाध्य नहीं है। इसीलिये हमने उसको ग्रैस कहा है और मैं समझता हूं वही शब्द रहना चाहिये और वह माकूल लफ्ज है दूसरा कारण इस को रखने का यह भी है कि यही लफ्ज करीब ८० या सौ साल से, जब से रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल है बराबर रखा चला आता है और कोई ताबीर उसकी आज तक नहीं की गई, जैसे कि आज रावत जी कर रहे हैं और शायद माननीय रावत जी को यह मालूम होगा कि जितने भी कोई लफ्ज, कानून या कोई धारा पुरानी हो जाती है उतनी ही उस लफ्ज की उस के इन्टरप्रिटेशन की वेलिडिटी, अथारिटी और आथेंटिसिटी हो जाती है और सनद हो जाती है। जो शब्द सैकड़ों वर्ष से एक माने में इस्तेमाल हो रहा है उसके निकालने से मुमकिन हो सकता है कि कोई अदालत यह मतलब लगा ले कि अब तक जो मतलब लगाया जाता रहा है शायद गवर्नमेंट अब उस चीज को नहीं चाहती और चाहती है कि वह माने न लगाये जायं। तो इसमें मैं समझता हूं बहुत दिक्कत होगी। इसलिये जो शब्द है उसके जो अर्थ लगते आये हैं वही लगाये जाते रहें तो ठीक होगा और जैसा कि मैंने कहा कि कामन सेंस से भी साबित होता है कि एक मौका जो अदालत देती है वह रियायत है। इसलिये मैं समझता हूं इन दो कारणों से वह समझ सकते हैं कि "ग्रेस" शब्द का रहना जरूरी है और वह रहना चाहिये।

माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने ३ सुझाव दिये हैं। एक तो यह कि नकल दाखिल करने के लिये जो अपील की मियाद के अन्दर मौका दिया गया है उससे ज्यादा दिया जाय और माननीय द्वारिका प्रसाद मौर्य ने उनका इस संबंध में समर्थन किया है। मुझे अफसोस है कि मैं अपने दोनों दोस्तों के इस सुझाव को नहीं मान सकता। कारण यह है कि कितना वक्त दिया जाय वह अदालत पर छोड़ दिया तो उसमें मियाद की बात कहां रही कि दस दिन का या २० दिन का मौका दिया जायगा? इसलिये उनका यह कहना भी ठीक नहीं है। दूसरे यह कि हम कानून

[श्री चरण सिंह]

में लिख दें कि एक माह का मौका और है और ३ मास के बाद दावा कर सकता है, इस तरह से ४ माह उसको मिलते हैं और अगर वह ३ मास में भी जरूरी कागजात हासिल नहीं करता है तो ४ मास में करेगा और उसके बाद भी वही सवाल होगा और इस से भी मसला हल नहीं होता। बहुत से लोगों में यह आदत होती है कि चाहे जितनी मियाद दे दो आखिर में ही जब ७–८ दिन रह जाते हैं तभी वह जागते हैं। इसलिये समय बढ़ाने की बात में कोई तथ्य नहीं है।

दूसरा सुझाव यह दिया गया कि पहले स्टाम्प की कमी को पूरा करने के लिये दो मौके दिये जाते थे और अब एक ही मौका दिया जाता है। यह बात ठीक है लेकिन साथ ही उस मौके के अन्दर समय में यदि वह कम स्टाम्प को पूरा नहीं करता तो इसमें खारिज करने की बात कहां है? इसमें तो यह है कि वह मिसल अदालत के सामने पेश की जायगी, उसको देख कर अदालत चाहे तो समय दे सकती है, चाहे नहीं भी दे सकती। अगर वह समझती है कि कोई भी कमी है तो उसको समय फिर भी देने का अख्तियार है इसलिये जो दो बार की बात पहले रखी हुई थी वह गैरजरूरी है, वह तो क्या हम तीन बार भी रख दें, वह भी गैरजरूरी होगा।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि इत्तला बीयरिंग न भेज कर रजिस्टर्ड जानी चाहिये। आजतक इस तरह की कभी शिकायत नहीं हुई कि तामील न हुई हो। अगर कोई नुक्स अपील के कागजात में रहेगा तो बोर्ड आफ रेवेन्यू के दफ्तर से जो इत्तला जाती है आज तक कहीं से यह खबर नहीं आई कि बैरंग भेजने के कारण उनको इत्तला नहीं मिली। ऐसी कोई शिकायत नहीं है तो फिर रजिस्ट्री क्यों की जाय? क्यों पैसा खर्च किया जाय?

अब अगर अपीलांट अदालत की इमदाद चाहता है उसका फर्ज है कि कानून की पाबन्दी करके जितना स्टाम्प जरूरी और जो नकलात जरूरी हों, उनको पूरा करता। यदि नहीं करता तो उसमें कसूर उसका है, उसकी जिम्मेदारी है. इसलिये अगर उसको दो आने के बजाय चार आने देने पड़ते हैं तो इसमें उसके साथ कोई अन्याय की बात नहीं है। यह सुझाव भी मुझे मंजूर नहीं है।

पांचवीं बात जो मानमीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कही वह यह कि इसमें लिखा है कि कलेक्टर को दी जाय। अब मान लो कि कलेक्टर दौरे पर है तो वह दफ्तर में नहीं दिया जा सकता। खूब मतलब लगाते हैं। कलेक्टर के हाथ में देने के लिये इसमें कहां लिखा हुआ है? इसमें है—

"to be presented before the Registrar, or to the Board's office at Allahabad, or to a Member at Naini Tal".

आप यह कह सकते हैं कि मेम्बर के हाथ में दीजिये सब जगह यह लिखा जाता है—

"This appeal shall be presented to the Collector or to the Commissioner."

उसका मतलब यह नहीं है कि उनके हाथ में देना होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहले क्या था? वैसा ही अब भी रख दें।

श्री चरणसिंह—आप बेकरार न हों, आपकी इच्छा अभी पूरी होगी। मैं बतला रहा हूं तो बोर्ड आफ रेवेन्यू के लिये तो यह था कि मेम्बर को दिया जाय। कमिश्नर के लिये था कि वह न हो तो उसके हेड असिस्टेंट को दिया जाय। यह दोनों गजेटेड आफिसर हैं। अब यह कि कलेक्टर न हो तो उसके आफिस सुपरिन्टेन्डेंट को दिया जाय और तहसीलदार न हो तो उसके पेशकार को दिया जाय। यह लिखना बिलकुल गैर जरूरी है। यह मतलब नहीं है कि अगर अलेक्टर न हो तो आफिस सुपरिंटेंडेंट को नहीं दिया जा सकता अगर आफिस सुपरिन्टेन्डेंट न हो तो फिर क्या लिखा जाय? आफिस तो काम करेगा ही। जो भी आफिस में हो उसको दे दी जाय। तो यह उनका कहना बिलकुल गैर जरूरी है कि उसको रखा जाय। फिर वह कहते हैं कि मेम्बर अगर नैनीताल में हो तो दिया जा सकता है और अगर मेरठ में है तो नहीं

दिया जा सकता है। मेरठ में वह नहीं हो सकता उसको हमने नैनीताल में गरमी के दिनों में रहने की इजाजत दी है। वह नैनीताल में जा सकता है परन्तु सरकिल में अब नहीं जा सकता है। जब जाता था तो उसको दी जाती थी। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जितने एतराज किये गये थे उन सबका मैंने मुख्तसरन जबाव दे दिया। जो मुझे अर्ज करना है वह यह है कि बहुत दिनों से माननीय रामनारायण जी को और माननीय गँदासिंह जी को माल के महकमे पर कुछ कहने का मौका नहीं मिला था। आज उन्होंने समझा कि अच्छा मौका मिला है जितनी बातें कहनी हैं सब कह डाली। मैं तो यही कहता हूं बाकी जो बातें उनको स्पीच में उठाई गई थी उनका जवाब तो मैंने दे दिया है।

(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२७ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२ पर)

सूची

क्रम-संख्या	जिला		नगरपालिका
१	शाहजहांपुर	..	शाहजहांपुर
२	आजमगढ़	..	आजमगढ़
३	आजमगढ़	..	मऊनाथ भंजन
४	जौनपुर	..	जौनपुर
५	बाराबंकी	..	बाराबंकी
६	मेरठ	..	मेरठ
७	राय बरेली	..	रायबरेली
८	मिर्जापुर	..	मिर्जापुर
९	मिर्जापुर	..	चुनार
१०	बनारस	..	बनारस
११	सहारनपुर	..	देवबन्द
१२	गोरखपुर	..	गोरखपुर
१३	झांसी	..	झांसी
१४	झांसी	..	ललितपुर
१५	मथुरा	..	मथुरा
१६	मथुरा	..	बृन्दाबन
१७	बिजनौर	..	धामपुर
१८	बिजनौर	..	नजीबाबाद
१९	बिजनौर	..	बिजनौर
२०	बिजनौर	..	चांदपुर
२१	बिजनौर	..	नगीना
२२	बस्ती	..	बस्ती
२३	मुजफ्फरनगर	..	कैराना
२४	मुजफ्फरनगर	..	शामली
२५	आगरा	..	फतेहपुर सीकरी
२६	फतेहपुर	..	फतेहपुर
२७	रामपुर	..	रामपुर
२८	देवरिया	..	देवरिया
२९	देवरिया	..	पडरौना
३०	देवरिया	..	गौरा बरहज
३१	गोंडा	..	गोंडा
३२	गोंडा	..	बलरामपुर
३३	आगरा	..	फिरोजाबाद
३४	एटा	..	सोरों
३५	एटा	..	जलेसर
३६	इलाहाबाद	..	इलाहाबाद

क्रम-संख्या	जिला		नगरपालिका
३७	एटा	..	एटा
३८	अलीगढ़	..	अलीगढ़ (कोइल)
३९	अलीगढ़	..	अतरौली
४०	मुरादाबाद	..	संभल
४१	मुरादाबाद	..	अमरोहा
४२	मुरादाबाद	..	हसनपुर
४३	हरदोई	..	संडीला
४४	हरदोई	..	हरदोई
४५	हरदोई	..	शाहाबाद
४६	फैजाबाद	..	फैजाबाद
४७	हरदोई	..	बिलग्राम
४८	हरदोई	..	पिहानी
४९	बरेली	..	आंवला
५०	बरेली	..	बरेली
	हरदोई	..	सांडी नोटीफाइड एरिया।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

जिला आजमगढ़ में सर्वोत्तम काम करने के लिये जिन गांव सभाओं को पुरस्कार दिया गया उनकी वर्षवार तालिका।

१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५
१—सेठवल	१—लालगंज	१—सरहरा
२—चेवता	२—खैराबाद	२—मिर्जापुर जमालपुर
३—जिगनी	३—ठेकमा	३—बिजपुरा
४—लहुआं	४—मंगरावां	४—सराय सादी
५—अलीनगर	५—मेहनाजपुर	५—पदमीडांड (हरदासपुर)
६—शहरोज	६—अंजान शहीद	६—सोंड़सर
७—धरमपुर	७—हरचन्दपुर	७—डेकवारा
८—कठिहारी	८—खरां रास्तीपुर	८—पिढ़वल
९—कस्बा खास	९—पारा	९—रसूलपुर
१०—..	१०—मखमेलपुर	१०—टाडियांवपुर
	११—चाइपुर	

नोट—इसी वर्ष ग्राम सभा हरचन्दपुर को श्रमदान में सर्वोत्तम कार्य करने के हेतु २,००० रु० का पुरस्कार दिया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२३ पर)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ।)

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई०, को संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट ८, १९५२।

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे उल्लिखित प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१, का संशोधन किया जाय :

यू० पी० ऐक्ट ८, १९५२।

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५५ ई०, कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्ष-नाम तथा प्रसार।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायगा) की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उ० प्र० अधि नियम संख्या ८, १९५२ की धारा ५ का संशोधन।

"५—(१) बोर्ड का एक अध्यक्ष (Chairman) होगा जिसे राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों में से नियुक्त करेगी।

(२) बोर्ड का एक उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) भी होगा जो बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जायगा।"

३—मूल अधिनियम की धारा ६ में :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ६ का संशोधन।

(क) शब्द "चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया मेम्बर" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष (Chairman) के पद पर नियुक्त अथवा उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) के पद पर निर्वाचित कोई सदस्य" रख दिये जायं।

(ख) शब्द "निर्वाचित किये जाने या नामजद" के स्थान पर शब्द "नियुक्त किये जाने या नामजद" रख दिये जायं।

४—मूल अधिनियम की धारा ९ में :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ९ का संशोधन।

(क) खंड (१) में शब्द "नये निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "नयी नियुक्ति" रख दये जायं।

(ख) खंड (२) तथा उसके प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद में जहां शब्द "निर्वाचित" आया है उसके स्थान पर शब्द "नियुक्ति" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ४१ का संशोधन ।

५--मूल अधिनियम की धारा ४१ के खंड (९) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(९) लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्रों (permits) द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण तथा नुस्खे तैयार करने के कार्यों का नियमन करना और राज्य सरकार की पहले से स्वीकृति लेने के बाद उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने के निमित्त इन्सपेक्टरों को नियुक्त करना जो होम्योपैथिक के अर्हित (qualified) डाक्टर हों।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ५६ का संशोधन ।

६--मूल अधिनियम की धारा ५६ की उपधारा (२) में खंड (थ) के पश्चात् (थ थ) तथा (थ थ थ) को निम्नलिखित नये खंडों के रूप में रखा जाय :

"(थथ) धारा ४१ के खंड (९) के अधीन लाइसेंस या अनुज्ञापत्र (permit) देने के लिये प्रार्थना-पत्र का आकार (form) तथा उसमें भरे जाने वाले ब्योरे ;

(थथथ) लाइसेंस देने की शर्तें, लाइसेंस का नवीकरण तथा उसके लिये देय शुल्क" ;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की धारा ६३ का संशोधन ।

७--मूल अधिनियम की धारा ६३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

रजिस्ट्रेशन से पूर्व परीक्षा

"६३--इस अधिनियम को अन्य किसी भी धारा में किसी बात के होते हुये कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के भाग २ अथवा उसकी किसी धारा के लागू हो जाने के दिनांक से एक वर्ष के पूरा होने पर अथवा उसके पश्चात् तब तक रजिस्टर में रजिस्टर्ड चिकित्सक के रूप में न लिखा जायगा तब तक वह बोर्ड द्वारा स्वीकृत परीक्षा नहीं पास कर लेगा।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५२ की अनुसूची में संशोधन ।

८--मूल अधिनियम की अनुसूची में:

(१) तीसरे अनुच्छेद (paragraph) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"३--वे होम्योपैथ जो प्रार्थनापत्र देने के समय पिछले पांच वर्षों से पूर्णकालिक (whole time) होम्योपैथों की हैसियत से चिकित्सा कर रहे हों, और जिनका रजिस्टर्ड होम्योपैथ होने के लिये योग्य होना विहित रीति से प्रमाणित किया गया हो।

स्पष्टीकरण--यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी (local authority) अथवा किसी वाणिज्यक अथवा औद्योगिक उपक्रम (undertaking) अथवा अन्य किसी अधिष्ठान (establishment) का सवैतनिक कर्मचारी (होम्योपैथ के रूप में काम करने से भिन्न दशा में) हो तो उसे पूर्णकालिक होमियोपैथ के रूप में चिकित्सा करने वाला व्यक्ति न समझा जायगा।"

(२) अनुच्छेद (paragraph) ४ निकाल दिया जाय ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश होम्यापैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१, में जो कुछ वर्ष पहले विधायित हुआ था, होम्योपैथों की रजिस्ट्री इत्यादि की व्यवस्था इस समय है, इस दृष्टि से कि इस चिकित्सा पद्धति ने बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है, यह आवश्यक समझा गया है कि रजिस्ट्रेशन का विशेषाधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होना चाहिये जो अपना सारा समय चिकित्सा कार्यों में लगाते हैं। शुद्ध औषधियों के निर्माण को सुनिश्चित और व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता थी। इस समय अधिनियम में इन अधिकारों को, जो आवश्यक हैं, व्यवस्था नहीं है। गत कुछ वर्षों में अधिनियम के कार्यान्वित होने के परिणाम स्वरूप कुछ संशोधनों की आवश्यकता का अनुभव हुआ था। उन्हें भी इस अवसर पर समाविष्ट किया जा रहा है। तदनुसार उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५, प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य मंत्री।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२३ पर)

बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, १८८७, के कतिपय उपबन्धों का अवध में प्रसार करने की व्यवस्था करने का।

विधेयक

यह इष्टकर है कि उन क्षेत्रों में, जहां अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५, लागू होता है बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, के कतिपय उपबन्धों का प्रसार करने की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त क्षीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

ऐक्ट १२, १८८७ का अवध में प्रवृत होना।

२--इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, की :

(क) धारायें ३, ४, ६, ८, ९ से ११ तक, १३ से २५ तक, ३८ तथा ३९, और

(ख) धारा ४० [इस संशोधन के साथ कि उपधारा (१) में संख्यायें ३२ और ३७ निकाल दी जायंगी ;]

(जैसी कि वे उत्तर प्रदेश में अपने लागू होने के संबंध में समय समय पर संशोधित हुई हैं) उन क्षेत्रों में लागू होंगी जहां अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५, लागू होता है तथा अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५, के तत्स्थानी उपबन्ध तदनुसार निरस्त हो जायेंगे।

यू० पी ऐक्ट ४, १९२५ के अधीन न्यायालयों आदि की स्थापना।

३--अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५, के अधीन स्थापित अथवा संघटित समस्त न्यायालय और की गयी नियुक्तियां, किये गये नाम निर्देशन तथा बनाये गये नियम और दी गयी आज्ञायें, एवं प्रदत्त अधिक्षेत्र तथा अधिकार और प्रकाशित सूचियां बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, जैसा कि वह अवध में लागू होगा, के उपबन्धों के अधीन क्रमशः स्थापित, संघटित की नयी, किये गये, बनाये गये, दी गयी, प्रदत्त तथा प्रकाशित समझे जायेंगे।

विचाराधीन वाद अथवा कार्य-वाहियाँ।

४--इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५, के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय में संस्थित (instituted) अथवा आरब्ध सभी वाद और कार्यवाहियां, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के निरस्त हो जाने पर भी, उसी न्यायालय में जारी रखी जायेंगी जहां वे संस्थित अथवा आरब्ध की गयी थीं अथवा जहां वे स्थानान्तरित कर दी गयी थीं, उसी प्रकार मानो वे बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय में संस्थित आरब्ध हुई हों।

५---उस दशा में जब बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, की धारा २१ के उपबन्धों के अवध में लागू होने के कारण अब कोई अपील हाई कोर्ट में प्रस्तुत होने के बजाय डिस्ट्रिक्ट जज को प्रस्तुत की जा सकती हो तो--- विचाराधीन अपीलें तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध।

(क) किसी ऐसी अपील को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व हाईकोर्ट में संस्थित अथवा आरब्ध हो चुकी है, उक्त उपबन्धों के लाग होते हुये भी, सुनवाई और उस पर निर्णय हाई कोर्ट द्वारा ही होगा।

(ख) कोई अपील जो इस प्रकार संस्थित अथवा आरब्ध न हुयी हो किन्तु जिसके संबंध में कालावधि (period of limitation) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व संचारित होने लगी हो (begun to run) इस उपबन्ध के होते हुये भी कि अब वह डिस्ट्रिक्ट जज को प्रस्तुत की जा सकेगी उसी कालावधि से नियमित होती रहेगी जो अपील के हाई कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने की दशा में उपलब्ध होती।

६---इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५, के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय द्वारा पारित सभी आज्ञप्तियां (decrees) तथा दी गयी आज्ञायें निष्पादन के प्रयोजनों के लिये बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, जैसा कि वह अवध में प्रसारित हुआ है, के अधीन संघटित और स्थापित, अथवा संघटित और स्थापित समझे गये। तत्स्थानी न्यायालय द्वारा पारित अथवा दी गयी समझी जायंगी।

उद्देश्य और कारण

इस राज्य में दो हाई कोर्ट थे---एक इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरा लखनऊ चीफ कोर्ट---फलतः यह राज्य न्याय प्रशासन के संबंध में दो प्रकार की विधियों द्वारा शासित होता था। राज्य के आगरा भाग में पड़ने वाले न्यायालय, बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, द्वारा तथा अवध भाग में पड़ने वाले न्यायालय अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५, द्वारा शासित होते थे। जब सारे उत्तर प्रदेश राज्य के लिये एक ही हाई कोर्ट स्थापित हुआ तो अवध कोर्ट्स ऐक्ट, १९२५, का वह अंश जो चीफ कोर्ट की स्थापना से संबद्ध था, निरस्त कर दिया गया, किन्तु अवध में अधीनस्थ सिविल न्यायालय (Subordinate civil courts) अवध कोर्ट्स ऐक्ट द्वारा ही शासित होते रहे। इन दोनों अधिनियमों के उपबन्ध, कुछ ऐसी धाराओं को छोड़कर जो विशेष विषयों के संबंध में हैं, बहुत कुछ समान हैं।

२---राज्य में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना के बाद इन न्यायालयों के लिये दो विभिन्न विधियों का होना वांछनीय नहीं प्रतीत होता। इस विषय में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया जाता है कि बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट के उपबन्ध अवध के न्यायालयों पर प्रवृत्त हों और अवध कोर्ट्स ऐक्ट के तत्स्थानी (corresponding) उपबन्ध निरस्त कर दिये जायं।

३---बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५, इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

पी० एल० यू० पी० ए० पी०---११३ एल० ए०---१९५६---७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा